हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

05 नवम्बर, 2020

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 05 नवम्बर, 2020

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	04
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	14
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	53
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	55
अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणाएं–	86
(i) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	
(ii) हरियाणा विधान सभा की 'सदन संदेश' पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में सूचना	
(iii) 163 अधिनियमों के शीर्षक में 'पंजाब' शब्द के स्थान पर 'हरियाणा' शब्द जोड़ने संबंधी सूचना	
हरियाणा विधान सभा के सदस्य को जन्म दिन पर शुभकामनाएं	88
सचिव द्वारा घोषणा	88
कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट	89
वॉक आउट	97
कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट (पुनरारम्भ)	97
निजी सदस्य विधेयक/संकल्पों की सूचना	98

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— 116

(i) राज्य के 32 शहरों में तीस हजार से अधिक गलत रजिस्ट्रियों से संबंधित

वक्तव्य—

उप—मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

(ii) राज्य के 2020 (अप्रैल से जून तक) में 46 प्रतिशत बढ़ी हुई बाल मृत्यु दर से संबंधित

वक्तव्य—

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

सदन की मेज पर रखे गए कागज—पत्र 149

सरकारी संकल्प— 152

(i) ''हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2019'' को वापिस लेने संबंधित

(ii) ''हरियाणा तथा पंजाब विधान सभा सचिवालय भवन में आबंटित कमरों से हरियाणा को शेष कमरे उपलब्ध करवाने से संबंधित

विधान कार्य— 162

(i) दि पंजाब विलेज कॉमन लैंडस (रैगुलेशन) हरियाणा अमेंडमैंट बिल, 2020

(ii) दि हरियाणा स्टेट इम्पलॉयमैंट ऑफ लोकल कैंडीडेट्स बिल, 2020

बैठक का समय बढ़ाना 184

विधान कार्य (पुनरारम्भ) 184

(iii) दि हरियाणा वाटर रिसोर्सिज (कंजर्वेशन, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी) बिल, 2020

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 05 नवम्बर, 2020

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2:00 बजे हुई । अध्यक्ष (श्री ज्ञान चन्द गुप्ता) ने अध्यक्षता की ।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में शोक प्रस्ताव रखेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बाद और इस सत्र के प्रारम्भ होने से पहले जो महान विभूतियां इस संसार को छोड़कर चली गई हैं, उन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं :–

भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति

यह सदन भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के 31 अगस्त, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसम्बर, 1935 को हुआ। वे वर्ष 1969, 1975, 1981, 1993 तथा 1999 में पांच बार राज्यसभा तथा 2004 व 2009 में दो बार लोकसभा के लिए चुने गये। वे वर्ष 1973–74 के दौरान केंद्रीय उप मंत्री, 1974–77 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तथा 1980–84, 1993–96 तथा 2004–12 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। वे वर्ष 1980 से 1985 तक राज्य सभा तथा 2004 से 2012 तक लोकसभा में सदन के नेता भी रहे। वे वर्ष 1991 से 1996 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने 25 जुलाई, 2012 से 25 जुलाई, 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। उन्होंने उच्च संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए न केवल राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ाई बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत बनाने का काम किया।

उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2008 में पदम् विभूषण तथा 2019 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। उनका लंबा राजनैतिक व प्रशासनिक जीवन सत्यनिष्ठा, कड़ी मेहनत व निःस्वार्थ सेवा भाव से ओत–प्रोत था।

वे उच्चकोटि के लेखक भी थे। उन्होंने अपने दीर्घ अनुभवों और विशद् ज्ञान को पुस्तकों के माध्यम से साझा किया। लोकतंत्र, संविधान और राजनीति को लेकर साझा किये गये उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।

उन्होंने हरियाणा प्रदेश के 2 जिलों गुरूग्राम और नूँह के 100 से भी ज्यादा गांवों को अडॉप्ट किया था और एक फाउंडेशन के माध्यम से कार्यक्रम चलाकर उनका विकास करवाया था ।

उनके निधन से देश एक उच्चकोटि के शिक्षाविद्, प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————————

श्री राम विलास पासवान, केंद्रीय मंत्री

यह सदन केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान के 8 अक्तूबर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री राम विलास पासवान का जन्म 5 जुलाई, 1946 को हुआ। वे वर्ष 1969 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1977, 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 व 2014 में नौ बार लोकसभा तथा 2010 व 2019 में दो बार राज्यसभा के लिए चुने गये। वे वर्ष 1989–90, 1996–2002, 2004–2009 तथा 2014 से अपने अंतिम समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए रेलवे, श्रम एवं कल्याण, संसदीय मामले, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन एवं उर्वरक, इस्पात, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का गौरव हासिल
हुआ। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

——————

श्री सुरेश अंगड़ी, केंद्रीय राज्य मंत्री

यह सदन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी के 23 सितम्बर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री सुरेश अंगड़ी का जन्म पहली जून, 1955 को हुआ। वे वर्ष 2004, 2009, 2014 तथा 2019 में चार बार लोकसभा के सदस्य चुने गये। वे 30 मई, 2019 से अपने अन्तिम समय तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। उन्होंने गरीब व ग्रामीण युवाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जसवंत सिंह, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह के 27 सितम्बर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री जसवंत सिंह का जन्म 3 जनवरी, 1938 को हुआ। वे वर्ष 1980,1986, 1998, 1999 व 2004 में पांच बार राज्यसभा तथा 1990, 1991, 1996 व 2009 में चार बार लोकसभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1996 तथा 1998–2004 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए वित्त, रक्षा, भूतल परिवहन तथा विदेश मंत्रालय संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा 1998 से 1999 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे।

उन्होंने विदेश मामलों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समाचार–पत्रों व पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे। वे स्वाभिमानी, अनुशासनप्रिय और स्पष्टवादी थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा।

उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

स्वामी अग्निवेश, हरियाणा के भूतूतपूवूर्व मंत्रंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री स्वामी अग्निवेश के 11 सितम्बर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 21 सितम्बर, 1939 को हुआ। वे वर्ष 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 1979 के दौरान मंत्री रहे। वे एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सफल अभियान चलाया।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्री देवराज दीवान, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री देवराज दीवान के 18 अक्तूबर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 20 जून, 1943 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा 2000 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्री मामू राम, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मामू राम के 29 सितम्बर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 4 मई, 1947 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

श्रीमती सरोज, हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती सरोज के 16 अक्तूबर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 जनवरी, 1961 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधान सभा की सदस्य चुनी गयी। उनकी धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी

यह सदन रोहतक जिले की स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती कलावती के 20 सितम्बर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

हरियाणा के शहीद

यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिये।

इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. कर्नल विनय कुमार यादव, गांव नूनसर, जिला भिवानी।
2. लेफ्टिनेंट कर्नल सत्यदीप ढाण्डा, गांव भगाना, जिला हिसार।
3. उप निरीक्षक शशांक रावत, पलवल।
4. सहायक उप निरीक्षक प्रेमचंद, गांव बहादुरपुरा, जिला कुरुक्षेत्र।
5. नायब सूबेदार अशोक कुमार, गांव लडरावन, जिला झज्जर।
6. हवलदार दीवान सिंह, गांव आनावास, जिला महेन्द्रगढ़।
7. हवलदार दीवान चंद, गांव बसी अकबरपुर, जिला करनाल।
8. नायक सतीश, गांव नंगला, जिला महेन्द्रगढ़।
9. सिपाही जगमीत सिंह, गांव बड़तौली, जिला कुरुक्षेत्र।
10. सिपाही भूपेन्द्र सिंह, गांव रानीला बास, जिला चरखी दादरी।
11. सिपाही कुलविन्द्र सिंह, गांव अंधेरी, जिला अम्बाला।
12. सिपाही श्रीभगवान, गांव दातौली, जिला चरखी दादरी।
13. सिपाही कुलदीप, गांव बौंद कलां, जिला चरखी दादरी।

यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता है और शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

यह सदन

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया की माता, श्रीमती परवारी देवेवी;

सासंद श्री धर्मबीर सिहं के ससरु, श्री शुभराम;

विधायक राव दान सिहं के भाई, राव रामपाल;

विधायक श्री सुभाष सुधा के भाई, श्री रमेष सूधा;

विधायक श्री जगदीश नायर के भाई, श्री राजवीर सिहंहंहं नायर;

विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा के भाई, श्री राधेश्याम;

विधायक श्री बलबीर सिहं की सास, श्रीमती कमला देवी;

पर्वू मंत्री श्री ओप्रकाश महाजन के भाई, श्री हंस राज महाजन;

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री जिलेराम शर्मा के पिता, श्री इंद्राज शर्मा;

पर्वू विधायक श्री शरे सिहं बडशामी की भाभी, श्रीमती प्रकाश कौर;

पर्वू विधायक श्री गगांराम के पोते, श्री मोहित कुमार तथा श्री बिशम्बर सिहं, विधायक की सास श्रीमती रोशनी देवी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी–सांपला–किलोई) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के 31 अगस्त, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसम्बर, 1935 को हुआ। वे वर्ष 1969, 1975, 1981 तथा 1999 में पांच बार राज्यसभा तथा 2004 व 2009 में दो बार लोक सभा के लिए चुने गये। वे वर्ष 1973–74 के दौरान केन्द्रीय उप मंत्री, 1974–77 के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा 1980–84, 1993–96 तथा 2004–12 के दौरान केन्द्रीय मंत्री रहे। वे वर्ष 1980 से 1985 तक राज्य सभा तथा 2004 से 2012 तक लोक सभा में सदन के नेता भी रहे। वे वर्ष 1991 से 1996 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने 25 जुलाई, 2012 से 25 जुलाई, 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। उन्होंने उच्च संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए न केवल राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ाई बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत बनाने का काम किया। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2008 में पदम विभूषण तथा 2019 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। उनका लम्बा राजनैतिक व प्रशासनिक जीवन सत्यनिष्ठा, कड़ी मेहनत व निःस्वार्थ सेवा भाव से ओत–प्रोत था। अध्यक्ष महोदय, उनके साथ मेरे परिवार की तीन पीढ़ियों को काम करने का मौका मिला। वे मेरे पिता जी के साथ राज्य सभा के सदस्य रहे, मेरे साथ भी लोक सभा के सदस्य रहे और मेरे सुपुत्र के साथ भी लोक सभा में सदस्य रहे। वे मुझे कई दफा कहते थे कि मैंने तुम्हारे परिवार की

तीन–तीन पीढ़ियों के साथ काम किया है। मेरे पिता जी के साथ उनके बड़े अच्छे और घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्ध थे। वे उच्च कोटि के लेखक भी थे। उन्होंने अपने दीर्घ अनुभवों और विशद् ज्ञान को पुस्तकों के माध्यम से साझा किया। लोकतंत्र, संविधान और राजनीति को लेकर साझा किये गये उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके निधन से देश एक उच्च कोटि के शिक्षाविद्, प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से केन्द्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान के 08 अक्तूबर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्री राम विलास पासवान का जन्म 05 जुलाई, 1946 को हुआ। वे वर्ष 1969 में बिहार विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1977, 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 व 2014 में नौ बार लोक सभा तथा 2010 व 2019 में दो बार राज्य सभा के लिए चुने गये। वे वर्ष 1989–90, 1996–2002, 2004–2009 तथा 2014 से अपने अंतिम समय तक केन्द्रीय मंत्री रहे। उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में रहे हुए रेलवे, श्रम एवं कल्याण, संसदीय मामले, संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी, रसायन एवं उर्वरक, इस्पात, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सम्भालने का गौरव हासिल हुआ। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया। मेरे को भी उनके साथ 1991, 1996, 1998 और 2004 में चार बार लोक सभा में रहने का मौका मिला। वे मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी के 23 सितम्बर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्री सुरेश अंगड़ी का जन्म पहली जून, 1955 को हुआ। वे वर्ष 2004, 2009, 2014 तथा 2019 में चार बार लोक सभा के सदस्य चुने गये। वे 30 मई, 2019 से अपने अंतिम समय तक केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। उन्होंने गरीब व ग्रामीण युवाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया। उनके निधन से देश एक अनुभवी

राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह के 27 सितम्बर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्री जसवंत सिंह का जन्म 03 जनवरी, 1938 को हुआ। वे वर्ष 1980, 1986, 1996, 1999 व 2004 में पांच बार राज्यसभा तथा 1990, 1991, 1996 व 2009 में चार बार लोक सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1996 तथा 1998–2004 के दौरान केन्द्रीय मंत्री रहे। उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में रहते हुए वित्त, रक्षा, भूतल परिवहन तथा विदेश मंत्रालय सम्भालने का गौरव हासिल हुआ। वे राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा 1998 से 1999 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। मेरे को भी उनके साथ लोक सभा में दो बार काम करने का मौका मिला। उन्होंने विदेश मामलों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में अनेक लेख लिखे। वे स्वाभिमानी, अनुशासनप्रिय और स्पष्टवादी थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री स्वामी अग्निवेश के 11 सितम्बर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 21 सितम्बर, 1939 को हुआ। वे वर्ष 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 1979 के दौरान मंत्री रहे। वे एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सफल अभियान चलाया।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री देवराज दीवान के 18 अक्तूबर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 20 जून, 1943 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा 2000 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। मैं भी उनके साथ वर्ष 2000 में विधान सभा का सदस्य था।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मामू राम के 29 सितम्बर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 4 मई, 1947 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। वर्ष 2009 में मुझे भी उनके साथ विधायक रहने का मौका मिला।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा की भूवपूर्व सदस्या श्रीमती सरोज के 16 अक्तूबर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 10 जनवरी, 1961 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनी गई। उनकी धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में विशेष रूचि थी। वे मेरे साथ भी वर्ष 2009 में विधान सभा की सदस्या रही।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं रोहतक जिले की स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती कलावती के 20 सितम्बर, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और

वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिये। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं:–

1. कर्नल विनय कुमार यादव, गांव नूनसर, जिला भिवानी।
2. लेफ्टिनेंट कर्नल सत्यदीप ढाण्डा, गांव भगाना, जिला हिसार।
3. उप निरीक्षक, शशांक रावत, पलवल।
4. सहायक उप निरीक्षक, प्रेमचंद, गांव बहादुरपुरा, जिला कुरूक्षेत्र।
5. नायब सूबेदार, अशोक कुमार, गांव लडरावन, जिला झज्जर।
6. हवलदार, दीवान चंद गांव आनावास, जिला महेन्द्रगढ़।
7. हवलदार, दीवान चंद, बसी अकबरपुर, जिला करनाल।
8. नायक सतीश, गांव नंगला, जिला महेन्द्रगढ़।
9. सिपाही, जगमीत सिंह, गांव बड़तौली, जिला कुरूक्षेत्र।
10. सिपाही, भूपेन्द्र सिंह, गांव रानीला बास, जिला चरखी दादरी।
11. सिपाही, कुलविन्द्र सिंह, गांव अंधेरी, जिला अम्बाला।
12. सिपाही, श्रीभगवान, गांव दातौली, जिला चरखी दादरी।
13. सिपाही कुलदीप, गांव बौंद कलां, जिला चरखी दादरी।

मैं इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता हूं। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से शोक–संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया की माता, श्रीमती परवारी देवी, सांसद श्री धर्मबीर सिंह के ससुर, श्री शुभराम, विधायक राव दान सिंह के भाई, राव रामपाल, विधायक श्री सुभाष सुधा के भाई, श्री रमेश सुधा, विधायक श्री जगदीश नायर के भाई, श्री राजबीर सिंह नायर, विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा के भाई, श्री राधेश्याम, विधायक श्री बलबीर सिंह की सास, श्रीमती कमला देवी, पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश महाजन के भाई, श्री हंसराज महाजन, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री जिले राम शर्मा के पिता, श्री इंद्राज शर्मा, पूर्व विधायक श्री शेर सिंह बड़शामी की भाभी, श्रीमती प्रकाश कौर, तथा पूर्व विधायक श्री गंगा राम के पोते, श्री मोहित कुमार, के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो अपनी

संवेदना प्रकट की है, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूं तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक–संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि महान आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

———

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न–काल शुरू होता है।

To Open a Law College

***651. Smt. Renu Bala :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Law College in Bilaspur or Yamunanagar; if so, the time by which it is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्रीमती रेणु बाला : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या यमुनानगर या बिलासपुर जिले में विधि महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है? अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले को लॉ कॉलेज की बहुत आवश्यकता है क्योंकि वहां की लड़कियों को लॉ करने के लिए अपने जिले या प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। अगर हमारे जिले में एक लॉ कॉलेज खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यमुनानगर से 42 किलोमीटर और बिलासपुर से 45 किलोमीटर दूर अम्बाला जिले के अब्दुलगढ़ में एक लॉ कॉलेज है जिसमें 328 सीट्स हैं। यमुनानगर से 39 किलोमीटर और बिलासपुर से 49 किलोमीटर दूर कुरूक्षेत्र जिले के बबैन में भी एक लॉ कॉलेज है जिसमें 101 सीट्स हैं। इसी तरह यमुनानगर से 63 किलोमीटर और बिलासपुर से 44 किलोमीटर दूर बरवाला के गांव गोलपुरा में एक स्वामी देवी दयाल लॉ कॉलेज है, ये तीनों लॉ कॉलेज यमुनानगर और

बिलासपुर से लगभग 45 किलोमीटर के दायरे में हैं। जहां तक पूरे प्रदेश की बात है तो 19 सैल्फ फाईनैंस कॉलेजिज हैं जिनमें 3823 लॉ की सीट्स हैं और 15 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास अपने कैंपस में 4810 लॉ की सीट्स हैं। पांच स्टेट लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें 960 सीट्स हैं और अभी एक डॉ. भीम राव अम्बेडकर नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत में कम्पलीट होने वाली है। उसमें भी बहुत से बच्चों को अवसर मिलेगा। हमारे प्रदेश में पहले से ही लॉ की काफी सीट्स हैं। अध्यक्ष महोदय, 40 से 45 किलोमीटर की दूरी के अन्दर–अन्दर ही लॉ कॉलेज हैं तो मैं समझता हूं कि 40 से 45 किलोमीटर की दूरी कोई ज्यादा दूरी नहीं है।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है लेकिन वहीं दूसरी और जब एक महिला सदस्या कोई प्रश्न करती हैं तो सरकार के मंत्री द्वारा प्रश्न का जवाब 'नही' में दिया जाता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः वरूण जी, वर्तमान संदर्भ, महिला सशक्तिकरण के विषय से किसी प्रकार भी जुड़ा हुआ नहीं है। अब जैसाकि आपने महिला सशक्तिकरण की बात कह दी है तो आपको याद रखना चाहिए कि सदन में प्रश्न काल, एक महिला सदस्य के प्रश्न के साथ ही शुरू हुआ है। अगर किसी प्रश्न का जवाब नॉन–फिजिबिलिटी की श्रेणी में आता है और माननीय मंत्री जी ने इसके ध्यानार्थ, उस प्रश्न का जवाब 'नहीं' में दिया है तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई। अतः आप अपनी सीट पर बैठ जाइये और बिना चेयर की परमिशन के आपको सदन में नहीं बोलना चाहिए।

.....

Construction Work of R.O.B.

***683. Shri Deepak Mangla :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of R.O.B. on Rasulpur (Palwal-Hasanpur Road) and Bamnik Khera-Hasanpur Road is likely to be completed togetherwith the details of amount likely to be incurred thereon?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान जी, रसूलपुर (पलवल–हसनपुर रोड) पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य 31.07.2021 तक पूरा होने की संभावना है। इस कार्य के पूरा होने पर संभावित व्यय 44.70 करोड़ रुपए होगा तथा बामनीखेड़ा–हसनपुर रोड पर आर.ओ.बी का निर्माण कार्य 31.07.2021 तक पूरा होने की संभावना है। इस कार्य के पूरा होने पर संभावित व्यय 48.12 करोड़ रुपए होगा।

श्री दीपक मंगलाः अध्यक्ष महोदय, रसूलपूर (पलवल–हसनपुर) तथा बामणी खेड़ा–हसनपुर सड़क पर रेलवे उपरि पुल का निर्माण कार्य काफी लंबे समय से रूका हुआ है। जिसकी वजह से इसके साथ लगती आस–पास की जो पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड.आर.) डिपार्टमैंट से संबंधित लिंक रोड्ज हैं, उन पर ट्रैफिक का लोड ज्यादा हो गया है और ये लिंक रोड्ज टूट गई हैं। अतः जब तब रेलवे उपरि पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक यदि इन लिंक रोड्ज की मरम्मत का कार्य करवा दिया जाये तो यहां पर दुर्घटनाओं को घटित होने से रोका जा सकेगा और ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को निजात मिल सकेगी।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक दोनों आर.ओ.बीज. की बात है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि 31.7.2021 तक ये दोनों आर.ओ.बीज. कंप्लीट हो जायेंगे। एक आर.ओ.बी. रेलवे की डिजाइनिंग की वजह से पैंडिंग था तो वहीं दूसरा आर.ओ.बी. लैंड एग्विजिशन की वजह से पैंडिंग था। जहां तक लिंक रोड्ज की मरम्मत की बात है, के विषय में बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम रोड्ज को डिफेक्टिव लॉयबेलिटी पीरियड के तहत मरम्मत करवाने का काम किया जायेगा और यदि इसमें कवर नहीं होंगी तो उन रोड्ज की मरम्मत के लिए भी अवश्य संज्ञान लिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब आप लोग बोलने के लिए खड़े हों तो कागज को माइक के सामने न रखें ताकि आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे। अब राव दान सिंह जी आप अपना प्रश्न पूछें।

.....

To Declare Narnaul as a District

***602. Rao Dan Singh :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Narnaul as a new District; if so, the time by which it is likely to be declared ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : नहीं, श्रीमान् जी। वर्तमान में जिला महेन्द्रगढ का मुख्यालय नारनौल है।

राव दान सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि महेन्द्रगढ़ पहला ऐसा जिला है जिसका हैडक्वार्टर इस जिले में न होकर नारनौल में स्थित है। ज्वॉयंट पंजाब से

लेकर अब तक इस जिले में से तीन जिले बन चुके हैं अर्थात महेन्द्रगढ, चरखी दादरी तथा रेवाड़ी। अभी हाल ही में समाचार पत्र के माध्यम से खबर आई कि सरकार नारनौल को भी जिला बनाने जा रही है, यह अच्छी बात है लेकिन किसी जिले का खाली नाम बदलना ही, अच्छी बात नहीं मानी जा सकती और यह हमारे लिए वास्तव में एक तकलीफ की बात होगी। यह एप्रीहेंशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी हमारे साथ कुछ इस तरह की बातें हो चुकी हैं। हमारे यहां जो कोटपुतली से कनेक्टिड नैशनल हाइवे था, इसके लिए हमने इस सदन में आवाज उठाई थी तब जाकर इस नैशनल हाइवे का सपना साकार हुआ था लेकिन दुख की बात यह है कि इस नैशनल हाइवे को डि–नोटिफाई करके स्टेट हाइवे बना दिया गया। इसी प्रकार हमारी सरकार के समय में हमारे यहां आई.एम.टी बनवाया गया लेकिन वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में तब्दील कर दिया। यही नहीं हमारे यहां बन रहे किसान मॉडल स्कूल के कार्य को भी रोक दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय यहां पर आकर लोगों से बात करें तो उन्हें असली हालात का अहसास हो जायेगा। इन सभी बातों के मद्देनज़र मैं एप्रीहैंशन के दृष्टिगत निवेदन करता हूँ कि यदि सरकार नारनौल को जिला बनाती है तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी लेकिन महेन्द्रगढ़ जिले का नाम एज इट इज रखा जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य ने जवाब ठीक से नहीं पढ़ा है। सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें स्पष्ट वर्णित है कि सरकार के पास इस तरह का कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य को तसल्ली देने की एवज में बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार का एक आदेश था जिसके तहत किसी भी प्रकार की नई लैंड बाउंड्रीज, लैंड डिवीजन तथा नाम चेंज करने की पूर्णतयाः मनाही थी। यदि इस आदेश के नजरिये से भी देखा जाये तो इस तरह की बात कतई मुमकिन नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि विधान सभा में लोकल लैवल से संबंधित प्रश्न अर्थात् वार्ड लेवल या फिर अपने शहर की कोई समस्या हो तो उससे संबंधित प्रश्न विधान सभा में न लगायें बल्कि संबंधित प्रश्न स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सॉल्व करवायें। यदि माननीय सदस्य को संबंधित स्थानीय प्रशासन से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उसके बाद ही विधान सभा के पटल पर लेकर आयें। इसी तरह से वार्ड लेवल से संबंधित अगला

प्रश्न नं0 633 माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा का लगा हुआ है। इस बार तो इस तरह के प्रश्नों को सत्र में टेकअप करेंगे, आगे से माननीय सदस्यगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वार्ड लैवल आदि से संबंधित प्रश्न विधान सभा सत्र में न लेकर आयें, केवल प्रदेश स्तर की समस्या से संबंधित बात हो या फिर कोई पॉलिसी मैटर से संबंधित बात हो तो उनको प्रश्नों के माध्यम से विधान सभा सत्र में लगायेंगे तो प्रदेश के विकास के हित के लिये ज्यादा अच्छा होगा।

.....

To Take Action on Irregularities in Booster

***633. Shri Neeraj Sharma :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the reasons for which no action has been taken by the Government against the officers responsible for the irregularities observed by me during a surprise visit at 1:40 A.M on the booster of Ward No. 3 of Faridabad NIT Assembly Constituency for which I have intimated to the Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad by writing a letter togetherwith the details thereof ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, उक्त अनियमितताओं के लिए जिम्मेंदार कनिष्ठ अभियन्ता (आउटसोर्सिंग जन शक्ति एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत) की सेवाओं को नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वार्ड लैवल से संबंधित नहीं है। अगर हरियाणा सरकार का रेवेन्यू बचाना गुनाह है और सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करना गुनाह है तो मैंने आपकी नजर में एक विधायक होने के नाते यह प्रश्न पूछ कर गुनाह जरूर किया है।

श्री अध्यक्षः नीरज शर्मा जी, यह प्रश्न वार्ड लैवल से ही संबंधित है।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 1 दिसम्बर, 2019 को मेरे फरीदाबाद एन0आई0टी0 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड नं0 3 के बूस्टर पर रात को लगभग 1:40 बजे औचक निरीक्षण के दौरान गया था। वहां पर 20 लोग नाजायज रूप से रहते हुए पकड़े गये थे। बिल्डिंग बनी हुई है और उसका बिजली और पानी का बिल सरकार भर रही है। कम्यूनिटी सैंटर करोड़ों रुपयों की लागत से बना हुआ है, जिसका मिसयूज़ हो रहा है। मैंने इस संबंध में धक्के खा–खा कर चण्डीगढ़ में उच्च अधिकारियों से, नगर निगम फरीदाबाद और स्थानीय प्रशासन तक सरकार का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा, जहां पर मैंने इस भ्रष्टाचार के

खिलाफ आवाज नहीं उठाई हो। अध्यक्ष महोदय, जब इस संबंध में विधान सभा में प्रश्न लगाया तो मुझे पता चला है कि इस संबंध में जिम्मेदार कनिष्ठ अभियन्ता (आउटसोर्सिंग जन शक्ति एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत) की सेवाओं को नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा समाप्त कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यह हमारे नगर निगम, फरीदाबाद में भ्रष्टाचार से संबंधित मैटर है। यदि मेरा कार्य लोकल लैवल पर सॉल्व हो जाता तो मैं इस काम के लिए सदन का कीमती समय बर्बाद नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, क्या उस कनिष्ठ अभियन्ता से कोई रिकवरी की गई है, जिस सरकारी पैसे का मिसयूज़ हुआ है? क्या इस संबंध में अन्य अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ भी कोई विभागीय कार्रवाई की गई है? अध्यक्ष महोदय, 10 महीने बाद कनिष्ठ अभियन्ता की सेवाओं को समाप्त कर देना कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है।

श्री अध्यक्षः नीरज शर्मा जी, किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त कर देने से बड़ी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है।

.....

Construction of Ladies Toilet

***693. Shri Balbir Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state the time by which the arrangements for ladies toilets at bus stand of Matloda and Israna are likely to be made till the construction of new buildings at abovesaid bus stands?

परिवहन मन्त्री (पण्डित मूलचन्द शर्मा) : श्रीमान् जी, पानीपत–रोहतक राजमार्ग पर फ्लाईओवर के निर्माण के कारण इसराना बस अड्डे के प्रवेश और निकास द्वार अवरूद्ध हैं। जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में इसराना बस अड्डा संचालन में नहीं है। जैसे ही बस अड्डा संचालित होगा, महिला शौचालय के निर्माण की कार्यवाई तुरन्त अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, गाँव मतलौडा में महिला शौचालय के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वहां सिर्फ एक बस क्यू शैल्टर है और बस क्यू शैल्टरों पर शौचालय का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा के पिछले सत्र में भी कहा था कि फ्लाईओवर के कारण इसराना का बस स्टैण्ड संचालन में नहीं आ रहा है । अध्यक्ष महोदय, उस बस स्टैण्ड से 30 गांव जुड़े हुए हैं लेकिन वहां के निवासियों को फ्लाईओवर के कारण बस स्टैण्ड तक आने–जाने में परेशानी होती है । वहां पर

कई लोगों की मौत भी हो चुकी है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां पर नये बस अड्डे को कब तक बना दिया जाएगा ? इसके अलावा मतलौडा ब्लॉक इसराना हल्के में पड़ता है । मतलौडा के बस स्टैण्ड से भी 40 गांव जुड़े हुए हैं और इस पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है । दुःख की बात है कि वहां पर कोई भी महिला शौचालय नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे वहां महिलाओं को मतलौडा बस स्टैण्ड की इस समस्या से कब मुक्ति दिला देंगे ?

पण्डित मूलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसराना बस अड्डे के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत ने 11 कनाल 13 मरला भूमि दी थी । उस भूमि पर बस अड्डे का निर्माण कर दिया गया है लेकिन उसके सामने फ्लाईओवर की वजह से उसका संचालन नहीं हो रहा है । यदि ग्राम पंचायत की तरफ से हमें कोई सूटेबल जमीन मिल जाएगी तो हम वहां पर नया बस अड्डा बना देंगे ।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी का जवाब समझ नहीं आया कि इन्होंने यह जवाब कौन–से बस स्टैण्ड के बारे में दिया है ।

पण्डित मूलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बस अड्डा इसराना पानीपत डिपो के अन्तर्गत आता है । इसराना एन.एच.–71 'ए' पर पानीपत–गोहाना के बीच स्थित है । यह पानीपत से 20 किलोमीटर और गोहाना से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । इसराना में 11 कनाल 13 मरला भूमि पर तीन बेज के बस अड्डे का निर्माण किया गया था तथा दिनांक 1.08.1995 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था । यह भूमि ग्राम पंचायत, इसराना द्वारा निःशुल्क दी गई थी । लगभग 85 बसें (हरियाणा रोडवेज और सहकारी समिति संचालित) इसराना से गुजरती हैं । बस अड्डा इसराना 7–8 वर्ष पहले सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा था परन्तु बस अड्डा इसराना के सामने फ्लाईओवर के निर्माण के पश्चात् बसों/बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए कोई पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है । इसके अलावा, फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड़ पर भी जगह बहुत भीड़भाड़ वाली है और बसों/बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है क्योंकि वर्तमान में बस अड्डे का संचालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस बस अड्डे में शौचालय उपलब्ध करवाने की आवश्यकता नहीं है ।

मतलौडा गांव पानीपत–जीन्द रोड पर स्थित है और यह मुख्य बस अड्डा पानीपत से 18 किलोमीटर दूरी पर है । मतलौडा में कोई बस अड्डा नहीं है लेकिन एक बस क्यू शैल्टर का निर्माण किया गया है । इस बस क्यू शैल्टर की निर्माण लागत 1,70,000/– रूपये है । मतलौडा से लगभग 60 बसें गुजरती हैं ।

बस क्यू शैल्टर 22' X 9' X 7' 9" (ऊँचाई) आकार की एक छोटी संरचना है जिसका निर्माण यात्रियों को बसों की प्रतीक्षा के लिए और बारिश, धूप आदि से आश्रय प्रदान करने के लिए किया जाता है । नियमानुसार बस क्यू शैल्टर में शौचालय निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसराना और मतलौडा इन दोनों के बस अड्डों में दिक्कत है । इसराना के बस अड्डे का तो हाल यह है कि वहां पर कोई भी बस नहीं जाती है ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के जवाब के बारे में माननीय सदस्य को क्लीयर करना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने 2 स्थानों इसराना और मतलौडा के बारे में प्रश्न किया है । पहला, इसराना का बस अड्डा फ्लाइओवर बनने के बाद इनइफैक्टिव हो गया है । अब वहां पर बसें नहीं जा रही हैं । उसके बारे में हमारे 2 प्रस्ताव हैं । पहला, यदि ग्राम पंचायत की तरफ से उस जमीन को वापिस लेकर उसके स्थान पर किसी अन्य जगह जमीन देने का प्रस्ताव आता है तो हम वहां पर नये बस अड्डे का निर्माण कर देंगे । दूसरा, हम बस अड्डे की उस जमीन को उस फ्लाईओवर के शुरू होने या खत्म होने की जगह पर किसी प्राइवेट लैण्ड से एक्सचेंज करके जमीन लेकर वहां पर एक नये बस अड्डे का निर्माण कर देंगे । जब इसराना के लिए नये बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा तो वहां पर शौचालय, पीने का स्वच्छ पानी आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी । आज इसराना का बस स्टैण्ड ऑपरेशनल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मतलौडा में बस स्टैंड नहीं है। मतलौडा में सिर्फ एक बस क्यू शैल्टर बना हुआ है और बस क्यू शैल्टर पर शौचालय या दूसरी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। यह गांव धीरे–धीरे आबादी के हिसाब से बड़ा होता जा रहा है। अगर वहां पर पंचायत जमीन उपलब्ध करवा देगी तो वहां पर बड़े गांव के हिसाब से बस स्टैंड भी बनवा दिया जाएगा।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मतलौडा गांव के आसपास 40 गांव लगते हैं। वहां पर भीड़ बहुत

ज्यादा है और बस क्यू शैल्टर पर महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं है। वहां पर नया बस स्टैंड कब तक बनवा दिया जाएगा ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य मतलौडा गांव में पंचायती जमीन उपलब्ध करवा देंगे तो वहां पर तुरंत बस स्टैंड बनवा दिया जाएगा।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मतलौडा गांव में बस स्टैंड बनाया जाना चाहिए क्योंकि लोगों को आने–जाने में दिक्कतें आ रही है और यह लोगों की मांग भी है।

श्री अध्यक्षः बलबीर सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी डिटेल से आपके सवाल का जबाव दे दिया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

———————

To Emanate the Canals

@ *656. Shri Shishpal Singh Keharwala : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to emanate canals from Ghaghar river from village Ranga to villages Anandgarh and Rohianwali of block Badaguda and villages Baruwali and Vedwala of block Sirsa in Kalanwali Assembly Constituency; if so, the details thereof?

*** मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : नहीं, श्रीमान जी।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि घग्गर नदी के साथ लगता 25 किलोमीटर का ऐसा एरिया है, जिसमें पानी का इतंजाम नहीं है। इस कारण सिंचाई से खेती करने में प्रॉब्लम आ रही है। सरकार इस विषय पर सिम्पथेटिक व्यू लेकर इसका प्रावधान करे ताकि आगे आने वाले समय में किसानों की यह प्रॉब्लम दूर हो सके।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या उस एरिया में पानी के लिए कुछ प्रावधान हो सकता है ? अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

.....

@ Ask by Shri Shamsher Singh Gogi

*** Reply given by the Agriculture and Farmer Welfare Minister**

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष महोदय, घग्गर नदी के साथ लगते 25 किलोमीटर के एरिया में नहरी पानी का प्रावधान नहीं है और वह बैरानी एरिया है। वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। अगर माननीय मंत्री जी इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके माईनर बनवाकर पानी उपलब्ध करवा दें तो किसानों का बहुत फायदा होगा और आपका भी धन्यवाद होगा।

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के अन्दर आबपाशी पूरी है और वहां पर 150 प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई नहर से होती है। घग्गर नदी से सिर्फ सिंचाई के लिए पानी सरप्लस होता है और वह 15–20 दिन के लिए ही होता है। बाकी और नहरें निकली हुई हैं, 63 नम्बर बुर्जी से एक नहर निकाली है और उसमें 15–20 दिनों तक पानी चलता है। इस चीज को देखते हुए माननीय सदस्य ने जो नहर निकालकर पानी देने की मांग की है, वह संभव नहीं है क्योंकि घग्गर नदी में इतना पानी नहीं होता है।

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बारे में विभागीय अधिकारियों से डिस्कस कर लें।

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि डिस्कस करने से क्या होगा क्योंकि उस नदी में इतना पानी ही नहीं है और अगर पानी ही नहीं है तो नई नहर निकालने से क्या फायदा होगा ?

To Re-Model Main Drain No.1

***593. Shri Harvinder Kalyan :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the main drain No.1 constructed for the disposal of sewerage/storm water which starts from Karnal is technically defective and improper for the disposal of such water;

(b) whether it is also a fact that frequent breaches in main drain No.1 due to overflow damages crops of farmers every year especially in Gharaunda area; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to re-model main drain No.1 and to connect it with

main drain no.2 for the smooth disposal of water; if so, the details thereof ?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क), (ख) व (ग) नहीं, श्रीमान जी।

श्री हरविन्द्र कल्याणः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुरानी समस्या है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार को दोबारा से अध्ययन करना पड़ेगा। इसके लिए न केवल इरीगेशन विभाग बल्कि पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग दोनों विभागों का सामूहिक कार्य है क्योंकि करनाल से निकलने वाली पुरानी ड्रेन नम्बर–1 मेरे विधान सभा क्षेत्र के कैरवाली गांव में जाकर खत्म हो जाती है और उसके बाद इसका अगला टुकड़ा वर्ष 2012–13 में यमुना तक बनाया गया था, उसको पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग ने बनाया था। अभी वहां पर समस्या यह है कि पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग ने जो नाला बनाया था, वह बहुत ही कम चौड़ाई का है। जोकि बरसात के पानी का लोड नहीं ले सकता। जिसके कारण वहां पर 100 एकड़ लैंड में पानी भर जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय पर संयुक्त रूप से न केवल इरीगेशन विभाग जिसने यह जबाव दिया है बल्कि पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग भी इस पर कार्य करे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी आग्रह है कि पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग ने जो टुकड़ा बनाया है, वह इरीगेशन विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि इसमें अलग–अलग डिपार्टमैंट्स होने से समस्याएं आती रहती हैं। इसमें जो तुरंत री–मॉडलिंग की जरूरत है, उसके लिए विभाग द्वारा प्लान बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दूसरा अनुरोध यह है कि इस ड्रेन के पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग वाले हिस्से का रख–रखाव करनाल के नगर निगम को दे दिया गया है। मुझे लगता है कि इसमें उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए उसके रख–रखाव का कार्य इरीगेशन विभाग के पास ही होना चाहिए।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहले मुख्य ड्रेन संख्या–1 का पानी निकालने के लिए नैचुरल ग्रिप बना हुआ था। अध्यक्ष महोदय, पहले जिन किसानों के पास यहां जमीन थी, अब उन्होंने उस जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया है। माननीय सदस्य की

.....

@ Reply given by the Agriculture and Farmer Welfare Minister

बात जायज है कि खेतों में बरसाती पानी भर जाता है लेकिन पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वहां नाला बनाकर पानी निकालने की व्यवस्था की गई थी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि शहर के सीवरेज का पानी उसी नाले में से जाता है। माननीय सदस्य की मांग है कि इस ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाई जाये तो इनके साथ संबंधित विभाग की मीटिंग कर लेंगे और यदि इसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकलेगा तो इस मामले पर विचार किया जा सकेगा।

श्री हरविन्द्र कल्याण : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं परन्तु मैं माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि जो मुख्य ड्रेन संख्या–1 है, वह लगभग 18 किलोमीटर के बाद इंद्री इस्केप में जाकर मिलती है। इंद्री इस्केप आगे जाकर जो छोटी यमुना पुराने समय में हुआ करती थी, यह वही ड्रेन है। वहां पर अभी किसानों ने खेती करना शुरू किया है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस ड्रेन को रि–मॉडल करके बनाया जायेगा तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को इसका बहुत फायदा होगा।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले माननीय सदस्य को बताया कि यहां पर पहले नैचुरल ग्रिप हुआ करता था। वहां की जमीन की मलकियत किसानों के पास थी, अब उन्होंने वहां पर उस नाले को खत्म कर दिया है। अब यह देखना है कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था और क्या हो सकती है? अभी फिलहाल यह मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बनाये गये नाले को हम बरसाती पानी निकालने के लिए यूज करते हैं। माननीय सदस्य की मांग है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाये तो माननीय सदस्य के साथ संबंधित विभाग की मीटिंग कर लेंगे और यदि इसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकलेगा तो इस मामले पर विचार किया जा सकेगा।

श्री हरविन्द्र कल्याण : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इस मामले में पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग का कोई इशू नहीं होना चाहिए। पिछली सरकार के समय में वर्ष 2012–13 में इसका किस प्रकार से फैसला हुआ, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु यह विषय इरीगेशन विभाग से संबंधित है इसलिए इस मामले को इरीगेशन विभाग से ही विचार विमर्श करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : कल्याण जी, आप एक बार इस मामले में माननीय मंत्री जी के साथ मिलकर चर्चा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि यह केवल मुख्य ड्रेन संख्या–1 की समस्या नहीं है। करनाल जिले के गांवों में बरसाती पानी भरा हुआ है और नाले बंद हो जाने के कारण चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। इन नालों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इन गांवों में गंदे पानी को निकालने के लिए अगर ड्रेनें बना दी जायें तो इस तरह की समस्याएं हल हो सकती हैं। हमारे लिए यह बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है जिसे श्री हरविन्द्र कल्याण जी नहीं बता सकते हैं, उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो ड्रेनें बनी हुई हैं, उनकी प्रोपर तरीके से सफाई नहीं होती है बल्कि कागजों के अंदर ही इसकी सफाई दिखा दी जाती है। हाल ही में मेरे हल्के में बाढ़ आई थी तो मैं हांसी–बुटाना नहर में पानी के फ्लो को चैक करने के लिए गया तो मैंने देखा कि वहां पर ट्यूबवैल्ज चलाये जा रहे हैं और कैथल की तरफ पानी उल्टा जा रहा है। उसके बाद मैंने इस बारे में संबंधित एक्सीयन साहब को फोन किया तो उसने मुझे बताया कि यह काम एक्सीयन कैथल के अंडर आता है इसलिए वे ही इसकी सफाई करवाते हैं। जब मैंने इस बारे में कैथल एक्सीयन से बात की तो उसने बताया कि सर कैथल एरिया में तो इसकी सफाई करवा दी गई है परन्तु आगे की जगह साफ नहीं की है जिसके कारण पानी उल्टा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाये। एक तरफ तो सरकार हर रोज ''स्वच्छ भारत अभियान'' की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर इन नालों की सफाई ठीक तरह से की जायेगी तो इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

.....

Pradhan Mantri Awaas Yojna-Gramin

***665. Shri Lakshman Napa**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that funds under the Pradhan Mantri Awaas Yojna-Gramin are not being released for the last many days in the State; and

(b) If so, the reasons thereof?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : नहीं, श्रीमान जी, इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 (27.10.2020 तक) के दौरान कुल 11.35 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों को उनके घरों को पूरा करने के लिए जारी की जा चुकी है।

श्री लक्ष्मण नापा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूता हूं कि जो 11 करोड़ 35 लाख रूपये की राशि है यह वर्ष 2017–18 की है। मेरे विचार में इस फाईनैंशियल ईयर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी मकान आबंटित नहीं किया गया है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या दिक्कत है? क्या इसमें कोई केन्द्र सरकार की भी योजना है?

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने बात रखी मैं उस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि अब तक हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20432 मकान आबंटित किये गये हैं। इसके लिए कुल 284.92 करोड़ रूपया सैंक्शन हुआ है। जहां तक पहली और दूसरी किस्त की बात है पूरे प्रदेश के अंदर यह पैसा रिलीज कर दिया गया है और 485 ऐसे मकान ही बकाया हैं जिनकी तीसरी किस्त जो कम्पलीशन पर देय होती है वह देनी है। जहां तक नये मकानों की बात है केन्द्र सरकार की तरफ से इसका सर्वे भी करवाया जा रहा है। अगर कोई स्पैशिफिक केसिज स्टेट गवर्नमैंट के पास आयेंगे हम उनको भी सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ टेक–अप करेंगे क्योंकि Housing for all हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमने एक विभाग बनाया है जिसमें अर्बन–रूरल हाउसिंग को इक्ट्ठा करके जितने और हाउसिंग प्रोग्राम्ज़ स्टेट गवर्नमैंट के चलते थे भविष्य में उस डिपार्टमैंट के माध्यम से ही टेक–अप किये जायेंगे।

श्री लक्ष्मण नापा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस जानकारी के लिए माननीय उप–मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

———

To Start Construction Work f Sub-Division Building

***575. Smt. Naina Singh Chautala :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of sub-division building in Badhra is likely to be started ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : बाढड़ा में उप–मण्डल भवन के निर्माण हेतु भूमि की पहचान की जा रही है। तत्पश्चात् निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मुझे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप इस क्वैश्चन को उप–मुख्यमंत्री जी से घर में ही पूछ लेते। मैं यह समझती हूं कि ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं अगर उनको यहां पर पूछा जाये तो ज्यादा असर पड़ेगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि बाढड़ा को तीन साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उप मण्डल का दर्जा दिया था लेकिन आज तक भी बाढड़ा में उप मण्डल ऑफिसिज के लिए न तो जमीन ही एक्वॉयर की गई और न ही वहां पर कोई बिल्डिंग ही बननी स्टार्ट हुई है। अध्यक्ष जी, मेरा तो आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि क्या बाढड़ा में जमीन एक्वॉयर करके उप मण्डल स्तर के सभी ऑफिसिज के लिए बिल्डिग का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाया जायेगा? पूरे हरियाणा प्रदेश में बाढड़ा हल्का है जिसकी जनता को अपने कामों के लिए दादरी भी जाना पड़ता है और भिवानी में भी जाना पड़ता है। इस प्रकार से एक ही विधान सभा हल्के के कामों के लिए दो–दो डी.एस.पी. और दो–दो एस.डी.एम. नियुक्त हैं। मैं यह समझती हूं कि जब बाढड़ा में उप मण्डल स्तर के सभी ऑफिसिज शुरू हो जायेंगे तो उससे बाढड़ा की जनता की कार्यों को करवाने में आ रही ज्यादातर परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जायेंगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से पुनः यह पूछना चाहती हूं कि बाढड़ा में उप मण्डल स्तर के सभी ऑफिसिज की बिल्डिंग के लिए कब तक जमीन एक्वॉयर करके निर्माण कार्य पूरा करवाकर बाढड़ा को तोहफा दिया जायेगा?

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, जहां तक उप मण्डल स्तर के ऑफिसिज के लिए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की बात है बाढड़ा की पंचायत के पास सब–डिवीजन के ऑफिसिज के लिए सफीशिएंट जमीन नहीं है। इसके लिए गवर्नमैंट को लैण्ड की जरूरत है। हमने बाढड़ा से निकलने वाली चारों मुख्य सड़कों पर ई–भूमि पर नोटिफिकेशन डाल दी है कि अगर इस उद्देश्य के लिए कोई किसान अपनी लैण्ड देना चाहता है तो सरकार उसको उचित मूल्य पर परचेज करने के लिए तैयार है। मैं एश्योर करता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर–अंदर ई–भूमि के माध्यम से हम

लैण्ड एलोकेट भी कर लेंगे और एक्वॉयर भी कर लेंगे। उसके बाद जो आगे का प्रोसैस होगा उसको भी स्टार्ट कर लेंगे।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से यह कहना है कि बाढड़ा के लोग उप मण्डल स्तर के ऑफिसिज के लिए बनने वाली बिल्डिंग के लिए आवश्यक जमीन देने के लिए तैयार हैं लेकिन जो रेट गवर्नमैंट दे रही है वह बहुत ही कम है। किसान तो मार्किट रेट पर ही अपनी जमीन दे सकता है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो वहां का जायज रेट है उस रेट पर सरकार किसानों से जमीन लेकर उप मण्डल स्तर के ऑफिसिज के लिए बनने वाली बिल्डिंग का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाया जाये। मेरा यह भी कहना है कि कोई भी किसान कौड़ियों के भाव पर अपनी जमीन नहीं बेच सकता।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, जहां तक जमीन के रेट की बात है ई–भूमि के अंदर यह फ्लैक्सिबिलिटी है कि कलैक्टर रेट या फिर मार्किट रेट के ऊपर जहां भी उचित दाम के ऊपर फार्मर अपनी जमीन देने के लिए तैयार होगा वह अपनी ओर से ऑन लाईन ऑफर कर दे और उसको स्टेट गवर्नमैंट प्रक्योर करती है उसके ऊपर जैसा अभी माननीय विधायिका ने कहा है अगर वे हमें किसी चिन्हित किसान के बारे में जानकारी दे देंगे तो हम डिप्टी कमिश्नर की हम जिम्मेदारी लगायेंगे कि उनको बुलाकर 10 एकड़ लैण्ड को एलोकेट भी कर लें और एक्वॉयर भी कर लें।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगी कि डी.सी. साहब ने जगह वगैरह सारी देखी हुई है। सिर्फ उप मुख्यमंत्री जी की परमिशन की जरूरत है। एक जगह तो बिल्कुल बाढड़ा के पास में ही है इसलिए उप मुख्यमंत्री जी आवश्यक आदेश जारी कर दें वहां पर जमीन पूरी तरह से तैयार है।

श्री दुष्यंत चौटाला : माननीय अध्यक्ष जी, मैं हाउस के अंदर यह एशोरैंस देता हूं कि डिप्टी कमिश्नर के साथ ही साथ जो एक्वीजिशन से सम्बंधित दूसरे अधिकारी हैं उनकी बैठक बुलाकर इस बाबत पूरी प्रोसैस को 30 दिन के अंदर कम्पलीट करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, माननीय सदस्या जी ने बाढड़ा से सम्बंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं यह बताना चाहती हूं कि बाढड़ा एन.सी. आर. के अंदर आता है। जब श्रीमती श्रुति चौधरी लोक सभा सांसद थी उस समय

बाढड़ा को एन.सी.आर. में शामिल किया गया था। उसका मतलब यही था कि एन.सी.आर. की सारी की सारी सुविधायें बाढड़ा को मिलनी चाहिएं। चाहे वह जमीन का कम्पनसेशन हो वह भी एन.सी.आर. के मुताबिक मिलना चाहिए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे हमें पक्का बता दें कि जो जमीन का मुआवजा देंगे क्या वह गुरूग्राम की तर्ज पर ही दिया जायेगा या कम दिया जायेगा?

श्री दुष्यंत चौटाला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या जी ने जो बाढड़ा को एन.सी.आर. में शामिल करवाने का क्रेडिट लेने की बात कही है उस बारे में मेरा यह कहना है कि मुझे लगता है कि वहां के निवासी इससे परेशान भी हैं चाहे वे ईंट भट्ठा मालिक हों एन.सी.आर. की वजह से वे भी परेशान हो जाते हैं। जहां तक जमीन का रेट देने की बात है इस बारे में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि गुरूग्राम और बाढड़ा के लैण्ड रेट्स में दिन–रात का फर्क है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी कहना है कि वे रैस्ट एश्योर्ड रहें कि जहां पर मार्किट प्राईज की बात है फॉर्मर जिस प्राईज पर अपनी जमीन देने को सहमत होंगे सरकार उसी दाम पर खरीदेगी। पहले की तरह नहीं सैक्शन–4 और 6 लगाकर किसान की जमीन को डेढ़ लाख रूपये, दो लाख रूपये या पांच लाख रूपये एकड़ के दाम देकर खरीदेगी।

.....

To open a Regional Centre of Lala Lajpat Rai University, Hisar

***513. Dr. Krishan Lal Middha :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a regional centre of Lala Lajpat Rai University of Vatering and Animal Sciences in Jind.

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : नहीं श्रीमान् जी।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, हिसार का पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान का कोई क्षेत्रीय केन्द्र प्रदेश के किसी भाग में खोला हुआ है?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, हिसार के प्रदेश में तीन–चार

जगह पर क्षेत्रीय केन्द्र खुले हुए हैं। इसके अलावा दो जगहों पर और भी प्रस्तावित हैं। माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र जीन्द में भी क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का एक प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ है। हम उसको खोलने बारे अवश्य विचार करेंगे।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि जीन्द मुर्राह नस्ल का सबसे बड़ा केन्द्र है। अगर वहां पर यह क्षेत्रीय केन्द्र खोला जायेगा तो लोगों को इससे बहुत फायदा मिलेगा।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जीन्द जिले के गांव बढ़ाना में 82 कनाल, 16 मरले जमीन को 33 साल के लिए पट्टे पर लेने का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है। हम वहां पर एक अच्छा पशु विज्ञान केन्द्र स्थापित करेंगे जिसमें तरह–तरह की बीमारियों का ईलाज होगा, सर्जरी होगी तथा एक्स–रे मशीन भी होगी। इसके अलावा बाकी सुविधाएं भी होंगी। भविष्य में भी अगर माननीय सदस्य इससे अच्छी जमीन का कोई प्रस्ताव दें तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बेरी विधान सभा के गांव लकड़िया में एक मुर्राह बुफैलो का रिसर्च सैन्टर खोला गया था। उसके लिए गांव की तरफ से 8–10 एकड़ जमीन दी गई थी। वह केन्द्र बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। वह मुर्राह नस्ल का जर्म प्लाज्मा का मेन केन्द्र था। रोहतक और जीन्द उसकी विसीनीटी थे। इसकी सीमन की ट्रांस्पोर्टेशन का काम भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। बहुत समय पहले इसकी बिल्डिंग डैमेज हो गई थी और उस रिसर्च सैंटर की एक्टिविटीज एच.ए.यू. या कहीं और शिफ्ट कर दी गई। नई बिल्डिंग के लिए ऐस्टीमेट तैयार हुआ तथा उस पर 5–6 करोड़ रुपये की लागत से नई बिल्डिंग का निर्माण भी हो गया लेकिन उस नई बिल्डिंग में पुलिस थाना खोल दिया गया जिसके कारण वहां पर रिसर्च सैन्टर की एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो गई। जब मैंने सदन में उस बारे में आवाज उठाई तो वहां से थाना हटा दिया गया। उस सैन्टर पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है तो रिसर्च की एक्टिविटीज भी शुरू होनी चाहिएं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस बिल्डिंग में मुर्राह बुफैलो की रिसर्च एक्टिविटीज कब तक शुरू कर दी जायेंगी?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुर्राह नस्ल की बुफैलो के लिए हरियाणा प्रदेश प्रसिद्ध है। इसके हमने बहुत बढ़िया सीमन सैंटर भी स्थापित किये हैं और सारी दुनिया के अन्दर सबसे अच्छी हमारे प्रदेश की मुर्राह बुफैलो हैं। अगर उस बिल्डिंग के अन्दर थाना खोला गया है तो हम उस बिल्डिंग को खाली करवा देंगे और जिस प्रपज के लिए वह बिल्डिंग बनाई गई है उसको उसी प्रपज के लिए यूज करवा देंगे। अगर आप इसकी सूचना पहले दे देते तो हम इसको पहले खाली करवा देते।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मंत्री जी को माननीय सदस्य की बात समझ नहीं आई है। जैसे पहले परिवहन मंत्री जी ने जो जवाब दिया था वह भी बड़ा डिटेल में दिया जिसका जवाब भी बाद में मुख्यमंत्री जी को ही देना पड़ा। इसी तरह हरविन्द्र कल्याण जी ने एक पब्लिक हैल्थ विभाग से संबंधित सवाल पूछा था उनके जवाब में पब्लिक हैल्थ विभाग की कोई बात ही नहीं थी इसलिए आप मंत्री जी को कहें कि वह तैयारी करके आएं। (शोर एवं व्यवधान) जवाब देना सरकार की रिस्पोंसिबिलिटी है। सारा प्रदेश देख रहा है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब मिल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, जो भी विधायक प्रश्न करता है अगर वह मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट है तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने दूसरा प्रश्न पूछा है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हरविन्द्र कल्याण जी ने बाढ़ के पानी को कंट्रोल करने के बारे में डिटेल में एक सवाल पूछा था लेकिन मंत्री जी द्वारा उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया और आपने दूसरे मैंबर का नाम बोल दिया। आप श्री हरविन्द्र कल्याण जी से पूछ लें कि क्या वे अपने सवाल के जवाब से संतुष्ट हैं? वे तो गवर्नमैंट की पार्टी के विधायक हैं। मेरा सदन के नेता से भी यही निवेदन है कि वे मंत्री जी को कहें कि वे तैयारी करके आएं। सदन में सरकार का कोई भी मंत्री तैयारी करके नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, ऐसा नहीं है। प्लीज, अब आप बैठ जाईये।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि थाना खोले जाने का सवाल कहीं नहीं था।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ———— (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, प्लीज आप बैठ जाईये।(शोर एवं व्यवधान) मैं यह लिख कर दे सकता हूं कि मंत्री जी के जवाब से मैंबर संतुष्ट है। जिस सदस्य ने प्रश्न पूछा है वह संतुष्ट है।(शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाईये। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप बैठ जाईये। आपने भी पहले सदन चलाया है। (शोर एवं व्यवधान)

.....

To Develop of Morni as a Tourist Spot

***675. Shri Pardeep Chaudhary :** Will the Tourism Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop Morni as a Tourist Spot in the Kalka Constituency; if so, the steps taken by the Government to boost tourist activities in the Morni area?

पर्यटन मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, हां एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

मोरनी क्षेत्र को पहले से ही एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा मोरनी में माउंटेन क्वैल नाम से एक सुव्यवस्थित पर्यटन परिसर, विकसित किया गया है। जिसमें अतिथि कक्ष, रेस्तरां, लोबी, सीट आउट टेरस, सम्मेलन कक्ष आदि की सुविधाएं है। मोरनी की पहाडियों में यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मोरनी में पर्यक विभाग द्वारा टिक्कर ताल पर्यटन भवन को पर्यटन स्थल विकसित किया गया है जिसमें कमरे, कैफेटेरिया, भोजन कक्ष, कैम्पाईग साईंट, व्यूईगं डैक इत्यादि सुविधाएं है।

इसके इलावा वर्तमान में सरकार के पास कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रदीप चोधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं और जिसके बारे में मैं जब पंचकूला में बजट से पूर्व बजट पर चर्चा हो रही थी उस समय मंत्री जी से मिला भी था। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि कंट्रोल्ड एरिया मोरनी के साथ हमारे क्षेत्र में भी बहुत जगह

पेरीफेरी एक्ट लागू है जिससे वहां के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए जब तक कंट्रोल्ड एरिया मोरनी से इस एक्ट को हटाया नहीं जाता तब तक वहां के लोगों को बहुत दिक्कत व परेशानी है। अगर आप मोरनी को पर्यटक स्थल में विकसित करना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी व मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कंट्रोल्ड एरिया को खत्म किया जाए। तभी वहां का एरिया विकसित हो सकता है और तभी मोरनी को ट्यूरिजम प्लेस कह सकते हैं।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कंट्रोल्ड एरिया का प्रश्न नहीं था। इनका प्रश्न तो दूसरा था।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि हम मोरनी को विकसित कर रहे हैं लेकिन विकसित तो तभी होगा जब मोरनी के आस–पास का कंट्रोल्ड एरिया खत्म होगा क्योंकि वहां पर हुडा वाले बार–बार जाकर लोगों को तंग करते हैं। वे कभी–कभी तो किसी के घर व दुकान को गिरा देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक वहां कोई दुकान या होटल नहीं खुलेंगे तब तक मोरनी का एरिया विकसित कैसे होगा? अध्यक्ष महोदय, मोरनी का एरिया विकसित तो तभी होगा जब वहां से कंट्रोल्ड एरिया खत्म होगा।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, इस मैटर को तो टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग देखेगा। माननीय सदस्य ने मुझसे पर्यटक स्थल डिवैल्प करने के बारे प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, उनकी यह मांग है कि मोरनी से कंट्रोल्ड एरिया को खत्म किया जाए।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, हम इस पर विचार कर लेंगे। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सरकार वहां पर बाईसिकिल पाथ बनाने पर विचार कर रही है। जिसके लिए उसकी फिजिब्लिटी देख रहे हैं। इसी के साथ–साथ वहां पैरा ग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून की सुविधा पर भी विचार कर रहे हैं और अगर फिजिबिलिटी बनेगी तो इनको भी शुरू किया जायेगा इसके अतिरिक्त जैसाकि आजकल लोग रूरल पहाड़ी एरियॉज में रहने के ज्यादा इच्छुक हो रहे हैं, के दृष्टिगत मोरनी एरिया के लिए होम स्टे पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं। इससे यहां के लोगों को घर बैठे रोजगार मिलेगा। इस तरह की पॉलिसी हिमाचल, उत्तराखंड व सिक्किम में बहुत पापुलर रही है,

हालांकि हमारी भौगोलिक स्थिति इन राज्यों से बिल्कुल अलग है परन्तु बावजुद इसके लोगों द्वारा शिमला के बाद मोरनी को ज्यादा अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में पसन्द किया जा रहा है। जहां तक कोरोना काल की बात है, इस कोरोना काल में पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है लेकिन यदि मोरनी क्षेत्र के हिसाब से पर्यटन क्षेत्र का लेखा–जोखा देखें तो पायेंगे कि हमारे मोरनी क्षेत्र में इस कोरोना काल में भी पर्यटकों की संख्या पहले से बहुत ज्यादा रही है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है।

श्री प्रदीप चौधरीः अध्यक्ष महोदय, होम स्टे पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी है। इससे मोरनी क्षेत्र के लोगों के घरों में गैस्ट ठहरेंगे जिससे उनको आय प्राप्त होगी लेकिन इसके साथ–साथ मेरा माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि यहां पर जो कंट्रोल्ड एरिया है, उसको खत्म कर दिया जाये तो मोरनी क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को और ज्यादा बल मिलेगा।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि इन्होंने जो बात उठाई है, उन पर निःसंदेह विचार किया जायेगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि अभी सदन में कंट्रोल्ड एरिया की बात हो रही है, के संदर्भ में मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ। कंट्रोल्ड एरिया का विषय कहीं न कहीं फारेस्ट डिपार्टमैंट से संबंधित है, अतः कंट्रोल्ड एरिया को खत्म करने का समाधान फारेस्ट डिपार्टमैंट के साथ मिलकर संभव हो सकता है। जहां तक मोरनी को विकसित करने की बात कही जा रही है, जिस समय हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मैं पर्यटन मंत्री हुआ करती थी तो उस समय हमने मोरनी के टिक्करताल तथा माउंटेन–क्वेल टूरिस्ट कांप्लेक्स को पूरी तरह से विकसित करने का काम किया था। यहां पर जो फोर्ट है उसको विकसित करके टूरिज्म के लायक बनाया गया था और कमरे बनाने का भी काम किया गया था। आज यहां पर हाल बेहाल हो चुका है। इन सारे कार्यों पर बहुत पैसा खर्च किया गया था अतः वर्तमान सरकार को इस दिशा में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरियाणा प्रदेश में मोरनी व टिक्करताल ही ऐसे एरियाज हैं जहां पर कोरोना काल में भी लोगों ने इन स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में चुनने का काम किया था। अगर मोरनी को अच्छी तरह से विकसित किया जायेगा तो यहां पर पर्यटक की अच्छी संभावनायें बढ़ेंगी। इसलिए एक तो फोर्ट को विकसित किया जाये और दूसरा

फोरेस्ट के अंदर टेंटिड अकोमोडेशन को बढ़ावा दिया जाये तो यहां के पर्यटन को काफी उंचाइयां प्राप्त होंगी और आगे जाकर इसका बहुत फायदा होगा। इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि महेन्द्रगढ़ में जो फोर्ट है, उसको भी पर्यटक क्षेत्र के लिए विकसित किया जा सकता है। पिछली विधान सभा के दौरान जब श्री रामबिलास शर्मा जी पर्यटन मंत्री हुआ करते थे, तो मैंने इस बारे में आवाज उठाई थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप मोरनी के बारे में बात कर रही थी और बात करते करते महेन्द्रगढ़ फोर्ट के बारे में बात करने लग गई हैं, ऐसा मत करिए इससे आप विषय से बहुत दूर चली जायेंगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं विषय से दूर नहीं जाउंगी बस थोड़ी सी बात और कहकर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगी। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ जिले में जो फोर्ट है, इस फोर्ट को नीमराना पर्यटक स्थल की तर्ज पर विकसित किया जाये। अगर पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर भी इस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात आये तो इसके लिए भी सरकार को आगे आकर काम करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः किरण जी, अब आप बैठिए और अमरजीत ढांडा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

.....

To Start Rehabilitation Work of Distributory

***607. Shri Amarjeet Dhanda :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the rehabilitation work of Jind Distributory No. 3 from RD 0 to 74800 is likely to be started by the Government togetherwith the details thereof ?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, जींद डिस्ट्रीब्यूट्री (रजबाहा) नं0 3 की आर0डी0 0 से 74800 तक के पुर्नस्थापन कार्य 15.12.2020 से शुरू होने की संभावना है।

.....

@ Reply given by the Agriculture & Farmers Welfare Minister

श्री अमरजीत ढांडाः अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के 14 गांवो में बरसाती पानी की वजह से आने वाली बाढ़ तथा सेम की समस्या के कारण पहले तो कनक की फसल खराब हुई थी और उसके बाद अब जीरी की फसल भी खराब हो गई है और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब कनक की फसल की बुआई भी नहीं हो पायेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे एरिया के इन 14 गांवों की फसलों को बचाने के लिए कोई स्थाई समाधान करवाया जाये ताकि यहां के किसानों की पैदावार को बढ़ावा मिल सके।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने मूल प्रश्न के साथ बरसाती पानी से आने वाली बाढ़ तथा सेम की समस्या का मुद्दा अलग से शामिल कर दिया है। जहां तक मूल प्रश्न की बात है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि इस कार्य के लिए टैंडर अलॉट हो चुका है और 15 तारीख से यह काम शुरू हो जायेगा और इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि इनके यहां आर.डी. 74 से लेकर 120 तक के पैंडिंग कार्य की शुरूआत की जा चुकी है और 700 लाख रूपये की लागत से यह कार्य आगामी छह महीने की समयावधि में पूर्ण हो जायेगा।

श्री अमरजीत ढांडाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के संदर्भ में जो जवाब दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही यह भी निवेदन करता हूँ कि हमारे यहां का रजबाहा नं. 4 जोकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी शामिल है, इसको भी जल्द से जल्द बनाने का काम किया जाये ताकि हमारे एरिया के प्रभावित 14 गांवों में फसल बिजाई की बेहतर व्यवस्था संभव हो सके।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक 14 गांवों में फसल बिजाई की व्यवस्था की बात है, के संदर्भ में मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि इन 14 गांवों में पानी निकालने या फसल बिजाई की व्यवस्था के लिए जो भी बेहतर इंतजाम करने आवश्यक होंगे, किए जायेंगे।

.....

To Develop Residential Sector

***556. Shri Amit Sihag :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop residential sector and to allot plots on the 200 acres of HSVP land acquired by the Government on Dabwali-Sirsa Road?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान जी।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अधिगृहित की गई जमीन पर रिहायशी सैक्टर विकसित करने तथा प्लॉट आबंटन का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि रिहायशी सैक्टर डिवैल्पमैंट की स्कीम बना ली गई है और जल्दी ही डिवैल्पमैंट के कार्य के साथ–साथ प्लॉट आबंटन का कार्य भी शुरू हो जायेगा। इसके साथ–साथ हम यह भी देख रहे हैं कि इस प्रोसैस में इन्हांसमैंट का कोई चक्कर न पड़े।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की हुई है?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, अगले साल तक इस सैक्टर की डिवैल्पमैंट भी हो जायेगी और प्लॉट आबंटन का कार्य भी शुरू हो जायेगा।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।

.....

Number of Damaged electric Poles and Lines

***486 Dr. Abhe Singh Yadav :** Will the Power Minister be pleased to state-

(a) district wise number of electric poles and the length of electric lines damaged due to wind-storm in state during the last three years;

(b) the amount of loss incurred on it; and

(c) whether the Government has any alternate plan to avoid such repeated loss in the frequently affected districts?

.....

@ Reply given by the Agriculture & Farmers Welfare Minister

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान,

(क) जिलावार गत् तीन वर्षों के दौरान राज्य में तूफानी हवाओं के कारण क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों/टावरों की संख्या तथा बिजली की लाईनों की लंबाई का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों/टावरों की संख्या (संख्या)			**क्षतिग्रस्त बिजली लाईनों की लम्बाई (किलोमीटर)**	
	डिस्कॉमस	ह.वि.प्र.नि.लि.	डिस्कॉमस	ह.वि.प्र.नि.लि.
कुल	71154	31	5538.21	8.75
कुल योग	**71185**		**5546.91**	

(ख) खम्भों तथा लाईनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण, अनुमानित **36.47 करोड़ रूपए** (डिस्कॉमस – 34.62 करोड़ रूपए एवं ह.वि.प्र.नि.लि. – 1.85 करोड़ रूपए) की हानि वहन की गई है।

(ग) हां श्रीमान, सरकार के पास ऐसे बार–बार होने वाले नुकसान से बचने के लिए वैकल्पिक योजनाएं तथा उपाए हैं।

एक विस्तृत विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

डिस्कॉमस (उ.ह.बि.वि.नि. + द.ह.बि.वि.नि.)

(क) गत् तीन वर्षों यानी अगस्त 2017 से जुलाई 2020 तक राज्य में तूफानी हवाओं के कारण क्षतिग्रस्त बिजली की लाईनों की लम्बाई तथा बिजली के खम्भों की जिलावार संख्या निम्न प्रकार दी गई हैः–

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**क्षतिग्रस्त बिजली खम्भों की संख्या (संख्या)**	**क्षतिग्रस्त बिजली लाईन की लम्बाई (किलोमीटर)**
1	अम्बाला	1062	69.98
2	पंचकूला	533	45.20
3	यमुनानगर	608	250.79
4	कुरूक्षेत्र	1771	101.54
5	कैथल	2643	72.25
6	करनाल	4892	423.40
7	पानीपत	4808	547.78
8	सोनीपत	2981	182.16
9	रोहतक	2640	253.08

10	झज्जर	2911	367.70
11	फरीदाबाद	809	33.02
12	पलवल	4285	96.08
13	नूह	796	224.00
14	गुरूग्राम	1684	517.65
15	नारनौल	4475	464.66
16	रेवाड़ी	3355	217.90
17	भिवानी	5576	106.38
18	चरखी–दादरी	3404	242.33
19	हिसार	5050	310.91
20	फतेहाबाद	4648	162.31
21	सिरसा	3554	222.53
22	जीन्द	8669	626.56
कुल		**71154**	**5538.21**

(ख) गत् तीन वर्षों यानी अगस्त 2017 से जुलाई 2020 तक राज्य में खम्भों तथा लाईनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण **34.62 करोड़ रूपए** की हानि वहन की गई है।

(ग) तूफानी हवाओं में खम्भों तथा लाईनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण हानि से बचने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैः–

(i) एलटी तथा 11 केवी लाईनों की नई कन्फिग्रेशन सुधारी गई विशिष्टताओं के साथ पीडी एण्ड सी निर्देश संख्या 01/2020/पीडी एण्ड सी दिनांक 07.05.2020 के तहत वितरित की गई है।

(ii) खम्भों के झुकाव से बचने के लिए ब्रेसिंग तथा बेल्टिंग प्रावधान के साथ लाईन के प्रत्येक आठवें खम्भें पर एच–पोल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(iii) प्रत्येक चौथे पोल पर विंड स्टे उपलब्ध करवाई जा रही है।

(iv) लाईन की उचित सीध बनाए रखने तथा इसके झुकाव से बचने के लिए वी–आकार/हॉरिजोन्टल क्रॉस आर्मस के लिए ब्रेसिंग उपलब्ध करवाई जा रही है।

(v) खम्भों के झुकाव से बचने के लिए खम्भों को लगाते समय बैकफिल की उचित रैमिंग सुनिश्चित की जा रही है।

(vi) टॉप हैम्पर को निश्चित करने के लिए खम्भे के शीर्ष पर उपलब्ध दोनों सुराखों (दो नं.) का बिना किसी असफलता के दो नम्बर नट तथा बोल्ट के साथ प्रयोग किया जा रहा है ताकि टॉप हैम्पर के झुकाव तथा लाईन की सीध के हस्तक्षेप और पीसीसी पोल्स की टूट–फूट से भी बचा जा सके।

(vii) 11 केवी लाईनों के मामले में, खम्भों को स्थिर तथा 11केवी लाईन को सीधा खडा रखने के लिए प्रत्येक चौथे पोल तथा प्रत्येक एच–पोल की मफिंग की जाएगी।

(viii) खम्भों की टूट–फूट के मुख्य कारणों में से एक कारण तूफानी हवाओं के दौरान लाईनों पर वृक्षों का टूट का गिरना है। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए, सितम्बर से नवम्बर तथा अप्रैल से जून तक कम लोड अवधि के दौरान सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष में दो बार विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है कि बिजली लाईनों के रास्ते में आने वाले वृक्षों की सभी टहनियों को एक ऐसे स्तर तक काटा जाता है जिससे 11 केवी लाईन को कोई खतरा न हो।

(ix) फील्ड में यह एक सामान्य कार्य है कि किसान बिजली लाईनों पर उपलब्ध स्टे को तोड देते है, जिससे पीसीसी खम्भे कोणीय अथवा किसी अन्य स्थिति पर तूफान की चपेट में आ जाते है किसानों को ऐसे कार्य करने से रोकने के लिए उचित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

(x) मौजूदा लाईन को मजबूत करने के लिए, लम्बे स्पेन/झुके हुए खम्भे/ढ़ीले सैग/पेड़ों को छूने वाली लाईने/स्थितियों को पहचानने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा जहां पर स्टे उपलब्ध/ठीक प्रकार से सैट की जानी है ताकि इनके विरूद्ध निम्नलिखित उपचारात्मक उपाए किए जा सकेः–

i. झुके हुए खम्भों/क्रॉस आर्मस/टॉप हैम्परस को मजबूत करना।

ii. लम्बे स्पैन की इंटरमीडिएट लोकेशन पर खम्भे उपलब्ध करवाना।

iii. प्रत्येक चौथे/एच–पोल पर स्टे उपलब्ध करवाना, जहां आवश्यक हो।

iv. टूटी–फूटी स्टे को ठीक करना।

v. प्रत्येक चौथे पोल/एच–पोल की मफिंग

vi. पेड़ों की छंटाई करना।

vii. वी–आकार क्रॉस आर्म की ब्रेसिंग तथा एच पोल की बेल्टिंग/ब्रेसिंग उपलब्ध करवाना।

(xi) आगे, पीसीसी खम्भों की रि–डिजाईनिंग के लिए इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए अध्ययन भी किया जा रहा है ताकि मौसम संबंधी सभी कठोर परिस्थितियों का सामना किया जा सके।

<u>ह.वि.प्र.नि.लि.</u>

गत् तीन वर्षों यानी अगस्त 2017 से जुलाई 2020 तक राज्य में तूफानी हवाओं के कारण क्षतिग्रस्त कंडक्टर की लम्बाई तथा ट्रांसमिशन टावरों की जिलावार संख्या निम्न प्रकार दी गई हैः–

क्र. सं.	जिले का नाम	ट्रांसमिशन लाईन का नाम	क्षतिग्रस्त टावरों की संख्या	लाईन की लम्बाई	उठाई गई हानि (रूपयों में)
1.	फतेहाबाद	220 केवी सब–स्टेशन हुकमवाली में 220 केवी डी/सी फतेहाबाद– चोरमार के दोनों सर्किटों के लूप इन लूप आउट का लूप–इन भाग निर्माणाधीन	08	लगभग 1000 मीटर	27,25,569
2.	गुरूग्राम	66 केवी डी/सी दिल्ली–गुड़गांव लाईन	01	लगभग 300 मीटर	32,00,000
3.	झज्जर	132 केवी एस/सी नरेला–आसौदा लाईन	01	लगभग 350 मीटर	2,48,230
		220 केवी कबुलपुर–बधाना लाईन	02	लगभग 600 मीटर	20,86,000
		220 केवी डी/सी नूना माजरा– सांपला लाईन	01	लगभग 400 मीटर	5,79,811
4.	करनाल	220 केवी सब–स्टेशन बस्तड़ा में 220 केवी डी/सी पीटीपीएस– सफीदों लाईन का लूप इन लूप आउट	02	लगभग 700 मीटर	9,31,316
		220 केवी सब–स्टेशन मूंढ़ में 132 केवी जलमाना– असन्ध लाईन का लूप इन लूप आउट	01	लगभग 300 मीटर	4,85,950
5.	महेन्द्रगढ़	440 केवी धनौंदा– दौलताबाद डी/सी लाईन	01	0	6,00,000
6.	मेवात	66 केवी एस/सी मन्डकोला–नूह लाईन (पुरानी)	01	लगभग 540 मीटर	3,12,700
		66 केवी एस/सी मऊ–तावडू लाईन	01	लगभग 500 मीटर	3,08,800
		220 केवी डी/सी सैक्टर 72 गुरूग्राम–रंगला राजपुर लाईन	05	लगभग 1680 मीटर	25,32,900
7.	पानीपत	132 केवी पीटीपीएस –	02	लगभग	9,56,499

क्र. सं.	जिले का नाम	ट्रांसमिशन लाईन का नाम	क्षतिग्रस्त टावरों की संख्या	लाईन की लम्बाई	उठाई गई हानि (रूपयों में)
		आईओसीएल–मूनक लाईन		650 मीटर	
		132 केवी समालखा–सैक्टर 29 पानीपत लाईन	01	लगभग 300 मीटर	5,82,100
		220 केवी पीटीपीएस– रोहतक लाईन	01	लगभग 380 मीटर	1,39,2000
8.	रेवाड़ी	220 केवी मउ–बावल – भिवाड़ी लाईन	01	लगभग 400 मीटर	11,00,000
9.	सोनीपत	132 केवी जसिया–गोहाना लाईन	02	लगभग 650 मीटर	4,98,000
कुल			**31**	**8,750 मीटर**	**1,85,39,875**

निगम द्वारा लाईनों का अर्ध–वार्षिक अनुरक्षण, प्री–मानसून अनुरक्षण तथा हॉट लाईन अनुरक्षण पूरा किया जा रहा है और यह प्रगति ईआरपी मॉड्यूल पर मॉनिटर की जा रही है। ह.वि.प्र.नि. लि. प्रबन्धन द्वारा अनुरक्षण की प्रगति की समीक्षा भी नियमित रूप से की जा रही है।

टावर ढ़ांचे को नुकसान/गिरना मौसम की गम्भीर स्थितियों जैसे कि तेज तूफानी हवा/बवंडर आदि के कारण होता है, जोकि निगम के नियंत्रण से परे है। हालांकि, टावरों को गिरने से बचाने के लिए निम्नलिखित के संबंध में विशेष रूप से टावरों सहित ट्रांसमिशन लाईनों का अनुरक्षण करने के लिए इनकी नियमित रूप से देख–रेख की जा रही हैः–

i. सभी टावर मैम्बरों की यथा स्थिति, नट–बोल्ट को कसना तथा गुम हुए नट–बोल्ट उपलब्ध करवाना।

ii. स्टब के आस–पास एकत्रित हुए पानी के सम्पर्क से स्टब को जंग लगने से बचाने के लिए टावर स्टब फाउंडेशन का कंकरीट लेवल ठीक फिनीसड ग्राऊंड लेवल (एफजीएल) से ऊपर होना चाहिए।

iii. टावर को गिरने से बचाने के लिए जंग लगी हुई स्टब की मरम्मत/सुधार किया जाता है।

iv. फाउंडेशन में पानी के प्रवेश को रोकने तथा आगे स्टब को जंग लगने से बचाने के लिए प्रत्येक स्टब फाउंडेशन की क्षतिग्रस्त कोपिंग (मुंडेर) की मरम्मत की जाती है।

v. जंग लगे हुए टावर के मैम्बरों का जिंक रिच पेंट के साथ पुताई की जाती है।

vi. नटों की कील वेल्डिंग की जाती है तथा जिंक रिच पेंट के साथ पुताई की जाती है।

टावरों की वर्तमान डिजाईनिंग 170 किलोमीटर प्रति घंटे तक की निरन्तर गति से की गई है। परन्तु यह देखा गया है कि जब हवाएं चक्रवात का रूप ले लेती हैं, तो वे बवंडर बन जाती है तथा टावरों को घुमा/झुका देती हैं।

(क) निगम उड़ीसा एवं आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों के साथ सम्पर्क करने की कोशिश कर रहा है जो हर वर्ष चक्रवातीय तूफानों का सामना करते हैं, यह जानने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं।

(ख) ढ़ांचा संबंधी डिजाईन का पीजीसीआईएल के परामर्श से अध्ययन किया जाएगा जो अपने पैन इंडिया प्रेजेन्स के कारण भिन्न–भिन्न स्थितियों में अपनाए गए विभिन्न डिजाईन रखते है।

(ग) टावरों की आयु भविष्य के अनुरक्षण उद्देश्यों हेतु तय की जाएगी। ज्यादा पुराने टावरों का एक अलग अनुरक्षण शेड्यूल होगा, ईआरपी मॉड्यूल के द्वारा देख–रेख की जाएगी।

(घ) निगम विक्रेता तथा एजेंसियों के सम्पर्क में है जो एलआईडीएआर (लाईट डिटेक्टिंग एण्ड रेंजिंग) का प्रयोग करते हुए हेलीकॉप्टरों द्वारा ईएचवी पावर लाईनों की देख–रेख तथा निरीक्षण करने में विशेषज्ञ हैं, शीघ्र ही अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का प्रयोग किया जाएगा।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का जवाब सदन के पटल पर रखा है लेकिन मैंने बेसिकली यह पूछा था कि तूफानी हवाओं के कारण बिजली के खंभें गिरते हैं तो उनसे कितना नुकसान होता है? मेरा सवाल यह है कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश सरकार को इससे कितना नुकसान हुआ है? माननीय मंत्री जी के जवाब के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 71185 बिजली के खंभें डैमेज हुए हैं और 5546.91 किलोमीटर लाइन की लम्बाई क्षतिग्रस्त हुई है। खंभों और लाइनों के क्षतिग्रस्त पर लगभग 36.47 करोड़ रुपये की हानि वहन की गई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को फाइनैंस लॉस के अतिरिक्त लोगों को और भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे इलाके में मई/जून के महीनों में तूफानी हवाएं आती हैं और उसके कारण बिजली के खंभें टूट कर गांवों में एक–एक डेढ़–डेढ़ महीने पड़े रहते हैं और उन पर विभाग कोई भी एक्शन नहीं लेता है और उन्हें ठीक करने के तरह–तरह के बहाने बनाता रहता है। माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से एक–एक स्टैप वाईज तरीके से प्रश्न का जवाब दिया है और 10वें स्टैप में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि– "To strengthen the existing line, extensive survey shall be undertaken to identify the lengthy span/tilted poles." मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय पर स्पेशल

ध्यान देने की जरूरत है और विशेषकर महेन्द्रगढ़ जिले में क्योंकि इस एरिया में तूफानी हवाएं ज्यादा आने की संभावना रहती है और पुरानी बिजली की लाइनें भी हैं जिसके कारण डैमेज मैक्सिमम होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार महेन्द्रगढ़ जिले की पुरानी बिजली की लाइनें बदली जानी हैं, इसलिए इन बिजली की पुरानी लाइनों को जल्दी से जल्दी बदला जाये। माननीय मंत्री जी के अनुसार जहां पर बिजली के खंभे झुके हुए हैं, उनको मजबूत करने और लम्बे स्पैन की इंटरमीडिएट लोकेशन पर बिजली के खंभें अगली गर्मी से पहले–पहले महेन्द्रगढ़ जिले में उपलब्ध हो जायेंगे तो मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि मई/जून/जुलाई तीन महीनों में तूफानी हवाएं चलती हैं। हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर के अनुसार हमारे बिजली के खंभें 170 किलोमीटर तक की तेज हवा सहन कर सकते हैं, इसके बाद अगर तेज हवाएं चलती हैं तो बिजली के खंभें झुक या टूट जाते हैं। तूफानी हवाओं से महेन्द्रगढ़ जिले में ही नहीं बिजली के खंभें टूटते बल्कि सबसे ज्यादा जीन्द/हिसार/फतेहाबाद के बाद करनाल/पानीपत में और उसके बाद महेन्द्रगढ़ जिले का नम्बर आता है। यह बात ठीक है कि हम नैचुरल क्लैमिटी को रोक नहीं सकते हैं, फिर भी हम उड़ीसा और आन्ध्र जैसे राज्यों की तर्ज पर एक सर्वे कर रहे हैं क्योंकि वहां पर वज्रपात तूफान आते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब से मैंने यह विभाग संभाला है तब से मैं बराबर मॉनिटरिंग करता रहता हूँ और जहां पर बिजली के खंभें से संबंधित कोई शिकायत आती है तो तुरंत विभाग को ठीक करने के आदेश देता रहता हूँ।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि तूफानी हवाओं के कारण गांवों में 20–20 व 30–30 दिन बिजली के खंभे टूटे हुए पड़े रहते हैं। मेरे बार–बार अनुरोध करने पर ही विभाग के अधिकारी कार्यवाही करते हैं। मैं विभाग को किसी प्रकार का दोष नहीं दे रहा हूँ बल्कि ये नैचुरल क्लैमिटी के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी को कोई स्थाई समाधान निकालना चाहिए। जल्दी से जल्दी विभाग बिजली के टूटे हुए खंभों के ऊपर कार्यवाही करें ताकि पब्लिक को सर्विस मिले क्योंकि गर्मी के मौसम में इस समस्या के कारण 15–15 घंटे बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, डॉ0 अभय सिंह यादव बहुत ही समझदार विधायक हैं और बहुत ही अच्छे ऑफिसर भी रहे हैं। माननीय सदस्य का इस संबंध में कोई भी सुझाव होगा तो उस सुझाव पर अमल किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हम अपने सिस्टम में सुधार कर रहे हैं । जिस तरह से सड़कों पर लगे हुए पेड़ों पर सरकार नंबरिंग करवाती है उसी तर्ज पर हम बिजली के खम्भों पर भी नंबरिंग करवाना चाहते हैं । अगर कभी पॉल्स टूटेंगे तो सरकार को टूटे हुए पॉल्स की एग्जैक्ट संख्या पता चल जाएगी और उसी के अनुसार सरकार पॉल्स लगाएगी । इससे पॉल्स के लगाने में गड़बड़ी होने की संभावना भी नहीं रहेगी ।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, इस प्रश्न पर ऑलरेडी कई सप्लीमैंट्रीज पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इस प्रश्न पर और सप्लीमैंट्रीज नहीं पूछी जा सकती । (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में भी काफी नुकसान हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ एक सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, अगर आपके हल्के में नुकसान हुआ है तो इसके लिए आप लिखित में अपना प्रश्न दे सकते हो । (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री पूछना मेरा अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, अगर एक प्रश्न पर इतनी ज्यादा सप्लीमैंट्रीज पूछी जाएंगी तो यह ठीक नहीं है । (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत सीरियस इशू पर है ।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, एक सवाल पर केवल 2 सप्लीमैंट्रीज ही पूछी जा सकती हैं और सप्लीमैंट्रीज पूछने का प्रथम अधिकार उस माननीय सदस्य का है जिसका प्रश्न लगा हुआ है । इसके बावजूद इस प्रश्न पर ऑलरेडी 3 सप्लीमैंट्रीज पूछी जा चुकी हैं । अतः इस प्रश्न पर और सप्लीमैंट्रीज नहीं पूछी जा सकती । (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, हर सवाल पर इस तरह से सप्लीमैंट्रीज पूछना ठीक नहीं है । आप अपने हल्के से संबंधित प्रश्न लिखकर विधान सभा सचिवालय में दे दीजिए । आपको प्रश्न लिखकर देने से कौन रोक रहा है ?

.....

To Give Age Relaxation in Police Recruitment

***488. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Home Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give age relaxation of 5 years to EWS category candidates in Police recruitment.

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नही, श्रीमान जी, लेकिन सुझाव विचार करने योग्य है।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय गृह मंत्री जी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी । पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट न देने से हजारों नौजवान पुलिस में भर्ती होने के लिए अप्लाई करने से वंचित रह जाएंगे । अतः सरकार को उन नौजवानों को आयु में अवश्य छूट देनी चाहिए ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री श्री अनिज विज ने कहा है कि माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है और विचार करने योग्य है । कुछ समय पहले भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को नौकरियों में 10 परसैंट आरक्षण दिया है, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरियों में 10 परसैंट आरक्षण दिया है । अभी तक आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती में आयु में कोई छूट नहीं है । उनके लिए भी वही आयु निर्धारित है जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है । हमारे पास आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में छूट से संबंधित बहुत–से सुझाव आये और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न पूछने के पीछे भी यही भावना रही होगी । मैं सदन में आज घोषणा करता हूं कि होम डिपार्टमैंट की पुलिस की भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । उनके इस फैसले से हरियाणा प्रदेश के हजारों नौजवानों को फायदा मिलेगा ।

.....

@ Reply given by the Home Minister

Operation of Overloaded Vehicles in State

***450. Smt. Kiran Choudhry :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that overloaded vehicles are being operated in the State in collusion of the Government officers/officials and owners of stone crushers; if so, the details thereof togetherwith the action taken by the Government against erring transport operators, owners of stone crushers and Government officers/officials responsible for above said problem?

परिवहन मन्त्री (श्री मूल चन्द शर्मा) : नहीं, श्रीमान। मोटर वाहन अधिनियम /नियमों के उल्लंघन में पाए जाने वाले ओवरलोड वाहनों का सख्ती से चालान किया जा रहा है। 2019–20 में, कुल 28199 वाहनों का चालान किया गया और रु0 104.34 करोड़ वसूल किया गया। खनन और भूविज्ञान विभाग ने खनन सामग्री ले जाने वाले 1492 वाहनों को भी पकड़ा है और 164 एफआईआर दर्ज की हैं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि मेरा क्वैश्चन कुछ और है और माननीय मंत्री जी ने उसका रिप्लाई कुछ और दिया है। मैंने क्वैश्चन में साफ पूछा था कि– whether it is a fact that overloaded vehicles are being operated in the State in collusion of the Government officers/officials and owners of stone crushers and give me the details thereof together with the action taken by the Government. माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि इसमें विभाग द्वारा 164 एफ. आई.आरज. दर्ज करवायी गयी हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने क्वैश्चन पूछा था कि कौन से ऐसे गवर्नमैंट ऑफिशियल्ज हैं जिनके कोलूजन से यह सब हो रहा है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है, उसके बारे में नहीं बताया। मैंने यह भी डिटेल मांगी है कि जो क्रैशर ऑपरेटर्ज हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है जो इनसे मिले हुए हैं ? इसका जबाव नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी क्वैश्चन को घूमा रहे हैं, ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे क्वैश्चन का सही जवाब दिया जाए। अगर मेरे क्वैश्चन का जवाब नहीं है तो वे कह दें कि उनके पास सही जवाब नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि ओवरलोड वाहन के कारण क्रैशर मालिक के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा सकती है? जो ओवरलोड वाहन लेकर जा रहा है, उसी के

मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्रैशर मालिक के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं ?

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने क्वैश्चन में साफ– साफ लिखा है कि– if so, the details thereof togetherwith the action taken by the Government against erring transport operators, owners of stone crushers and Government officers/officials. मुझे यह बताया जाए कि कौन–कौन से ऐसे गवर्नमैंट ऑफिसर्ज और ऑफिशियल्स थे and what action you have taken. अगर एक्शन नहीं लिया तो बताईए और बात खत्म करें। That's what I want to know.

पण्डित मूलचन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019–20 में कुल 28,199 ओवरलोड वाहनों का चालान किया गया, 1492 वाहनों को पकड़ा भी है, 164 के खिलाफ एफ.आई.आज. दर्ज की गयी हैं और 104.34 करोड़ रुपये वसूल किये गये हैं। इस राशि की डिटेल जिलेवार है। जितने भी चालान और मुकदमें दर्ज किये हैं, उनकी डिटेल भी जिलेवार है। इन वाहनों का टोटल वजन तुलाई की मशीन पर करवाया जाता है। दूसरे नये उपकरणों द्वारा पारदर्शी तरीके से ओवलोडिंग वाहनों की चैंकिंग की सुविधा भी जल्दी ही करने जा रहे हैं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वैश्चन यह है कि which are the officers who are responsible, जिनके कोलूजन से यह काम हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है या नहीं की। इसके बारे में बताएं। Either Minister say that no officer was involved in it.

पण्डित मूलचन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, विभाग की तरफ से ओवरलोडिंग वाहनों के एगेंस्ट एफ.आई.आरज. भी दर्ज करवायी गयी हैं और चालान भी किये हैं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आरज. तो ओवरऑल हैं। विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है ?

पण्डित मूलचन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि विभाग ने ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ एफ.आई.आरज. दर्ज करवायी हैं और चालान भी किये हैं। माननीय सदस्या यह बता दें कि विभाग उनके खिलाफ और क्या करे?

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, क्या विभाग ने किसी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है, जिसके कोलूजन से यह कार्य होता है ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि यह एक वेग प्रश्न है कि किसी ऑफिशियल के खिलाफ क्या कार्रवाई की है ? अगर इनके पास कोई जानकारी है तो उसके बारे में बता दें ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले सकें। जिनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि इतने वाहन पकड़े गये हैं और इतने वाहनों के खिलाफ एफ.आई.आरज. दर्ज करवायी गयी हैं। जब एफ.आई.आर. दर्ज होती हैं तो उस पर आगे की कार्रवाई चलती रहती है और आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित लोगों को सजा भी मिलती है। इन सारे विषयों को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण तो कोई नहीं देता है। आखिर जब हमको यह पता चला कि आर.टी.ए. ऑफिसिज में भ्रष्टाचार के विषय आ रहे हैं तो हमने अलटिमेटली एक महीने पहले यह काम किया कि जिन ऑफिसर्ज को डबल–डबल जिम्मेवारियां मिली हुई थी, खासकर ए.डी.सीज. को आर.टी.ए. का चार्ज भी दिया हुआ था। हमने आर.टी.ए. का चार्ज ए.डी.सी. से हटाकर अलग–अलग अधिकारियों को दे दिया है। केवल इसलिए कि अगर कोई भी मामला आता है तो उसको हल कैसे किया जाए? हमने आर.टी.ए. की पोस्ट का नाम बदलकर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (डी.टी.ओ) कर दिया है और उसमें ऐसे अधिकारियों को लगाया है जो उन चीजों को ठीक करने में सक्षम होंगे। लगभग 250 लोग ऐसे चिन्हित किये गये थे जो कहीं न कहीं बैठकर गड़बड़ करते थे, हमने गड़बड़ करने वालों को ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो स्टाफ के अधिकारी/कर्मचारी हैं, उन्होंने ड्राइवरों के साथ मिलकर एक व्हाट्सएप्प ग्रुप बनाया हुआ है। हमारी सरकार ने कम से कम ऐसे व्हाट्सएप्प के 8–10 ग्रुप पकड़े हैं और उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर लगे हुए थे, उनको नौकरी से हटा दिया गया है और जो कर्मचारी पक्के लगे हुए थे, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. के माध्यम से कार्रवाई की जायेगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात बड़ी डिटेल में बताई है और मैं भी यही पूछना चाहती हूं, चाहे सरकार किसी का नाम कुछ भी बदल दे, आर.टी.ए. का नाम कुछ भी बदल दे that is not relevant. मेरा

प्रश्न यही है कि सरकार ने जो 164 एफ.आई.आरज. दर्ज की हैं, क्या इनमें से किसी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह वेग क्वैश्चन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह क्वैश्चन वेग है, यह क्वैश्चन वेग नहीं है। This is not vague question. माननीय सदस्या ने एक स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछा है कि सरकार ने ओवरलोडिंग में लिप्त किस अधिकारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की है? सरकार को इस बात का पता होना चाहिए। जब सरकार को ही इस बात का पता नहीं है कि किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो how are you running the Government. I am sorry to say that, this is not vague question.

Shri Manohar Lal : Speaker Sir, F.I.R's are on the record. हुड्डा साहब, चाहे तो जितनी भी एफ.आई.आरज. दर्ज हुई हैं, उनमें नाम देख सकते हैं या फिर ये सरकार को उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम बतायें जिनके खिलाफ अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, सरकार के पास सभी चीजों का रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। अगर आपको पता है तो उस अधिकारी/कर्मचारी का नाम बता दें कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया है। यदि आपके पास संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई सबूत हैं तो वे भी दिखा दें। हम उस पर तुरन्त कार्रवाई करने का काम करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इतना भारी घोटाला हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यह एक वेग क्वैश्चन है how is this a vague question. I fail to understand it. This is not vague question. Hon'ble Member wanted to ask a specific question. (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार को उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम नहीं पता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी एश्योर करें कि कल सदन की होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक में सरकार इन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम बता दें, तो ठीक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एश्योर करता हूं कि ये कोई भी नाम with some proof दें, हम उसी दिन संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों पर एक्शन लेने का काम करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2 तारीख को पिपली थाने में एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी, जिसमें अमरजीत ने कबूल किया है कि लाडवा एस.डी.एम. का रीडर, सेवादार और ड्राईवर के साथ सेटिंग रखता है। उसने उनको पैसे देकर कई बार गाड़ी छुड़वाई है और ये लोग यह धंधा कई वर्षों से चला रहे हैं। उसने यह भी बताया कि व्हाट्सएप्प के कई ग्रुप हर जिले में चल रहे हैं। अलग–अलग ग्रुप एडमिन ग्रुप को चला रहे हैं और वह भी कई ऐसे ही ग्रुपों का एडमिन व सदस्य है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक एस.डी.एम. के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है बल्कि उसका तबादला कर दिया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उसके खिलाफ अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं की गई है? (शोर एवं व्यवधान) इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोकल लीडर मिले हुए हैं। मेरे पास एफ.आई.आर. की फोटो कॉपी भी उपलब्ध है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब एक ऑफिस में इस तरह की जानकारी मिल गई कि उनका कोई पी.ए. है, चपरासी है या अन्य कोई कर्मचारी है जो इस प्रकार की गड़बड़ कर रहा है तो हमने उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। उसने स्टेटमैंट दी है। सरकार ने फिलहाल संबंधित एस.डी.एम. का वहां से तबादला कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब तक ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। सरकार एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को खुद ही बढ़ावा दे रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेवा सिंह जी, आप प्लीज बैठ जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : मेवा सिंह जी, आखिर इन्वेस्टिगेशन का एक सिस्टम होता है। जब कोई सूत्र मिलता है तो एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है। इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन की जायेगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद इस मामले में अगर एस.डी.एम. का कोई रोल मिलेगा तो एस.डी.एम. के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। मान लो कोई व्यक्ति अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले लेता है। जैसे कई बार बहुत से लोग हमारा और आपका नाम भी ले लेते हैं। अभी दादरी में

भी इसी प्रकार का एक विषय सामने आया था। वहां के डी.सी. श्री अजय तोमर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता तेतरवाल इन दोनों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करके सस्पैंड करने का काम किया है। आज इन दोनों पर केस चल रहा है इसलिए जिस किसी के खिलाफ भी कोई प्रमाण मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। आज संबंधित एस.डी.एम. के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। हमारी सरकार ने एस.डी.एम. का ट्रांसफर तुरन्त इसलिए किया है कि वहां के काम पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े। उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और अगर उसके खिलाफ कोई प्रमाण मिलेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हजारों करोड़ रुपये का स्कैम है इसलिए इस मामले की डी.एस.पी. लैवल का अधिकारी जांच नहीं कर सकता। हमारी मांग है कि सरकार इस मामले की जांच सी.बी.आई. या माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

———————————

15:00 बजे

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Lay Down Sewerage System and to Setup Sewerage Treatment Plant

***659. Shri Sita Ram Yadav :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the population of the villages Dongra Ahir, Sehlang. Bachhod, Kheri, Dhanonda, Pathera, Bhojawas, Kanti and Mirzapur of Aleli Assembly constituency is more than 10,000 people; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down the sewerage system and to set up sewerage treatment plant in these villages togetherwith the time by which the above said proposal is likely to be materialized?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान जी,

(क) नहीं, श्रीमान। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इन सभी गांवों में प्रत्येक गांव की जनसंख्या 10,000 से कम है।

(ख) नहीं, श्रीमान।

.....

To Construct Mini Secretariat

***662. Shri Sanjay Singh :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Mini Secretariat in Sohna and Tauru; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : हां श्रीमान् जी, सोहना तथा तावडू में लघु सचिवालय के भवन के निर्माण हेतु भूमि की पहचान की जा रही है। तत्पश्चात् भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

.....

To Procure Entire Crop of Farmers

***702. Shri Jogi Ram Sihag :** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to made proper arrangements for procuring entire crop of farmers in State instead of implementing gate pass system togetherwith the details thereof ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (जय प्रकाश दलाल) : जी नहीं, श्रीमान्। गेट पास प्रणाली के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर धान, बाजरा, मक्का, मूंग तथा मूंगफली की खेती करने वाले किसानों की पूरी फसल की खरीद के लिए उचित व्यवस्था की गई है। खरीद के शुरुआती दिनों में गेट पास प्रणाली में कुछ समस्याएं ध्यान में आई जिनका समाधान किया जा चुका है।

.....

To Install Tubewell

***630. Shri Bishan Lal Saini :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install tubewells in village Farakpur (Ward No. 18, Minicipal Corporation, Yamunanagar) and Bank Colony, Kansapur under the Jal Jeevan Yojna, if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान, जी, गांव फर्कपुर (वार्ड नं. 18) बैंक कालोनी तथा कांसापुर, नगर निगम यमुनानगर के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जबकि जल जीवन मिशन के वहत कार्य केवल नगर निगम की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है।

.....

अतारांकित प्रश्न उत्तर

To Solve the Problem of Overflowed Ponds

124. Shri Subhash Gangoli : Will the Deputy Chief Minister be pleased to State-

(a) Whether it is a fact that all ponds are overflowed in village Kharal of Narwana Assembly Constituency; and

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the above-said problem permanently together with the time by which it is likely to be solved?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) नहीं, श्रीमान जी| गाँव खरल के कुल 6 तालाबों में से 4 तालाब ही ओवरफ्लो करते हैं |

(ख) नहीं, श्रीमान जी| वर्तमान में राज्य के 18 ओवरफ्लो तालाबों को प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत लिया जा रहा है, जिनके नतीजे एवं अनुभवों के आधार पर इसको आगे बढाया जाएगा |

To Open a PHC

130. Shri Bishan Lal Saini : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Primary Health Centre in the Villages Saran and Jathlana in Radaur Assembly Constituency?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

The Number of Vacant Posts

164. Shri Amit Sihag : Will the Health Minister be please to state the number of permanent and contractual posts lying vacant in the PHCs, CHCs and General Hospitals falling under the Mandi Dabwali Assembly Constituency?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, मण्डी डबवाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों तथा सामान्य अस्पतालों में 233 स्थायी तथा 13 ठेका संबंधी पद रिक्त है।

.....

Enterprise Promotion Policy

158. Shri Varu Chaudhry : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the action taken by the Government on Enterprises Promotion Policy-2015 ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : श्रीमान जी, इस संबंध में विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

1. जब सरकार सत्ता में आई, उसने राज्य को विकास प्रक्षेपवक्र के अगले स्तर तक ले जाने के लिए पथ प्रर्दशक एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी–2015 (ई.पी.पी–2015) का शुभआरम्भ किया। यह नीति भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्किलिंग इंडिया' अभियानों से जुड़ी हुई है और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन प्रदान करती है।
2. राज्य ने एकल छत तंत्र, हरियाणा एंटरप्राइज प्रोमोशन सेन्टर की स्थापना 2 फरवरी 2017 को की। 23 विभागों से 117 औद्योगिक मंजूरियां जैसे कि स्थापना, भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति, बिजली कनेक्शन, संचालन के लिए सहमति, व्यवसाय प्रमाण पत्र आदि अब समबद्ध तरीके से हरियाणा एंटरप्राइज प्रोमोशन सेन्टर के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। सभी सेवाओं को अधिकतम 3015 दिनों की समय सीमा के भीतर वितरित किया जाता हैं। हरियाणा एंटर प्राइज़ प्रोमोषन एक्ट–2016 के अंतर्गत विकसित एकल छत तंत्र अपने वैधानिक समर्थन के कारण अद्वितीय है। एच.ई.पी.सी. के गठन ने अनुमोदन प्रक्रियाओं को चैनलाइज़ करने में मदद की है और निवेषकों के लिए कई स्पर्श बिंदुओं को कम किया है। एच.ई.पी.सी. को सफल बनाने में, राज्य की सभी सरकारी मशीनरी एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम कर रही है, जिससे हरियाणा में निवेष की स्वीकृती एक एकल संपर्क बिन्दू के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिले। 28 अक्टूबर 2020 तक, 223188

सेवाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 165764 सेवाओं को 22 दिनों के औसत समय के साथ मंजूरी दी गई है।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि हरियाणा में स्थापित उद्यम निवेश प्रक्रियाओं में आसानी के संदर्भ में संतुष्ट हैं, राज्य ने एक संपूर्ण शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया है, जिसमें सभी निवेशक शिकायतों का निपटारा किया जाता है और समयबद्ध तरीके से हल किया जाता है। शिकायत पोर्टल भारत में अपनी तरह का एक है जिसने राज्य भर में लगभग 400 अधिकारियों को शिकायत निवारण अधिकार प्रदान किए हैं। अधिकारियों को शिकायत पोर्टल पर प्रशिक्षित किया गया हैं और पूरी तरह से परीक्षण के बाद एक सरल पोर्टल तैयार किया गया हैं।

4. ईपीपी 2015 के एक भाग के रूप में, राज्य सरकार ने अपना स्वयं का मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना के लिए 90प्रतिशत अनुदान सहायता (2.00 करोड़ रुपये की परियोजना तक) प्रदान करता है जो राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को एक सकारात्मक पुश प्रदान करेगा। इस योजना को भारत सरकार ने एक सर्वोत्तम प्रथा के रूप में मान्यता दी है। इस योजना के तहत, कुल 30 मिनी समूहों की पहचान की गई है। 25 मिनी क्लस्टर के लिए डीपीआर तैयार किया गया है ओर एस.एल.एस. सी द्वारा सीएफसी की स्थापना के लिए अंतिम मंजूरी दी गई है। कुल प्रस्तावित परियोजना लागत लगभग 64.05 करोड़ रुपये है जिसमें राज्य सरकार का योगदान 42.85 करोड़ रुपये है इस योजना के तहत 12,000 से अधिक इकाईयों को कवर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 15 क्लस्टर के कार्यान्वयन के लिए 19.37 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है।

5. राज्य ने कॉमन फैसिलिटी सैंटर (सी एम सी) की स्थापना के लिए ईपीपी 2015 के तहत एम.एस.एम.ई., भारत सरकार की माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एम.एस.एम.ई.. सी.डी.पी.) योजना को भी अधिकृत किया है। वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा कुल 13 समूहों की पहचान की गई है। भारत सरकार ने 145. 10 करोड़ रुपये के अनुदान के तहत 45.30 करोड़ रुपये का वितरण किया है। और राज्य ने 29.85 करोड़ के अनुदान के तहत 11.31 करोड़ वितरित किए है। इस योजना से लगभग 15,000 उद्योग लाभान्वित हुए है।

6. माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को बढावा देने के लिए, ई.पी.पी. 2015 में 20 से अधिक प्रावधान किए गए जैसे, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, टेस्टिंग इक्विपमेंट असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी एक्विजिसन की सहायता, प्र्यावरण अनुपालन के लिए सहायता, एस.जी.एस.टी. पर निवेश सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी रिफंड, रोजगार सजृन सब्सिडी, और इसके इलावा बिजली शुल्क में छुट। 3400 से अधिक इकाइयों ने 292.53 करोड़ रूए की प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाया है। पिछले 05 वर्षों में प्रोत्साहन पर व्यय विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	संशोधित बजट आवंटन (रुपए करोडो में)	खर्चा (रुपये करोडों में)
2016.17	40ण00	23ण98
2017.18	67ण20	66ण98
2018.19	69ण42	69ण42
2019.20	100ण00	99ण99
2020.21 (21ण10ण2020 तक)	100ण00	32ण16

7. एमसएएमई क्षेत्र निर्माण ओर कौशल विकास को बढावा देने के लिए, आईएमटी रोहतक (19.8 एकड़ से अधिक) ओर औद्योगिक विकास केंद्र, साहा (10 एकड़) में भारत सरकार की सहायता से 150 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्रों की दो परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए भूमि एचएसआईआईडीसी द्वारा राज्य योगदान के रूप में प्रदान की गई है। प्रत्येंक प्रौद्योगिकी केंद्र से हर साल लगभग 10,000 प्रशिक्षुओं को विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की उम्मीद की जाती है।

8. इस पॉलिसी अवधि के दौरान राज्य सरकार के पास बी,सी. ओर डी ब्लॉक में 12 मेगा प्रोजक्ट और ए बलॉक में 5 मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें 11,456 करोड़ रुपए निवेश और 14,204 व्यक्तियों के रोजगार सृजन की सम्भावना है, का प्रस्ताव है। जिसका विवरण संलग्न अनुलग्नक–1 के अनुसार है।

9.ईओडीबी सुधारों के तहत ईपीपी 2015 में की गई कुछ पहलें इस प्रकार है–

क) इमारतों के वर्गीकरण के लिए जोखिम मूल्यांकन मानदंड को पुनः परिभाषित करने वाले सभी विकास प्राधिकारणों के लिए यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड।

ख) यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड के तहत सभी औद्योगिक इमारतों के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी का स्व–प्रमाणन। आटो डी.सी.आर. द्वारा योजनाओं की सवंत जांच।

ग) राज्य में निर्माण परमिट देने के विभिन्न आंतरिक और बाहरी एजेंसियों के साथ एकल संयुक्त निरीक्षण

घ) 30 दिनों में मामले के निपटान के हेतू गुरूग्राम में विशेष वाणिज्यिक न्यायालय

ई) बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली सबस्टेशन और पोलज आदि के बारे में विवरण प्रदान करने हेतू जीआईएस प्रणाली विकसित

च) वाटर मीटर के भौतिक निरीक्षण को हटाना

छ) सभी श्रम कानूनों के तहत एकल एकीकृत रिर्टन

ज) जीआईएस आधारित ऑनलाइन फोरेस्ट एनओसी

के) निरीक्षण को आसान बनाने के लिए केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली

10. ई.पी.पी.–2015 ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए उचित माहौल बनाने में भी मदद की हैं । राज्य निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य बना रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यालय के दौरान हस्ताक्षरित 495 एमओयू में से 188 कार्यान्वित किए गए हैं जिसमें 24,051 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 32,030 व्यक्तियों को रोजगार सृजन के अवसर मिले है।

1. बी. सी और डी श्रेणी ब्लॉक्स में मैगा प्रोजेक्टस

अनुलग्नक.1

क्रम संख्या	कंम्पनी का नाम	स्थान और ब्लॉक	प्रस्तावित निवेष (रुपए करोड़ो में)	प्रस्तावित रोज़गार	एच.ई.पी.बी द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहन(रुपए करोड़ो में) की मात्रा	ज़मीनी निवेष	ज़मीनी रोजगार	हरियाणा के स्थानियों को ज़मीनी रोज़गार	व्यावसायिक उत्पादन की तारीख
1	Can Pack India Pvt. Ltd.	Nuh (C)	500	150	154.22	500	160	-	जुलाई-2018
2	Panasonic India Pvt. Ltd.	Jhajjar (B)	114	154	25.58	95	184	131	30.03.2018
3	Kandhari Beverages Pvt. Ltd.	Ambala (B)	360	220	191.31	350	220	220	01.07.2017
4	Starwire (India) Pvt. Ltd, Ballabhgarh, Distt. Faridabad	Faridabad (A)	265.5	500	11.09	235	1081	481	जनवरी, 2018
5	Atotech development center pvt.ltd.,	Gurugram (A)	260	450	10.4	301	108	19	2017 में शुरू
6	Enrich Agro Food Products	Rohtak (B)	110	75	65.21	217.98	120	78	30.03.2019
7	KAP Cones	Rewari (B)	250	180	6.68	60	50	-	फेज़–1 का व्यावसायिक उत्पादन अक्टुबर 2018 में शुरू हुआ
8	Gurutech Infra Earth Pvt. Ltd.	Panchkula (B)	109.8	200	25.42	-	-	-	प्रस्तावित दिनांक मार्च 2021
9	Aarti Greentech Limited	Rohtak (B)	151	129	30.26	-	-	-	01.10.2020
10	Adani Wilmar Limited,	Sonipat (C)	450	1000	65.94	40	-	-	बांउड्री वाल का निर्माण
11	Wonder Cement Ltd,	Jhajjar (D)	300	750		122	-	-	भवन निर्माणधीन
12	Amperex Technology Limited	Nuh (C)	7083	6786	1428.4	-	-	-	ज़मीन अभी खरीदनी हैं
कुल (क)			**9953.3**	**10594**	**1860**	**1421**	**1763**	**929**	

2. 'ए' श्रेणी ब्लॉक में मैगा प्रोजेक्टस

क्रम संख्या	कंम्पनी का नाम	स्थान/क्षेत्र	ब्लॉक	प्रस्तावित निवेष (रुपए करोड़ो में)	प्रस्तावित रोजगार	स्थिति
1	Johnson Matthey India Private Limited	Bawal/ 10 acre	I	500	200	भवन निर्माणधीन
2	Wanfeng aluminum wheel (India) Pvt. Ltd.	Bawal/ Existing land	I	208	600	जनवरी 2020 में व्यवसायिक उत्पादन शुरू
3	Studds Accessories Limited	IMT Faridabad/	I	207.6	2000	अप्रैल 2020 में व्यवसायिक उत्पादन शुरू
4	Glen Appliances Pvt. Ltd.,	IMT Faridabad	I	208	530	दिसम्बर 2019 में व्यवसायिक उत्पादन शुरू
5	Yokohama India Pvt. Ltd	Bahadurgarh/ 25 acre	I	380	280	विस्तार का केस, ज़मीन का प्रबंध हो गया है।
कुल ;बीद्ध				**1503.6**	**3610**	
कुल योग (ए+बी)				**11456.9**	**14204**	

To Drain Out the Water

147. Shri Neeraj Sharma : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that water remain accumulated without rain on the road from Tiwari mobile shop to Nain Chowk in ward No-7 of N.I.T. Faridabad Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the arrangements to drain out the water from said road are likely to be made?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) और (ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Carpet the Road

122. Shri Mewa Singh : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to carpet the road from Ladwa to Mustfabad in Ladwa Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which it is likely to be carpeted?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Make Underground Water Chemical Free

111. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that chemical mixed water of industries in Panipat is polluting the underground water of villages of Israna, Gohana and Baroda Assembly Constituency; and

(b) if so, the steps taken by the Government to make the underground water of above said villages chemical free ?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) : क. नहीं श्रीमान जी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच0एस0पी0सी0बी0) भारत सरकार के राष्ट्रीय जल निगरानी के कार्यक्रम (एन0डब्ल्यू0एम0पी0) के तहत 7 स्थानों पर नदियों/नालों/जल निकायों और भूजल सहित सतही जल की गुणवता की निगरानी कर रहा हैं। इन स्थानों पर

पानी की गुणवता का पता लगाने के लिए निगारानी की जा रही है और पानीपत जिलें की भूजल गुणवता भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस0) द्वारा निर्धारित पेयजल के मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। जल निकायों के पानी के नमूनों के विश्लेषण के परिणाम केंन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़, सी0पी0सी0बी0 को सौंपे जाते हैं और नियमित रूप से सी0पी0सी0बी0 के ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड़ किए जाते हैं।

इसके अलावा, एच0एस0पी0सी0बी0 द्वारा ओधौगिक इकाईयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और सभी चिन्हित उल्लघंन करने के लिए दंड और अभियोजन जैसे दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। जबकि पानीपत जिले में अनुपचारित अपशिष्ट के अवैध निर्वहन के कोई भी रिवर्स पंपिग व अनुपचारित अपशिष्ट नलकूपों के माध्यम से नहीं पाया गया हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी0एच0ई0ड़ी0), पानीपत द्वारा स्थापित 47 नलकूपों के इस वर्ष मई, जून और जुलाई 2020 से नमूना लिया गया हैं और बताया है कि भूजल पीने योग्य हैं।

ख. जिला प्रशासन ने पानीपत जिले में पानी के प्रदूषण की रोकथाम और निगरानी के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य एजेंसियों/विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ की सहमति प्रबंधन के तहत पानीपत जिले में 530 ओद्यौगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। जिसमें से 326 जल प्रदूषणकारी इकाइयों को व्यापार/घरेलू अपशिष्ट के उपचार के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता होती हैं, और इन सभी 326 इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए हैं। इनमें से 18 इकाइयों को निर्धारित मानक से परे व्यापार/घरेलू अपशिष्ट का निर्वाहन करते हुए पाया गया है और इन 18 इकाइयों के खिलाफ बंदीकरण कार्यवाही कर दी गई हैं और 4 इकाइयों के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही की गई हैं।

2. पानीपत जिले में पिछले दो वर्षों में बोर्ड द्वारा 137 अवैध ब्लीच हाउस बंद किए गए हैं।

3. 50 ओद्यौगिक क्षेत्रों/इकाइयों ने पानीपत जिले में शून्य तरल निर्वहन (ZLD) लगाया है।

4. विभिन्न उच्च प्रदूषण वाले उद्योगों , कॉमन एफलुएंट ट्रीटमेंट, कामन हैजार्डस वेस्ट और बायों मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सुविधाओं और ऑनलाईन सेल्फ मॉनिटरिंग के संबंध में, पानीपत जिले में उद्योगों / परियोजनाओं के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। अनुपालन के लिए, 35 इकाइयों ने पानीपत जिले में सैल्फ मॉनिटिंरिंग उपकरण स्थापित कर लिया हैं। और एच0एस0पी0सी0बी0 और सी0पी0सी0बी0 सर्वर के साथ जुड़े हुए है और इसके ऑनलाइन आंकडे प्रर्दिशत करते हैं।

5. एच0एस0पी0सी0बी0 नियमित रूप से अनिवार्य निरीक्षणों के अलावा विभिन्न जल प्रदूषण इकाइयों द्वारा प्रदूषित उद्योगों और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और संचालन का निरीक्षण और पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन का नियमित रूप से निरीक्षण करता रहा हैं। निरीक्षण के संचालन के लिए प्रदूषण के खिलाफ निर्दिष्ट चैनल और जहाँ भी माननीय न्यायालय/न्यायाधिकरण के निर्देश प्राप्त होते हैं वहाँ बोर्ड़ विशेष जांच भी कर रहा हैं।

6. पानीपत जिले सहित पूरे हरियाणा में बहने वाली नदियों और नालों की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी एच0एस0पी0सी0बी0 द्वारा की जाती हैं।

7. राज्य सरकार मल्टीमीडिया के माध्यम से पर्यावरण के मुदों पर जागरूकता पैदा करने और आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं।

.....

To Increase the Level of Ground Water

137. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the steps taken by the Government to increase the underground water level in Badhra Assembly Constituency togetherwith the details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्री (जय प्रकाश दलाल) : महोदय, एक ब्यान सदन के पटल पर रखा गया है।

ब्यान

भू–जल स्तर बढ़ाना

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में गिरते भू–जल के स्तर की समस्या से निपटने तथा किसानों के हितों हेतू जल संरक्षण की पद्धतियों के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्य करवाये गये हैं :–

1. राज्य में 15 मई से पूर्व धान की बिजाई तथा 15 जून से पूर्व रोपाई की रोकथाम के लिये **"हरियाणा भूमिगत जल परिरक्षण अधिनियम, 2009"** नाम का विधेयक लागू किया गया है।
2. राज्य के गहरे भू–जल स्तर वाले क्षेत्रों में जल–रिचार्ज के लिये **"एकसेलेरेटिड रीचार्ज आफ ग्राउंड वाटर"** नामक स्टेट प्लान योजना वर्ष 2005–06 से लागू की गई है। इस स्कीम के अर्न्तगत वर्ष 2019–2020 तक कुल 953 रेन वाटर हारवैस्टिंग स्टरक्चरों का निर्माण किया गया है। बाढ़डा में वर्ष 2019–20 तक कुल 08 रेन वाटर हारवैस्टिंग स्टरक्चरों का निर्माण किया गया है।
3. विभाग द्वारा किसानों को टपका सिंचाई प्रणाली के उपयोग हेतू प्रोत्साहित किया जाता है। जिसके अर्न्तगत 5 हैक्टेयर तक के लिये सभी श्रेणियों के किसानों हेतू 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 तक इस योजना के अर्न्तगत 4819.19 हैक्टेयर क्षेत्र में टपका सिंचाई प्रणाली हेतू 2943.00 लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

   माह जुलाई, 2020 तक चरखी दादरी के बाढ़डा खण्ड में टपका सिंचाई प्रणाली के अर्न्तगत कुल 53 लार्भाथियों का 60.64 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने हेतू कुल 44.44 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।
4. विभाग द्वारा किसानों को फव्वारा सिंचाई प्रणाली के उपयोग हेतू भी प्रोत्साहित किया जाता है। जिसके अर्न्तगत 5 हैक्टेयर तक के लिये सभी श्रेणियों के किसानों हेतू 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 तक इस योजना के अर्न्तगत 674788. 18 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयन्त्र प्रणाली हेतू 28636.03 लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

   माह जुलाई, 2020 तक चरखी दादरी के बाढ़डा खण्ड में फव्वारा संयन्त्र प्रणाली के अर्न्तगत कुल 1472 लार्भाथियों का 1826.35 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने हेतू कुल 473.98 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।
5. लीकेज तथा वाष्पीकरण से होने वाली हानि से बचने के लिये किसानों को भूमिगत पाईपलाईन प्रणाली के अर्न्तगत अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है जिसके अर्न्तगत प्रणाली की कीमत की 50 प्रतिशत जो कि 25000/– रूपये प्रति हैक्टेयर होता है तथा अधिकतम सीमा 60000/– रूपये तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 तक 223695.21 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाईपलाईन प्रणाली पर 35842.35 लाख रूपये खर्च किये गये।

   माह जुलाई, 2020 तक चरखी दादरी के बाढ़डा खण्ड में भूमिगत पाईपलाईन प्रणाली के अर्न्तगत कुल 265 लार्भाथियों का 501.69 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने हेतू कुल 93.00 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।
6. प्राकृतिक भू–जल संसाधन के संरक्षण हेतू राज्य में फसल विविधीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अर्न्तगत धान जैसी अधिक सिंचाई वाली फसलों के स्थान

पर मक्का, सूरजमुखी तथा समर मूंग जैसी कम सिंचाई वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा **"मेरा पानी मेरी विरासत"** नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अर्न्तगत किसानों को 7000/– रूपये प्रति एकड के हिसाब से किसानों को अनुदान देने का प्रावधान है।

7. भू–जल के उचित प्रयोग तथा संरक्षण हेतू किसानों को शिक्षित एवं अवगत करवाने के लिये विभाग द्वारा समय–समय पर बडे स्तर पर कैम्प भी लगाये जाते हैं।

.....

To Open a Girls College

177. Shri Balraj Kundu : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls College in Meham; if so, the time by which it is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

To Restart Bus Services

173. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that Bus Services were stopped in the Morni area of Kalka Constituency due to lockdown; if so, the time by which bus services are likely to be restarted in the said area?

परिवहन मंत्री (श्री मूलचन्द शर्मा) : श्रीमान् जी हां। कालका विधानसभा के मोरनी क्षेत्र में लॉक डाऊन के कारण बस सेवा को अस्थाई तौर पर बन्द कर दिया गया था। परन्तु अब दिनांक 17.06.2020 से इस क्षेत्र में बसों का संचालन फिर से आरम्भ करवा दिया गया है और इन मार्गों पर बसों का संचालन हो रहा है। कोविड–19 से पूर्व मोरनी क्षेत्र में 10 बसों द्वारा 10 मार्गों पर संचालन करवाया जा रहा था, परन्तु कोविड–19 महामारी की वजह से यात्री कम होने के कारण राज्य में बहुत कम बसों का संचालन करवाया जा रहा है। अब मोरनी क्षेत्र में 05 बसों द्वारा 07 मार्गों पर संचालन करवाया जा रहा है। फिर भी यदि आवश्यकता हुई तो और अधिक बसें आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवा दी जाएंगी।

Provision of Reservation for SCs and BCs

170. Shri Dharam Pal Gonder : Will the Welfare of SCs and BCs Minister be pleased to state-

(a) whether there is any provision of reservation for Scheduled Castes and Backward Classes in the appointment of employees on outsourcing policy in the State; if so, the details thereof; and

(b) if not, the time by which the said provision is likely to be implemented in State?

सहकारिता मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल) : श्रीमान जी, उत्तर का विवरण विधान सभा के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) क्या राज्य में आऊटसोर्सिंग नीति पर कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; तथा

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा हिदायतें पत्र क्रमांक 16/7/2015–1जी0एस0II दिनांक 06.04.2015 के माध्यम से एक आऊटसोर्सिंग पॉलिसी तैयार की गई है। इस आऊटसोर्सिंग पॉलिसी की निरन्तरता में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के द्वारा हिदायतें पत्र क्रमांक 22/104/2014–1जी0एस0III दिनांक 27.10.2017 तथा 12.03.2018 के द्वारा समय–2 पर रिव्यू किया गया है। जिसमें आऊटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट–I व II के अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर की जाने वाली भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(ख) यदि नहीं, तो राज्य में उक्त प्रावधान के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उपरोक्त आऊटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट–I व II के अन्तर्गत भर्तियों के समय सभी विभागों/सार्वजनिक उपकर्मों/विश्वविद्यालयों के द्वारा आरक्षण के प्रावधान की परिपालना की जाती है।

.....

To start the Construction Work

165. Shri Deepak Mangla : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an announcement has been made by the Hon'ble Chief Minister to construct Bhanguri distributary in Palwal but the said work has not been started so far; and

(b) if so, the time by which the above said work is likely to be started?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हां श्रीमान जी।

(ख) इस काम के लिए निविदांए 11.11.2020 को खोली जानी है और कार्य 15.12.2020 तक शुरू होने की संभावना है।

.....

Kisan Khet Sadak Yojna

131. Shri Bishan Lal Saini : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Kisan Khet Sadak Yojana will be continued in future also?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाल) : हां, श्रीमान जी।

.....

Election of President and Vice-President of Municipal Council

163. Shri Amit Sihag : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which the election for the post of President & Vice-President of the Municipal Council of Mandi Dabwali are likely to be held?

LokLF; eU=h ¼Jh vfuy fot½ % Jheku] mik;qDr] fljlk ds vkns'k dzekad 2&113@4973@,y-,Q-,-] fnukad 12-10-2020 }kjk mie.My vf/kdkjh ¼uk0½] Mcokyh dks uxj ifj"kn] e.Mh Mcokyh ds v/;{k rFkk mik/;{k ds pquko dh izfdz;k iw.kZ djus ds fy, ihBklhu vf/kdkjh fu;qDr fd;k x;k gSA bl lUnHkZ esa] ihBklhu vf/kdkjh&de&mie.My vf/kdkjh ¼uk0½] Mcokyh }kjk vius i= dzekad 1&25@,y-,Q-lh] fnukad 30-10-2020 }kjk fnukad 10-11-2020 dks nksigj 12-00 cts uxj ifj"kn] e.Mh

Mcokyh ds dk;kZy; eas fo’ks"k cSBd dk vk;kstu fd;k x;k gSA

To Reduce the Crime

157. Shri Varun Chaudhry : Will the Home Minister be pleased to state the steps taken by the Government to reduce the crime rate in the State in the light of latest National Crime Records Bureau (NCRB) report ?

गृह मन्त्री **(श्री अनिल विज) :** श्रीमान जीवाछिंत सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है। ,

सूचना

वर्ष के लिए अंतिम अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 रिपोर्ट उपलब्ध है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष)1,66,336 में कुल 2019भारतीय दण्ड सहिंता व स्थानीय एवं विशेष अधीनियमों के अन्तर्गतअभियोग (अंकित किये 1,91,229 में कुल 2018 जबकि वर्ष ,अभियोग अंकित किये गये थे।

समाज के सभी वर्गों के विरुद्ध राज्य में अपराध दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी संख्या में ठोस कदम उठाए गऐ तथा उठाये जा रहे हैं। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने पर बल दिया जा रहा है।

सामान्य अपराध –

1. अपराध दर को ओर कम करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की स्वीकृति दी गई।
2. रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित आधार पर भर्ती की जा रही है।
3. डायल 112 परियोजना पूरे राज्य में स्थापित की जा रही है।
4. गश्त करने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि।
5. बेहतर संचार नेटवर्क का स्थापन।
6. 24 घंटे पी.सी.आर पैट्रोलिंग और नाकाबंदी ड्यूटी।
7. राज्य की सीमाओं पर अंतर-राज्य नाकाबंदी।
8. पुलिस बल की अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करना।
9. मासिक आधार पर नाइट डौमिनेशन किया जा रहा है।
10. भीड़ भरे स्थानों, बाजारों, बैंकों आदि पर गश्त सुनिश्चित करने बारे।
11. पैदल और वाहनों द्वारा संध्या और रात्री गश्त।
12. अवैध हथियारों का खुलासा करने के लिए, नशीले पदार्थों के तस्करों, मोस्ट वांटेड अपराधियों, उदघोषित अपराधियों, जमानत से न लौटने वाले, पैरोल जंपर्स, ऐसे अपराधियों जिनकी गिरफतारीपर ईनाम घोषित किया गया है,को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।
13. नियमित अंतराल पर अंतर-जिला और अंतर-राज्य स्तर पर नियमित अपराध गोष्ठी।
14. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कडी और प्रभावी निगरानी।

15. अपराध की रोकथाम में पुलिस कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करना।

महिला विरुद्ध अपराध -

1. राज्य के सभी जिलों में एक सामान्य पुलिस स्टेशन की पूर्ण शक्तियोंसहित महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन पुलिस थानों में तैनात अधिकांश कर्मचारी महिला हैं। प्रत्येक महिला पुलिस स्टेशन को 02 हल्के वाहन (कार/जीप) और 02 स्कूटर प्रदान किये गये है ताकि महिलाओं को संकट में त्वरित प्रतिक्रिया मिल सके।

2. राज्य के सभी जिलों में चार अंकों वाली महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 को सक्रिय किया गया है, विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों को इस हेल्पलाइन नंबर पर उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों सहित मध्य और वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारी हेल्पलाइन के कामकाज की निगरानी करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत पर त्वरित और उचित कार्रवाई सुनिश्चितहो।

3. महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से तैनात महिला पीसीआर वाहनों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम और संकट में महिलाओं को त्वरित मदद देने के लिए तैनात किया गया है। ये पीसीआर उन स्थानों पर प्रतिबंधात्मक गश्त कर रहे हैं, जहां महिलाओं के विरुद्ध अपराध की संभावना है जैसे की कन्या संस्थान, बाजार स्थल और पूजा स्थल इत्यादि।

4. सभी उप-मण्डल मुख्यालयों में महिला सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं।

5. प्रत्येक महिला पुलिस थाने में महिलाओं और बच्चों के लिए जिला-स्तर पर विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। इस कक्ष का नेतृत्व महिला और बाल विकास विभाग के एक महिला अधिकारी द्वारा किया जाता है। वह बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए जिला निषेध-सह-संरक्षण अधिकारी के रूप में और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा के तहत संरक्षण अधिकारी के रूप मेंकार्यरत है।

6. राज्य के प्रत्येक जिले में विशेषकर परिवहन वाहनों में महिलाओं से छेडछाड (ईवटीजिंग) पर अंकुश लगाने के लिए एंटी-ईवटीजिंग स्टाफ बनाया गया है।

7. सभी जिला पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए निम्नलिखित परिचालन उपाय / कदम उठाए जाएं:-

(i)अति संवेदनशील मानचित्रण करना। लड़कियों के स्कूल और कॉलेज, कमजोर वर्गों की बस्तियाँ, झुग्गी-झोपड़ी आदि ऐसे स्थान हैं, जहाँ पर प्रभावी तरीके से गश्त करने की आवश्यक्ता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय एनजीओ के सहयोग से ऐसे क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है।

(ii) आदतन यौन अपराधियों की पहचान करना और उन्हें रोकने के लिए सभी निवारक उपाय करना।

(iii) एकल कामकाजी महिलाएं, बच्चे और घरेलू नौकरानी जोकि उच्च जोखिम वाले समूह हैं को व उनके हितधारकों को खतरे के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जागरुक्ता अभियान चलाये जायें

)iv) खेल विभाग के सहयोग से इच्छुक लड़कियों के लिए आत्मरक्षा शिविर का आयोजन शिक्षण संस्थानों और पुलिस लाईनों में किया जाये।

(v) महिलाओं के विरुद्ध अपराधवाले क्षेत्रों में दिन और रात कीप्रभावीगश्तसुनिश्चित करना।

)vi) उपयुक्त स्थानों पर दिन और रात की नाकाबंदी का आयोजन किया जाये और शरारती तत्वों को पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायें।

.8 महिला पुलिस अधिकारियों को स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमाघरों, ट्यूशन कोचिंग सेंटरों /, बाजारों आदि स्थानों के पास सिविल कपड़ों में तैनात किया जा रहा है, जो छेडछाड की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों को पकडने में प्रभावी हैं।

.9 हरियाणा पुलिस अकादमी और राज्य के सभी भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का लिंग संवेदीकरण किया जा रहा है। साथ ही, मण्डल और जिला स्तर पर पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए लघु पाठ्यक्रम कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। / सेमिनार /

.10 महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने और उनका पता लगाने के लिए सभी स्तरों के पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक स्तर पर पुलिस के जवानों को ग्राम भ्रमण की कार्यप्रणाली और गांवों में महिलाओं और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं में आत्मविश्वास और विश्वास जगाने के तरीके बताए जा रहे हैं। गांव के दौरे के दौरान, प्रिंसिपल, स्थानीय स्कूलों कॉलेजों के शिक्षकों के साथ /विचारविमर्श- किया जा रहा है।

नशीले पदार्थों की तस्करी –

1. पंचकूला में अंतरराज्य ड्रग सचिवालय की स्थापना हरियाणा-, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली राज्यों के साथ मिलकर की गई है।

2. हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना राज्य के किसी भी क्षेत्र में नशीलें पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए करनाल मुख्यालय मधुबनकरनाल , में की गई है। यह नशीले पदार्थों पर नकेल कसने के लिए सभी पुलिस इकाइयों के साथ समन्वय करेगा।

3. जिला पुलिस के अतिरिक्त मादक पदार्थो पर नियंत्रण एवं गुप्त सुचनाए एकत्रित करने के लिए राज्य अपराध शाखा में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित किए गए हैं।

4. मादकपदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार करने और नशीले पदार्थों को जब्त करने के लिए नियमित अंतराल पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जब्त मादक पदार्थों को एफ.आई.आर के पंजीकरण के बाद और नियत प्रक्रिया के अन्तर्गतनष्ट कर दिया जाता है।

अनुसूचित जातिअनु/सूचित जन जाति के विरुद्ध अपराध –

1. अनुसूचित जातिअनु/सूचित जनजाति अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफ.आई.आर. का तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाता है।

2. एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा विवेचना शीघ्र की जाती है और मामले को जल्द से जल्द अंतिम रूप दे दिया जाता है।

जिला उपायुक्त को सूचित किया जाता है जिससे कि पीड़ित को शीघ्र मुआवजा दिया जा सके।

Construction of Road

148. Shri Neeraj Sharma : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which the construction work of road from

Aggarwal School turn to K.D School road in Ward No.-6 of N.I.T Faridabad Assembly Constituency is likely to be completed togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमानजी, नगर निगम, फरीदाबाद ने प्रस्तुत किया है कि अग्रवाल स्कूल मोड़ से के.डी. स्कूल रोड, वार्ड नं0 6 तक का सड़क निर्माण का कार्य अनुबंद एजेन्सी को कार्य आदेश दिनांक 05.03.2020 के माध्यम से आबंटित किया गया है जिसकी समय पूरा होने की अवधि छः माह है। कार्य प्रगति पर है और मौके पर 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। कोविड–19 लॉकडाउन के कारण कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा नहीं हो सका और अब शेष कार्य जल्द ही पूर्ण कर दिया जाएगा।

.....

To Carpet the Road

121. Shri Mewa Singh : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to carpet the road from Shahabad Ladwa road to Berthala; and

(b) if so, the time by which it is likely to be carpeted?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) तथा (ख) कारपेट का कार्य हाल ही में 12.10.2020 को पूर्ण किया जा चुका है।

.....

Amendments in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna

110. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) the details of amendments made by the Government in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna; and

(b) the details of companies working for PMFBY togetherwith the district allotted to them since the inception of the scheme in State ?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (जय प्रकाश दलाल) : महोदय,

(क) भारत सरकार ने खरीफ 2020 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्नलिखित संशोधन किए हैं –

1. यह योजना अब सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है।

2. भूस्खलन जोखिम को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर कर दिया है।

3. बीमा कंपनियों के लिए अनुबंध की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है।

4. सिंचित फसलों के लिए भारत सरकार के प्रीमियम अंशदान को 25% तक सीमित कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) खरीफ 2016 से रबी 2022–23 तक जिला वार कार्यरत बीमा कम्पनियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :–

जिला	कार्यान्वयन कम्पनियां				
	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	खरीफ 2020 से रबी 2022–23
सिरसा भिवानी फरीदाबाद कुरूक्षेत्र कैथल पंचकूला रेवाड़ी	रिलायन्स जनरल बीमा कम्पनी लि0	आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड	ओरियन्टल जनरल बीमा कम्पनी	ए०आई०सी० ऑफ इण्डिया लि0	ए०आई०सी० ऑफ इण्डिया लि0
हिसार सोनीपत गुरूग्राम करनाल अंबाला जींद महेन्द्रगढ़	बजाज आलियान्ज़ जनरल बीमा कम्पनी लि0	बजाज आलियान्ज़ जनरल बीमा कम्पनी लि0	एस०बी०आई० जनरल बीमा क0 लि0	एस०बी०आई० जनरल बीमा क0 लि0	रिलायन्स जनरल बीमा कम्पनी लि0
फतेहाबाद रोहतक झज्जर मेवात पलवल पानीपत यमुनानगर	आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड	बजाज आलियान्ज़ जनरल बीमा कम्पनी लि0	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा क0 लि0	बजाज आलियान्ज़ जनरल बीमा कम्पनी लि0	बजाज आलियान्ज़ जनरल बीमा कम्पनी लि0
चरखी दादरी	–	–			

.....

To Construct the Rest House

138. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Rest House of PWD in Badhra Assembly Constituency; and

(b) If so, the time by which the construction work of above said Rest House is likely to be started ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) और (ख) नहीं, श्रीमान जी ।

.....

To Reappoint the PTIs

178. Shri Balraj Kundu : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to reappoint the 1983 PTIs togetherwith the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : महोदय, इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

.....

To Give Relaxation in the Rules

174. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give relaxation in the rules to the Panchayats for the construction of streets in the small village in the Morni area of Kalka constituency; if so, the details thereof?

उप–मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : नही, श्रीमान जी।

.....

The Policy of Re-Appointment

171. Shri Dharam Pal Gonder : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the policy of the Government on the basis of which the retired officers/officials are being appointed on some posts in the State; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish the said provision?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : :(क) हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 143 के उप–पैरा 2 के द्वारा पुनःनियोजन की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसे मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के साथ अधिकतम 2 वर्ष के लिये नियत किया जाता है। हालांकि कानून और व्यवस्था, नियामक कार्य, प्रशासनिक महत्व का काम, बुनियादी ढांचा विकास और सार्वजनिक उपयोगिताओं को बनाए रखने वाले

विभागों में कुछ वर्गों और श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के पुनःनियोजन की अनुमति तभी प्रदान की जाती है जब कार्य के लिए अधिसूचना क्रमांक 34/01/2018–4जी0एस01, दिनांक 20.06.2018 द्वारा गठित अधिकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(ख) उक्त प्रावधान को निरस्त करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है।

.....

To start Lining Work

166. Shri Deepak Mangla : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an announcement has been made by the Hon'ble Chief Minister to line the Hassanpur distributary but the said work has not been started so far; and

(b) if so, the time by which the said work is likely to be started?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी आगरा नहर प्रणाली का हिस्सा है जोकि उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के अधीन व अधिकार क्षेत्र में आता है। चैनल का संशोधित क्षमता विवरणी उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग की सहमति के लिए भेज दी गई थी लेकिन वह अभी तक प्रतीक्षित है। उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग की सहमति मिलने के बाद सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मांगी जाऐगी। इसलिए कोई निर्धारित समय सीमा नही दी जा सकती है।

.....

To Renovate the Village Ponds

132. Shri Bishan Lal Saini : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any policy under consideration of the Government to renovate the village ponds after sanitation, digging and to construct retaining wall in each Assembly Constituency in State ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : हाँ, श्रीमान् जी।

.....

Widening of Road

162. Shri Amit Sihag : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement has been made by the

Hon'ble Chief Minister in 2017 to widen the Bus Stand Road in Dabwali; if so, the time by which it is likely to be widened?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : हां श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा वर्ष 2017 में डबवाली रैली में मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 23899 की गई है। उक्त सड़क के चौड़ीकरण की व्यवहार्यता की जांच के लिए उपमंडल अधिकारी (नागरिक), डबवाली द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। निरिक्षण के दौरान, संयुक्त समिति द्वारा पाया गया कि मौके पर कई धार्मिक संरचनाएं, पेड़, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, भूमिगत डीजल टैक, एक बूस्टिंग स्टेशन और परिवहन विभाग की इमारतें है, जिन्हें इस कार्य के निष्पादन के लिए ध्वस्त करने/हटाने की आवश्यकता है। तदोपश्चात उपरोक्त वर्णित कारण के कारण समिति ने बताया कि कार्य का निष्पादन सम्भव नही है।

.....

Arrangement for Drainage of Water

149. Shri Neeraj Sharma : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which proper arrangement for drainage of water are likely to be made on Ashram road, Amar Chand-Manglawali road, Chhtarwali road and Aara machine road in Ward No.-9 of N.I.T. Faridabad Assembly Constituency?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमानजी, नगर निगम, फरीदाबाद ने प्रस्तुत किया है कि प्रश्न में वर्णित साईटों के लिए कच्चा अनुमान तैयार किया जा रहा है और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी और कार्य 30.06.2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।

.....

To Carpet The Road

120. Shri Mewa Singh : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to carpet the road from Ladwa to Hinori in Ladwa Constituency; and

(b) if so, the time by which it is likely to be carpet?

उप–मुख्यमन्त्री (दुष्यंत चौटाला) : (क) हॉ, श्रीमान् जी।

(ख) कारपेट का कार्य मार्च 2021, तक पूरा किये जाने की संभावना है।

.....

Tax Collected from Cable Operators

109. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any provision of the Government for imposing entertainment tax or any other tax on the cable operators in State; if so, the district wise or local body wise details of tax collected from these cable operators; and

(b) if not, whether there is any proposal under consideration of the Government to levy taxes on cable operators of State?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : हां, श्रीमान।

¼d½ fo/kkulHkk ds orZeku l= esa gfj;k.kk uxj euksjatu M~;wVh vf/kfu;e dh /kkjk 3, ds rgr ,d la'kks/ku fd;k x;k FkkA la'kks/ku izko/kku ds lanHkZ esa] 'kqYd dh nj dks ,df=r djus ls igys vf/klwfpr fd;k tkuk gSA pwafd orZeku l= ds nkSjku gh bl izko/kku dks 'kkfey fd;k x;k gS] blfy, ljdkj }kjk vHkh njksa dks vf/klwfpr fd;k tkuk gS vkSj blfy, vc rd fdlh Hkh uxj fudk; esa 'kqYd tek ugh fd;k x;k gSA

¼[k½ nj tYn gh vf/klwfpr gksus dh laHkkouk gS vkSj blds vf/klwfpr djus ds ckn] dkuwuh izko/kku ds vuqlkj 'kqYd fy;k tk,xkA

Vacant Posts in Health Centre and Dispensaries

139. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Health Minister be please to state-

(a) the centre-wise and category wise details of the sanctioned and presently working Doctors and other staff in different CHCs, PHCs, Sub Health Centers and Dispensaries situated in Badhra Assembly Constituency; and

(b) the time by which the above said vacant posts are likely to be filled-up togetherwith the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) श्रीमान जी, एक कथन सदन के पटल पर रखा है।

(ख) रिक्त पदो को भरने बारे मांग पत्र पहले ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है।

कथन

बाढङा विधान सभा क्षेत्र मे अमले की स्थितिः–

क्रम सख्या	स्वास्थ्य संस्था का नाम	पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झोझू कलां	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	0	1
2		चिकित्सा अधिकारी	7	7	0
3		डेंटल सर्जन	1	1	0
4		नर्सिंग सिसिटर	1	0	1
5		पी.एच.एन.	1	0	1
6		फार्मेसी ऑफिसर	2	0	2
7		स्टाफ नर्स	8	5	3
8		एम.पी.एच.एस.(मेल)	2	2	0
9		एम.पी.एच.एस.(फिमेल)	2	1	1
10		चतुर्थ श्रेणी	14	3	11
11		लैब टेक्नीशियन	2	1	1
12		लेखा सहायक	2	2	0
13		क्लर्क कम स्टोर कीपर	2	1	1
14		कंप्यूटर/स्तेस्तिकल असिस्टेंट	1	1	0
15		रजिस्ट्रेशन लिपिक–कम–डी.ई.ओ. आउटसोर्सिंग	1	1	0
16		ड्राईवर	1	0	1
17		ब्लाक एक्सटेंशन एजुक्टेर	1	1	0
18		डेंटल सहायक	1	1	0
19		रेडियो ग्राफर	1	0	1
20		ओ.टी.ए.	1	0	1
21		नेत्र सहायक	1	0	1
22		स्टेनो टाईपिस्ट	1	0	1
23	उपस्वास्थ्य केंद्र झोझू कलां	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
24		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
25	उपस्वास्थ्य केंद्र झोझू खुर्द	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
26		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
27	उपस्वास्थ्य केंद्र मेहरा	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
28		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
29	उपस्वास्थ्य केंद्र ढाढी बाना	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
30		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
31	उपस्वास्थ्य केंद्र तिवाला	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
32		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
33	उपस्वास्थ्य केंद्र बिरही कंला	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
34		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
35	उपस्वास्थ्य केंद्र बादल	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
36		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
37	उपस्वास्थ्य केंद्र चिरंया	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	0	1
38		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
39	उपस्वास्थ्य केंद्र	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0

40	दुधवा	एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
41	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माई कंला	चिकित्सा अधिकारी	2	2	0
42		डेंटल सर्जन	1	1	0
43		औषधा कारक	1	1	0
44		एम.पी.एच.एस.(मेल)	1	1	0
45		एम.पी.एच.एस.(फिमेल)	1	0	1
46		लैब टेक्नीशियन	1	0	1
47		स्टाफ नर्स	2	0	2
48		चतुर्थ श्रेणी	2	1	1
49	उपस्वास्थ्य केंद्र माई कंला	एम.पी.एच / डब्लू(मेल)	1	1	0
50		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
51	उपस्वास्थ्य केंद्र चन्देनी	एम.पी.एच / डब्लू(मेल)	1	1	0
52		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
53	उपस्वास्थ्य केंद्र चांगरोड	एम.पी.एच / डब्लू(मेल)	1	1	0
54		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
55	उपस्वास्थ्य केंद्र पालरी	एम.पी.एच / डब्लू(मेल)	1	1	0
56		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
57	उपस्वास्थ्य केंद्र बधवाना	एम.पी.एच / डब्लू(मेल)	1	1	0
58		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
59	उपस्वास्थ्य केंद्र कलियाना	एम.पी.एच / डब्लू(मेल)	1	1	0
60		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
61	सामुदायिक स्वास्थ्य केद्र गोपी	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	0
62		चिकित्सा अधिकारी	7	6	1
63		डेटल सर्जन	1	1	0
64		फार्मेसी ऑफिसर	2	2	0
65		लैब टेक्नीशियन(जर्नल)	2	0	2
66		लैब टेक्नीशियन(मलेरिया)	1	0	1
67		पी.एच.एन.	1	0	1
68		बी.ई.	1	1	0
69		नर्सिंग सिसिटर	1	0	1
70		स्टाफ नर्स	8	5	3
71		नेत्र सहायक	1	0	1
72		ऑपरेशन थरेटर सहायक	1	0	1
73		धोबी	1	0	1
74		माली	1	1	0
75		ड्राईवर	2	0	2
76		एम.पी.एच / डब्लू(मेल)	1	1	0
77		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
78		लेखा सहायक	2	0	2
79		क्लर्क	2	1	1
80		कंप्यूटर स्लर्क	1	0	1
81		स्टैनो टाईपिस्ट	1	1	0
82		वार्ड सर्वेंट	10	2	8
83		स्वीपर	6	0	6
84		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
85	उपस्वास्थ्य केंद्र कक्रोली सरदाना	एम.पी.एच / डब्लू(मेल)	1	1	0
86		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
87		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
88		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
89	उपस्वास्थ्य केंद्र द्वारका	एम.पी.एच / डब्लू(मेल)	1	1	0
90		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
91	उपस्वास्थ्य केंद्र कारी रुपा	एम.पी.एच / डब्लू(मेल)	1	1	0
92		एम.पी.एच / डब्लू(फिमेल)	1	1	0
93	प्राथमिक स्वास्थ्य	चिकित्सा अधिकारी	2	2	0
94		डेटल सर्जन	1	0	1
95		फार्मेसी ऑफिसर	1	1	0

96	केंद्र बाडङा	स्टाफ नर्स	2	2	0
97		चतुर्थ श्रेणी	1	1	0
98		स्वीपर	1	0	1
99		लैब टेक्नीशियन(जर्नल)	1	0	1
100		एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
101		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
102	उपस्वास्थ्य केंद्र बाढङा	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
103		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
104	उपस्वास्थ्य केंद्र बेरला	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
105		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
106	उपस्वास्थ्य केंद्र भांडवा	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
107		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
108	उपस्वास्थ्य केंद्र गोविन्द पूरा	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
109		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
110	उपस्वास्थ्य केंद्र लाड	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
111		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	0	1
112	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कादमा	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
113		डेटल सर्जन	1	0	1
114		डेंटल सहायक	1	0	1
115		फार्मेसी ऑफिसर	1	1	0
116		स्टाफ नर्स	2	1	1
117		चतुर्थ श्रेणी	1	0	1
118		स्वीपर	1	0	1
119		लैब टेक्नीशियन(जर्नल)	1	0	1
120		एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
121	उपस्वास्थ्य केंद्र कादमा	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
122		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
123	उपस्वास्थ्य केंद्र राम बास	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	0	1
124		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
125	उपस्वास्थ्य केंद्र कान्हरा	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
126		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
127		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
128	उपस्वास्थ्य केंद्र चन्दवाास	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
129		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
130	प्राथमिक स्वास्थ्य केद्र हरोदी	चिकित्सा अधिकारी	2	2	0
131		डेटल सर्जन	1	0	1
132		फार्मेसी ऑफिसर	1	0	1
133		स्टाफ नर्स	2	2	0
134		लैब टेक्नीशियन(जर्नल)	1	0	1
135		वार्ड सर्वेंट	1	0	1
136		स्वीपर	1	0	1
137		एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
138		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	0	1
139	उपस्वास्थ्य केंद्र हरोदी	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
140		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
141	उपस्वास्थ्य केंद्र पिचोपा कलां	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
142		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
143	उपस्वास्थ्य केंद्र ढोका हरिया	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
144		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
145	उपस्वास्थ्य केंद्र अटेला	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
146		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
147	उपस्वास्थ्य केंद्र दुदिवाला के.पी	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
148		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
149	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छपार	चिकित्सा अधिकारी	2	2	0
150		डेटल सर्जन	1	1	0
151		एम.पी.एच.एस.(फिमेल)	1	1	0

152		फार्मेसी ऑफिसर	1	0	1
153		स्टाफ नर्स	2	1	1
154		लैब टेक्नीशियन(जर्नल)	1	0	1
155		वार्ड सर्वेंट	1	1	0
156		स्वीपर	1	0	1
157		एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
158	उपस्वास्थ्य केंद्र छपार	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
159		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
160		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
161	उपस्वास्थ्य केंद्र बरसाना	एम.पी.एच/डब्लू(मेल)	1	1	0
162		एम.पी.एच/डब्लू(फिमेल)	1	1	0
कुल			**237**	**150**	**87**

Recruitment of J.B.T. Teachers

179. Shri Balraj Kundu : Will the Education Minister be pleased to state the reasons for which the recruitment of J.B.T. teachers has not been made by the Government in State for the past few years?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, क्योंकि पहले ही जे0बी0टी0 अध्यापक सरप्लस है, इसलिए कोई नई भर्ती नहीं की गई है।

.....

To Solve the Problems of Stray Animals

175. Shri Pardeep Chauhary : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the steps the taken by the Government to solve the problems of stray animals in State?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): माननीय महोदय, राज्य में आवारा पशुओं की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(1) सरकार ने राज्य में गौशालाओं, पशुफाटक और गौ अभ्यारण की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू की है।

(2) सभी उपायुक्तों को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 21 (XXVI) में प्रावधान अनुसार गाँवों में गौ घर और पशुफाटक निर्माण करवाने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं की स्थापना के लिए शामलात भूमि पटटे् पर देने के लिए पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 में प्रावधान किया गया है।

(4) विभिन्न स्थानों पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, गौशालाओं, गाय कल्याण समितियों, ननिहालों व सामाजिक संगठनों को गौशाला/नंदीशाला स्थापति करने और चलाने के लिए भूमि तथा अन्य बुनियादी ढांचे जैसे शेड, भवन ट्रैक्टर और एम्बुलेंस आदि दिए गए हैं।

(5) हरियाणा राज्य में शहरी स्थानीय निकाय विभाग आवारा पशुओं को स्वयं या एजेंसियों के माध्यम से गौशालाओं, नंदीशालाओं में भेज रहा है जो नगरपिलकाओं, सामान्य

जनता, गैर सरकारी संगठनों व अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता से चल रही हैं।

(6) शहरी स्थानीय निकाय विभाग चारे, पानी की व्यवस्था, बिजली आदि के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गौशालाओं, नंदीशालाओं को सहायता प्रदान कर रहा है।

(7) हरियाणा गौ–सेवा आयोग भी गौशालाओं को चारा और खुराक उपलब्ध करा रहा है। इस प्रयोजन के लिए गौ–सेवा आयोग ने गौशालाओं की सहायता के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान मु0 852.15 लाख राशि का अनुदान दिया है।

8) राज्य में गौशाला संघ के अधीन 541 (पंजीकृत) तथा 83 अपंजीकृत गौशालाएँ हैं, जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है।

(9) हरियाणा राज्य में जहां कहीं भी आवारा बंदरों का झुंड है, उन नगरपालिकाओं ने पेशेवर एजेंसियों को बंदरों को पकड़कर कलेसर (यमुनानगर) वन अभ्यारण में या वन विभाग के समन्वय में अन्य वन क्षेत्रों में पुनर्वास हेतू नियुक्त किया है।

(10) हरियाणा राज्य में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी करने से पहले उन्हें उसी जगह पर रखने के लिए एजेंसियों को नियुक्त गया है जहाँ से उन्हें नसबंदी के लिए उठाया गया था।

(11) हरियाणा सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाने और निगरानी करने के लिए

एक राज्य कार्यान्वयन समिति, जिला निगरानी और कार्यान्वयन समिति और नगर निगम निगरानी और कार्यान्वयन समिति का गठन भी किया है।

(12) राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समिति ने नगर निगमों को उनके शहरों में पशु जन्म नियंत्रण केन्द्र बनाने व चलाने के निर्देश दिए है, जिसकी अनुपालना में कुछ नगरपालिकाओं ने पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्रों का निर्माण शुरू कर दिया है।

To Purchase Furniture from Forest Department

172. Shri Dharam Pal Gonder : Will the Forest Miniser be pleased to state the number of Government offices in which furniture is being purchased from the Forest Department in State togetherwith where there is any proposal under consideration of the Government to purchase furniture in all the Government office's from Forest Department?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, वन विभाग हरियाणा की सभी आरा मशीन एवं फर्नीचर ईकाईयां वर्ष 2018 में हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेट को स्थानान्तरित की जा चुकी हैं। अब सरकारी विभागों को फर्नीचर की आपूर्ति हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेट द्वारा की जा रही है। वर्ष 2020–21 के दौरान हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा 62 सराकरी विभागों की फर्नीचर की आपूर्ति विभागों की मांग अनसार की गई है। यह कि, सभी सरकारी विभाग फर्नीचर की खरीद हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड से ही करें, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

To start the Constructions work

167. Shri Deepak Mangla : Will the Chief Minister be pleased to State-

(a) Whether it is a fact that an announcement has been made by the Hon'ble Chief Minister for construction of the Palwal distributary but the said work has not been started so far; and

(b) If so, the time by which the said work is likely to be started?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हां, श्रीमान जी। ये कार्य मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 25300 के अन्तर्गत आता है ।

(ख) पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री आगरा नहर प्रणाली का हिस्सा है जोकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन और अधिकार क्षेत्र में आता है। पलवल डिस्ट्रीब्यूट्री का संशोधित क्षमता विवरण उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया है जोकि, अभी प्रतीक्षित है। उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग से इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति माँगी जाएगी। इसलिए, इसमें कोई निर्धारित समय सीमा नही दी जा सकती।

.....

Construction of Streets

159. Shri Bishan Lal Saini : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the main street of Ward No-19 in the Municipal Corporation, Yamunanagar is badly damaged from Shop of

Sohan Barber to Swarn Vidya Mandir; if so, the time by which above said street is likely to be metalled; and

(b) the time by which the road from Rajesh Kumar Karyana Store to Kheri passage in Ward No-19, in the Municipal Corporation, Yamunanagar is likely to be constructed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) हां, श्रीमान जी, यह सत्य है कि नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी में वार्ड 19 की मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त है। नगर निगम यमुनानगर– जगाधरी द्वारा दिनांक 09.03.2020 को अनुबन्ध एजेन्सी को 29.95 लाख रूपये का वर्क आर्डर जारी किया गया है और यह कार्य 15.12.2020 तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) नगर निगम यमुनानगर–जगाधरी द्वारा राजेश कुमार करियाना स्टोर से खेड़ी–रास्ते तक सड़क के निर्माण के लिए 49.02 लाख रूप्ये का कार्य आदेश दिनांक 15.10.2020 को अनुबन्ध एजेन्सी को जारी किया गया है और यह कार्य 31. 12.2020 तक पूरा होने की संभावना हैं।

.....

Construction Work of Rivulet

150. Shri Neeraj Sharma : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that work of RCC rivulet to be constructed from Kurukshetra School to Gandhi drain as per Chief Minister announcement no. 20988 alongwith has not been started so far, if so, the time by which the said work is likely to be completed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमानजी, नगर निगम, फरीदाबाद ने प्रस्तुत किया है कि कुरूक्षेत्र स्कूल से गौंछी ड्रेन तक आर.सी.सी. नाले के निर्माण का कार्य अनुबंद एजेन्सी को कार्य आदेश दिनांक 30.07.2019 के माध्यम से आबंटित किया गया है जिसकी समय पूरा होने की अवधि एक साल है। एन.जी.टी./जी.आर.ए.पी. के निर्देशों के कारण इस कार्य को रोक दिया गया था और जनवरी 2020 में यह कार्य शुरू किया गया। लेकिन कोविड–19 लॉकडाउन के कारण कार्य को फिर से रोक दिया। अब तक मौके पर 150 मीटर लंबे नाले का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परन्तु, अब बिजली के खंबो का स्थानान्तरण न होने के कारण यह कार्य रूक गया है, जिसके लिए डी.एच.बी.बी.एन.एल. को पत्र दिनांक 29.10.2020 के माध्यम से अनुरोध किया गया हैं नाले निर्माण का शेष

कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा नहीं हो सका और अब शेष कार्य जल्द ही पूरा होने की संभावना है।

.....

To Renovate the Kudal Distributary

140. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to renovate the Kudal distributary, Harodi distributary, Todi minor and Harodi minor; and

(b) if so, the time by which the said work of renovation is likely to be started ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हॉ, श्रीमान जी हड़ोदी (रहरोड़ी) डिस्ट्रीब्यूट्री को छोड़ कर ।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021–2022 में यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

.....

Maintenance of Vyayam Shalas

176. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that Vyayam Shalas constructed in the villages of State are lying in very bad conditions for want of proper maintenance; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to make proper arrangements for maintenance of the Vyayam Shalals in State togetherwith the details thereof?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : नहीं, श्रीमान जी। विकास एवं पंचायत विभाग और बोर्ड द्वारा HRDFAपार्क-व-व्यामशालाओं के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है। जहां तक इन पार्क-व-व्यामशालाओं के रखरखाव का सवाल हैयह राज्य सरकार के , स्तर पर तय किया गया है कि इनपार्क-व-व्यामशालाओं का स्वामित्व और रखरखाव ग्राम पंचायतों के पास रहेगा और इसके मामलों की देखभाल एक समिति द्वारा ,जिसके सदस्य – (1) सरपंच (2) ,दो पंच (3) ,ग्राम सचिव और संबंधित ग्राम (4)पंचायत का कनिष्ठ अभियंता (प.रा.) होंगे, की जाएगी। पूर्व में, पंचायतों की संपत्ति के रखरखाव के लिए विकास एवं पंचायत विभाग में कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब पंचायत की

सम्पतियों, जिसमे व्यायामशालायें भी शामिल हैं, के रखरखाव के लिए राशि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

To Line the Drain

168. Shri Deepak Mangla : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that the construction work to line the drain in Palwal City is lying incomplete; and

(b) if so, the time by which the said drain is likely to be lined?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हॉ, श्रीमान जी

(ख) नाले को पक्का करने का कार्य प्रगति पर है और इसे 31.3.2021 तक पूरा कर दिया जाएगा ।

.....

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणाएं –

(i) अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए. ने मुझे ई–मेल के माध्यम से सूचित किया है कि वह कोविड–19 के उपचार के लिए मेदांता अस्पताल, गुरूग्राम में भर्ती है इसलिए वह आज दिनांक 05.11.2020 से शुरू होने वाले सत्र में उपस्थित होने में असमर्थ हैं।

(ii) हरियाणा विधान सभा की 'सदन संदेश' पत्रिका के प्रकाशन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा सचिवालय ने संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने और जनप्रतिनिधियों को अपनी गतिविधियों से अवगत करवाने के उद्देश्य से मासिक पत्रिका 'सदन संदेश' का प्रकाशन शुरू किया है। इस पत्रिका में विधान सभा की गतिविधियों के साथ–साथ सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक महत्व के विषयों पर तथ्यपरक सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। समाज में राजनीति के प्रति सकारात्मक अवधारणा बनाने के लिए इस पत्रिका में

अनेक विषय रखे जा रहे हैं। सदन के नियम और परम्पराओं पर आधारित लेख भी इस पत्रिका में प्रकाशित हो रहे हैं।

सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे इस पत्रिका को अभिव्यक्ति के मंच के तौर पर प्रयोग करें। इस माध्यम से वे लेखन कौशल में भी हाथ आजमायें। उनके द्वारा लिखे गये लेखों को प्रकाशित करने के लिए सम्पादक मण्डल गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा क्योंकि माननीय सदस्यों को लेखन के लिए प्रेरित करना भी इस प्रकाशन का उद्देश्य है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो भी सदस्य हमारी सदन संदेश पत्रिका के अंदर कोई लेख भेजना चाहते हैं या पुराने कोई ऐसे वाक्यात हैं जिनको हमारे सदस्यों को जानना जरूरी और महत्वपूर्ण है वे जरूर भेजे जायें।

(iii) 163 अधिनियमों के शीर्षक में 'पंजाब' शब्द के स्थान पर 'हरियाणा' शब्द जोड़ने सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने आपको सूचित करना है कि हरियाणा राज्य में आज 163 ऐसे अधिनियम लागू हैं जिनका शीर्षक पंजाब शब्द से शुरू होता है। 'पंजाब' शब्द के स्थान पर 'हरियाणा' शब्द जोड़ने के लिए मैंने मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार और विधि परामर्शी एवं प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग के साथ दिनांक 24 सितम्बर, 2020 को एक बैठक की थी। उस बैठक में इस बारे में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। तदोपरांत सरकार द्वारा 14 अक्तूबर, 2020 को समिति का गठन किया गया जिसकी पहली बैठक दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 को हुई। यह समिति अपनी रिपोर्ट एक माह में मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेगी।

इसलिए आगामी सत्र में इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा एक विधेयक लाया जायेगा जिसके माध्यम से 'पंजाब' शब्द से शुरू होने वाले सभी अधिनियमों का शीर्षक बदलकर 'हरियाणा' शब्द से किया जायेगा। ऐसा हमने एक प्रयास शुरू किया है उसमें आप सभी माननीय सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होगी।

श्री भारत भूषण बत्तरा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। आपने 'पंजाब' शब्द को डिलीट करने के लिए एक समिति तो बना दी लेकिन क्या जिस लेजिस्लेचर ने उसको स्क्रूटनाईज करना है उसकी कोई जरूरत नहीं है। Why two or three Legislators have not been made Member of that

Committee? आप इस लेजिस्लेटर के अंदर 163 एक्ट्स के अंदर तरमीम कर रहे हैं। उसमें 'पंजाब' शब्द की क्या इम्पलीकेशन है? वह कैसे हटेगा? डिलीट कैसे होगा? रिपील कैसे होगा? आपने उसके लिए अधिकारियों की एक कमेटी बना दी। Any Officer is not a Legislator. Legislator is Vidhan Sabha. इस विधान सभा की कमेटी बननी चाहिए। उसमें सरकार के अधिकारी मैम्बर हो सकते हैं। उस कमेटी का हाउस के एक मैम्बर को आप चेयरमैन बनायें।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, एक बार ऑफिसर्ज की कमेटी की रिपोर्ट आ जाये उसके बाद उस रिपोर्ट को विधान सभा की कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। विधान सभा की समिति बनाकर उस रिपोर्ट को उसके सामने रखा जायेगा।

श्री भारत भूषण बत्तरा : स्पीकर सर, यह विधान सभा का काम है न कि चीफ सैक्रेटरी का काम है। आप इस मामले को हाउस में रखे और हाउस की कमेटी बनाये। उसमें एम.एल.एज. को मैम्बर बनायें। क्या आपको विधान पालिका की जरूरत नहीं है? क्या आपको असैम्बली की भी जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, अगर एग्जीक्युटिव की तरफ से कोई परपोजल आयेगी उसके बाद ही माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर उसके ऊपर विचार किया जायेगा और आगे की कार्यवाही की जायेगी। अभी आप कृपया करके बैठ जायें।

———————

हरियाणा विधान सभा के सदस्य को जन्मदिन पर शुभकामनाएं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज बड़े हर्ष का विषय है कि श्री घनश्याम सर्राफ, विधायक का जन्मदिन है। इस अवसर पर सदन की तरफ से उनको बहुत–बहुत हार्दिक बधाई। यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और दीर्घ आयु की कामना करता है।

श्री घनश्याम सर्राफ : स्पीकर सर, मैं इसके लिए आपका और आपके माध्यम से पूरे सदन का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

———————

सचिव द्वारा घोषण

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे।

श्री सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने अगस्त, 2020, में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है।

अगस्त सत्र–2020

1. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2020
2. हरियाणा लिफ्ट्स तथा एस्केलेटर (संशोधन) विधेयक, 2020
3. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020
4. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020
5. हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2020
6. हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2020
7. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020
8. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2020
9. हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2020
10. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020
11. हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020

कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारिणी प्रस्तुत करता हूं:–

समिति की बैठक वीरवार, 05 नवम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक वीरवार, 05 नवम्बर, 2020 को 02.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 06.30 बजे सांय बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि शुक्रवार, 06 नवम्बर, 2020 को विधान सभा की बैठक 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 05 नवम्बर, 2020 तथा 06 नवम्बर, 2020 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

वीरवार, 05 नवम्बर, 2020	1.	शोक प्रस्ताव।
(2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात)	2.	प्रश्न काल।
	3.	कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना।
	4.	सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज–पत्र।
	5.	विधान कार्य।
शुक्रवार, 06 नवम्बर, 2020	1.	प्रश्न काल।
(10.00 बजे प्रातः)	2.	निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।
	3.	अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।
	4.	रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों।
	5.	विधान कार्य।
	6.	कोई अन्य कार्य।

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलोई) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बी.ए.सी. की मीटिंग में भी निवेदन किया था कि दो दिन के सैशन का क्या मतलब हुआ? कम से कम तीन दिन या चार–पांच दिन तो सैशन चलना चाहिए क्योंकि प्रदेश के बहुत गंभीर इशूज हैं, समस्याएं हैं, जिन पर दो दिन में चर्चा नहीं हो सकती परंतु हम नहीं जानते कि इन सभी इशूज को आप केवल दो दिन में क्यों समेटना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, निश्चित तौर पर आपने बी.ए.सी. की मीटिंग में यह विषय रखा था और मैंने आपसे निवेदन किया था कि कल हमारे पास काफी समय है। हम कल दो बैठक के पश्चात तीसरी बैठक भी कर सकते हैं। कल क्योंकि अन्तिम दिन है इसलिए सदन की कार्यवाही को किसी भी समय तक बढ़ा सकते हैं। कल चाहे रात के 12:00 बज जाएं। जितना भी विधायी कार्य होगा उसको कम्पलीट करके ही हम सदन की कार्यवाही को समाप्त करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से तो कोई बिजनेस आता ही नहीं है लेकिन जो चर्चा के मुद्दे हैं उन पर तो चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, जो भी नियमानुसार मुद्दे आएंगे उन पर चर्चा अवश्य करवाई जाएगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आज किसान बर्बादी के कगार पर जा रहा है इसलिए हमने किसान के काफी मुद्दों पर चर्चा करनी है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, जो भी मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे उन पर हम नियमानुसार पूरी चर्चा करवाएंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो ये नये एक्ट आए हैं ये प्रदेश के किसान को बर्बाद करने वाले हैं इसलिए इन पर डिस्कशन करने के लिए आप हाऊस के समय को एक्सटैंड कीजिए।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपको बी.ए.सी. की मीटिंग में कहा गया था कि कल इन एक्ट्स पर डिस्कशन करने का समय दिया जाएगा इसलिए इन तीनों एक्ट्स पर हम कल चर्चा करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम इन एक्ट्स से सहमत नहीं हैं। हम इन एक्ट्स पर चर्चा करना चाहते हैं इसलिए आप हाऊस के समय को एक्सटैंड कीजिए।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपको बी.ए.सी. की मीटिंग में कहा गया था कि हम इन एक्ट्स पर कल चर्चा करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आपने ही कहा था कि कल आप इस विषय पर चर्चा करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, मैं इस विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूं लेकिन बी.ए.सी. की मीटिंग में यह तय हुआ था कि कल इस विषय पर चर्चा होगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप दो दिन का सैशन क्यों कर रहे हैं। आप हाऊस के समय को बढ़ाइये ताकि सभी विषयों पर चर्चा हो सके।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, कल अगर आपको यह लगेगा कि कोई विधायी कार्य बकाया है तो कल हम इसके ऊपर पुनर्विचार कर लेंगे। अगर हमें यह लगेगा कि सदन का कोई विधायी कार्य रह रहा है तो हम हाऊस के समय को बढ़ाने पर विचार कर लेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. की रिपोर्ट तो आपने आज पेश कर दी है तो फिर हाऊस का समय कैसे बढ़ेगा?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि अगर सैशन का कोई भी काम बकाया होगा तो हम सैशन को आगे बढ़ा सकते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप तो यह चाहते हैं कि कल ही सारे काम को निपटा दें लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, किसानों से संबंधित जो बिल आए हैं, उनके ऊपर सभी सदस्यों को चर्चा का मौका देंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं बरौदा चुनाव के बारे में बताना चाहता हूं कि बरौदा उप चुनाव में भी बड़ी धांधली हुई थी। सरकार ने वहां के स्थानीय लोगों से वोट हथियाने के लिए उनको बीस–बीस रुपये के नोट टोकन के रूप दिये थे ताकि उन नोटों को दिखाकर फ्रि में गैस एजेंसीज से सिलैंडर ले सकें। जब हमें इस धांधली का पता चला और विरोध किया तो गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने ऐसे

लोगों को वहां से भगा दिया। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के अनेकों काम उप चुनाव जीतने के लिये किये गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप ये बताइये कि आप कल किसानों से संबंधित इन तीनों एक्ट्स पर चर्चा करना चाहते हैं या नहीं?(शोर एवं व्यवधान)

डॉ.बिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने तो यह कहा था कि हम आपको बोलने का पूरा समय देंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सैनी साहब, मैं यही कह रहा हूं कि कल आप चाहे कितनी देर तक बोलना, मैं कल आपको मना नहीं करूंगा। आप बोलते हुए थक जाओगे लेकिन मैं नहीं थकूंगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष के सदस्य उन तीन एक्ट्स पर बहकाने का काम कर रहे हैं। अगर इनके पास कोई तथ्य हैं तो ये उन तथ्यों को रखें।(शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप इन बिलों में कोई कमी तो बताईये कि इन तीनों एक्ट्स में क्या कमी है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ——— (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैं तो कह रहा हूं कि कल इन तीनों एक्ट्स पर चर्चा करेंगे।(शोर एवं व्यवधान) मैं समझता हूं कि आपको जितना समय चाहिए दो दिन, तीन दिन, चार दिन जितना भी समय आप कहेंगे इन विषयों पर चर्चा होगी। मैं यह इंश्योर कर रहा हूं कि अगर बिजनेस होगा तो दो दिन क्या, तीन दिन क्या, चार दिन चर्चा करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हम कल देख लेंगे कि सैशन का कितना समय और बढ़ेगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अगर बिजनेस बचेगा तो हम समय और बढ़ा देंगे। जब आप बोलते हुए थक जाएंगे तब हाऊस को खत्म करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को बोलने का मौका न देकर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान) आपको सदन की समयावधि को बढ़ाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अगर कल बिजनेस बच जाता है तो सत्र की समयावधि बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको यह भी आश्वस्त करता हूँ कि जब आप लोग बोलकर थक जाओगे तभी जाकर इस सत्र की समाप्ति की जायेगी, अतः आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, मैं आपको जीरो आवर के बारे में एक बात बताता हूँ और वह यह है कि अगर वास्तव में देखा जाये तो सही मायने में इस सरकार के समय में ही जीरो आवर की शुरूआत हुई है। (शोर एवं व्यवधान) इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि विधान सभा की नियमावली के मुताबिक एक दिन में केवल एक ध्यानाकर्षण सूचना मंजूर करने का प्रावधान है लेकिन हमने एक दिन में दो–दो ध्यानाकर्षण सूचनायें मंजूर करके उन पर चर्चा करवाने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) अतः सर्वप्रथम बिजनेस को पूरा करने का काम किया जाना चाहिए और जहां तक सत्र की समयावधि को बढ़ाने या न बढ़ाने का विषय है, यह बाद की बात है। (शोर एवं व्यवधान) अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमने 10–10 विभिन्न मुद्दों पर ध्यानाकर्षण सूचना संबंधी नोटिसिज दिए हैं, हमें उनका फेट बताया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के किसान अपनी मांगों के लिए सड़कों पर आ गए हैं, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सदन में जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उससे लगता है कि आप सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक मुद्दा है तो आप उस पर चर्चा करें। (शोर एवं व्यवधान) आपके व्यवहार से साफ दिखाई देता है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए आप सदन को विषय से भटकाने का काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आप अखबारों में देखिए किस प्रकार हरियाणा के किसान दुखी और परेशान हो गए हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः केवल अखबारों की खबरों को आधार बनाकर सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान) आप लोग विषय आधारित बात करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष के सदस्य सत्र की सीटिंग्ज बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें विषय आधारित बात करनी चाहिए। इस तरह की बेबुनियादी बातें करके इन्हें सदन का समय खराब नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने तो सत्र की सीटिंग्ज बढ़ाने की इनकी बात को मान लिया है लेकिन विपक्ष का भी यह फर्ज है कि विषय आधारित बात करें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के दस साल के कार्यकाल में सत्र के एक दिन की कार्यवाही के दौरान महज एक ध्यानाकर्षण सूचना मंजूर की जाती थी। (शोर एवं व्यवधान) अगर पुराना रिकॉर्ड निकालकर देख लिया जाये तो स्वतः पता लग जायेगा कि इनकी सरकार के समय में कितनी ध्यानाकर्षण सूचनाएं मंजूर की जाती थी? (शोर एवं व्यवधान) हमारी सरकार के समय में हर दिन, दो ध्यानकर्षण सूचनाओं को मंजूर करके उन पर चर्चा करने का काम किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, आपको विपक्ष की बात सुननी चाहिए। शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य वैल में आ गए और माननीय अध्यक्ष महोदय से उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण सूचनाओं के विषय पर, किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर तथा सदन की बैठकों को बढ़ाने के विषय पर तर्क वितर्क करने लग गए।)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आपको विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों से जुड़े विषय पर चर्चा से क्यों भाग रहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आफताब जी, हुड्डा साहब से पहले ही बात हो चुकी है कि एम.एस.पी. के विषय पर कल सदन में चर्चा करवा ली जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) आप किसी

भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा कीजिए लेकिन इस तरह सदन की कार्यवाही को बाधित मत कीजिए? (शोर एवं व्यवधान) यह ठीक नहीं है? (शोर एवं व्यवधान) अगर बगैर मुद्दे के केवल मात्र हल्ला किया जायेगा तो इसको किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं माना जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रजिस्ट्रियों के संदर्भ में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस विषय पर भी सदन में चर्चा की जानी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, रजिस्ट्रियों में घोटाले से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना आज के लिए मंजूर हो चुकी है और आज सदन में इस पर चर्चा होगी। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप बिजनेस को अच्छी तरह से पढ़कर नहीं आते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, एम.एस.पी. के विषय पर आज ही चर्चा करवाई जाये? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सैनी साहब, एम.एस.पी. के विषय पर कल चर्चा की जायेगी, अतः आप प्लीज बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर चर्चा करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के लोग वैल में इसलिए आ गए हैं क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कोई विषय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, शादी में घोड़ी की झप्पी वही भरता है जिसको नाचना नहीं आता है। इन लोगों के पास चर्चा के लिए कोई विषय या तर्क तो है नहीं और इसीलिए यह लोग वैल में आकर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, किसान के हित के विषय से सरकार चर्चा करने से भाग रही है और इसी कारण हमें वैल में आकर अपनी बात करनी पड़ रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बिशन लाल जी, हुड्डा साहब के साथ मिलकर यह फैसला ले लिया गया है कि एम.एस.पी. के विषय पर कल चर्चा कर ली जायेगी अतः आप लोगों को

बैठकर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब आपको बोलना चाहिए? आप चुप क्यों हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि यह तीनों के तीनों बिल सौ प्रतिशत किसानों के हित में हैं। बेवजह हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, our submission is to the Hon'ble Speaker. We are not submitting anything to the Government. शिक्षा मंत्री के लैवल पर यह बात नहीं आनी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी कांग्रेस के साथियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि धमकाना मेरी आदत में कभी भी शामिल नहीं रहा है अतः मेरे द्वारा कही गई बातों को धमकाने की श्रेणी में न लें। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक–आउट

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, किसानों के हितों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सदन की बैठकों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अति महत्व के इस विषय पर सिलसिलेवार चर्चा हो सके परन्तु सरकार द्वारा न तो विपक्ष को बोलने दिया जा रहा है और न ही सदन की बैठकों को बढ़ाने की बात को माना जा रहा है इसलिए एज ए प्रोटेस्ट हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य सत्र की अल्पावधि व सदन की बैठकें न बढ़ाने के विरोध में सदन से वाक आउट कर गए।)

.....

कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट (पुनरारम्भ)

श्री बलराज कुण्डू (महम): अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मॉनसून सत्र के दौरान मुझे आश्वासन दिया था कि जो मैंने केन्द्र सरकार के द्वारा लाये गये कृषि से संबंधित अध्यादेशों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, उस पर जब भी मॉनसून सत्र की अगली सिटिंग होगी तब चर्चा कर लेना तो क्या आप अब मुझे

उस पर चर्चा करने के लिए अलाउ करेंगे? यदि हाउस पिछला महत्वपूर्ण बिजनेस ही रिजैक्ट कर देगा तो बिजनेस कहां से आयेगा? अध्यक्ष महोदय, कृषि के संबंध में मेरे द्वारा दिए गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा पहले होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुण्डू साहब, जब आपने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था तब वे अध्यादेश के रूप में थे लेकिन अब वे कानून का रूप ले चुके हैं, इसलिए अब रूल के मुताबिक इस पर विधान सभा में चर्चा नहीं हो सकती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्रश्न हैः–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

(प्रस्ताव पारित हुआ।)

निजी सदस्य विधेयक/संकल्पों की सूचना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा राज्य के 32 शहरों में 30 हजार से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियों के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–6 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक इस पर सप्लीमैंट्री पूछ सकती हैं। स्थगन प्रस्ताव संख्या–2 जोकि श्री वरुण चौधरी, विधायक तथा नौ अन्य विधायकों श्री बिशन लाल, श्री भारत भूषण बत्तरा, श्री आफताब अहमद, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री कुलदीप वत्स, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्री मेवा सिंह तथा श्री अमित सिहाग द्वारा दिया गया है मैंने उसको ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34 में परिवर्तित कर दिया है, तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 के साथ जोड़ दिया है। श्री वरुण चौधरी, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी तथा अन्य दो हस्ताक्षरी भी इस पर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 को पढ़ने से पहले आपके माध्यम से सदन से एक बात जानना चाहता हूँ कि मैंने कृषि से

संबंधित तीन प्राईवेट मैम्बर बिल्ज दिये थे। उनके फेट के बारे में मुझे आपकी तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आपने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उसे मैंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप केवल अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ही बोले क्योंकि यह काफी अहम मुद्दा है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, कृषि वाला मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण और अहम है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि जो मैंने कृषि से संबंधित तीन प्राईवेट मैम्बर बिल्ज दिये हैं उनका फेट क्या है? मुझे जहां तक पता चला है कि आपने कृषि से संबंधित तीनों प्राईवेट मैम्बर बिल्ज हाउस में डिस्कशन कराने के लिए एल0आर0 के पास ओपीनियन के लिए भेजे हैं और एल0 आर0 ने संबंधित विभाग के पास भेज दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, उन तीनों प्राईवेट मैम्बर बिल्ज के संबंध में विभाग की तरफ से क्या कार्यवाही हुई? उन बिल्ज पर विभाग ने क्या फैसला लिया है? अध्यक्ष महोदय, मुझे कम से कम इन तमाम सारी बातों के साथ जानकारी तो दी जानी चाहिए कि क्या इन तीनों प्राईवेट बिल्ज को एडमिट किया गया है या नहीं किया गया है? उन तीनों प्राईवेट मैम्बर्ज बिल्ज के ऊपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है? अध्यक्ष महोदय, आप मुझे मेरे द्वारा दिए गए कृषि से संबंधित तीनों प्राईवेट मैम्बर बिल्ज की जानकारी दें उसके बाद ही मैं अपना ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 पर बोलूँगा क्योंकि वह बहुत जरूरी मुद्दा है।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, पहले आप अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर लें क्योंकि यह उससे भी जरूरी मुद्दा है। उसके बाद आपके द्वारा दिये गए कृषि से संबंधित तीनों प्राईवेट मैम्बर बिल्ज की जानकारी दे दी जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सदन में कोई भी मुद्दा गैर जरूरी नहीं है बल्कि सभी मुद्दे जरूरी हैं।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रूल के हिसाब से एक सिटिंग में केवल एक ही लग सकता है, फिर भी मैंने दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एडमिट किए हैं। इस बार माननीय सदस्यों के द्वारा 50 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये हैं तो इस हिसाब से सभी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को एडमिट करने के लिए हाउस की अवधि 50 दिन तक करनी पड़ेगी। अभय सिंह जी, जो उसमें से महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये हैं

केवल उन्हीं को मैंने एडमिट किया है और संयोग से वे दोनों महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले आपके द्वारा ही दिए गये हैं।

16:00 बजे

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप कुछ देर पहले स्वयं कह रहे थे कि अगर कोई बिजनेस होगा तो आप हाउस का समय बढ़ा भी सकते हैं । हमने आपको कॉलिंग अटैंशन मोशंज दी हुई हैं । क्या कॉलिंग अटैंशन मोशंज गैर–जरूरी चीजें हैं ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हाउस तो नियमों के अनुसार ही चलेगा । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस का समय बढ़ा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम मैंने तो बनाए नहीं हैं । मैं आपको हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम के Chapter XV 'Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance' से संबंधित नियम 73 (1) पढ़कर सुनाता हूं । इसमें लिखा है कि –

73(1) A Member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.

(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made but each Member in whose name the notice stands may, with the permission of the Speaker, ask a question;

Provided that names of not more than five Members shall be combined or bracketed.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर आप रूल–73 (1) पढ़ रहे हैं तो आप रूल–30 (1) भी पढ़ लीजिए । मैं आपको हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम के अध्याय 7 'प्राइवेट सदस्य के कार्य का विन्यास' से संबंधित नियम 30 (1) पढ़कर सुनाता हूं । इसमें लिखा है कि –

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य बृहस्पतिवार को किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, आपने वीरवार को ऑफिशियल डे में कंवर्ट कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, सैशन के पहले दिन प्राइवेट मैम्बर बिल और प्राइवेट बिजनेस नहीं होता है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के कार्यकाल के समय में माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल ने कहा था कि हम विधान सभा सत्र

चलाने की पिछली परिपाटी को खत्म कर देंगे और हाउस को लम्बी अवधि तक चलाएंगे । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि माननीय सदस्यों को सदन में बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाएगा । माननीय सदस्यों को सदन में बोलने का पूरा समय देना तो दूर आप तो हमारा बोलने का एक पूरा दिन ही खा गए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, एक सिटिंग में केवल एक कॉलिंग अटैंशन मोशन लग सकती है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम के अध्याय 7 'प्राइवेट सदस्य के कार्य का विन्यास' से संबंधित नियम 30 (1) को नहीं पढ़ रहे हो । आप उसको पढ़कर बताइये कि उसमें क्या लिखा हुआ है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मेरे पास 54 कॉलिंग अटैंशन मोशंज आये हुए हैं । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप सदन में हमको तो हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम की किताब के नियम पढ़कर सुनाते रहते हो लेकिन इन नियमों को स्वयं पर लागू नहीं करते । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप अपना नोटिस पढ़िये ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मैं अपना नोटिस पढ़ने से पहले आपसे कुछ जानना चाहता हूं । हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम के अध्याय 7 'प्राइवेट सदस्य के कार्य का विन्यास' से संबंधित नियम 30 (1) में लिखा हुआ है कि –

> गैर सरकारी सदस्यों का कार्य बृहस्पतिवार को किया जाएगा । अन्य सभी दिन सरकारी कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य, सदन के नेता की सहमति के सिवाय, नहीं निपटाया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, सदन में पहले दिन ऑफिशियल वर्क होता है । पहले दिन गैर–सरकारी कार्य नहीं होता है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने यह फैसला इसलिए कर लिया है क्योंकि यह सरकार मैजोरिटी में है ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैंने आज सदन में बोलने का सबसे ज्यादा समय आपको दिया है और आपकी दी हुई ध्यानाकर्षण सूचना को मंजूर किया है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का समय देकर मुझ पर कोई ऐहसान नहीं किया है । आपने मेरी दी हुई ध्यानाकर्षण सूचना को मंजूर किया है क्योंकि मैंने यह मेहनत करके आपके पास भेजा है ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैं कहां कह रहा हूं कि मैंने आप पर कोई एहसान किया है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हो कि मैंने आपको आज सदन में बोलने का सबसे ज्यादा समय दिया है ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अब आप अपना नोटिस पढ़िये । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैं आपसे बार–बार कह रहा हूं कि आप अपना नोटिस पढ़िये ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा जो कृषि क्षेत्र में 3 कानून पारित किये गये हैं, उनके खिलाफ हम जो रिजौल्यूशन लेकर आए हैं, आपने उसको कमैंट्स के लिए भेज दिया है। केन्द्र सरकार ने जो तीन काले कानून बनाये हैं मैं उन्हीं के अगेंस्ट रिजौल्यूशन लेकर आयी हूं।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, आप जो कह रही हैं, वह सेम मैटर है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं उसी मैटर पर रिजौल्यूशन लेकर आयी हूं।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, आप जिस विषय की बात कर रही हैं, उस पर रिजौल्यूशन नहीं लाया जा सकता है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय की बात कर रही हूं, उस विषय पर रिजौल्यूशन क्यों नहीं आ सकता ? Any Member can move a resolution. आप यह कह सकते हैं कि मेरे द्वारा लाये गये रिजौल्यूशन को आप रिजैक्ट कर रहे हैं, परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि इस विषय में रिजौल्यूशन नहीं ला सकते।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, वे तीनों कानून केन्द्र सरकार ने बनाये हैं और उन कानूनों पर स्टेट असैंबली में विचार नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हम प्रत्येक सैशन के दौरान बार–बार रिजौल्यूशन पास करते हैं। इस रिजौल्यूशन पर भी सारा सदन अपनी बात रख सकता है।

श्री अध्यक्षः किरण जी, इस सदन के पास ऐसी ताकत है कि क्या हम सैंट्रल गवर्नमैंट के कानून में अमैंडमेंट कर सकते हैं ?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन की तरफ से रिजौल्यूशन पास करके सैंट्रल गवर्नमैंट को भेज सकते हैं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, देखिए, जैसा कि पंजाब विधान सभा ने केन्द्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित 3 पारित कानूनों के खिलाफ जो रिजौल्यूशन पास किया है, वैसा हम नहीं कर सकते। पंजाब विधान सभा ने इस संबंध में इसलिए रिजौल्यूशन पास कर दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर पॉवर में है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हो सकता है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हम किसानों से संबंधित केन्द्र सरकार द्वारा पारित 3 कानूनों के खिलाफ जो रिजौल्यूशन लेकर आये हैं क्या आपने उसको रिजैक्ट कर दिया है ? आप उसके बारे में बता दें।

श्री अध्यक्षः किरण जी, मैंने इस संबंध में एल.आर. से भी लीगल ओपीनियन ली है और ए.जी. से भी लीगल ओपीनियन ली है। उन्होंने बताया है कि यह रिजौल्यूशन इस सदन में नहीं आ सकता।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, क्या हम केन्द्र सरकार से संबंधित कोई भी रिजौल्यूशन इस सदन में नहीं ला सकते, जिसमें हम केन्द्र सरकार को एडवाईज दे सकें।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप वरिष्ठ माननीय सदस्या हैं। पहले आप पूरी बात सुन लें।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी को कहना चाहूंगा कि हमारा यह हरियाणा प्रदेश के 90 माननीय सदस्यों का सदन है और कई विषयों पर मर्यादाएं भी होती हैं। अगर केन्द्रीय सरकार ने कोई बिल पास कर दिया और वह कानून बन गया है तो उसमें हम रिजौल्यूशन दें। यह बात तो समझ में आती है। लेकिन रिजौल्यूशन केवल रिजौल्यूशन की ही भाषा में होना चाहिए। रिजौल्यूशन में जब हम कन्डम करने की भाषा और निंदा करने की भाषा शुरू करेंगे तो वह रिजौल्यूशन नहीं है क्योंकि उसमें हम पहले से ही कन्डम करने का मन बनाकर चल रहे हैं। इस प्रकार यह मामला चलता रहेगा क्योंकि विपक्ष के साथी उस रिजौल्यूशन को कन्डम करने की बात करेंगे और हम उसका स्वागत करने की बात करेंगे। हम उसका धन्यवाद करेंगे

और विपक्ष उसको कन्डम करने का काम करेगा। अगर हमें केन्द्रीय सरकार के कानून पर कोई बात कहनी है तो रिजौल्यूशन की भाषा रिजौल्यूशन की ही तरह होनी चाहिए। आपने जो रिजौल्यूशन दिया है, उसकी पहली 3 लाइन्ज पढ़कर सुना दें। आप सिवाय कन्डम करने के और क्या कर रहे हैं? इस विषय पर आपका मत अलग है और हमारा मत अलग है। हम तो आज भी यही कहते हैं कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं और विपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि ये तीनों कानून किसानों के अहित में हैं तो इस रिजौल्यूशन का अर्थ क्या है ?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर अपनी बात रखना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या अपने रिजौल्यूशन की स्टार्टिंग भाषा को देख लें कि क्या लिखा हुआ है ? माननीय सदस्या को मर्यादाएं नहीं तोड़नी चाहिएं। रिजौल्यूशन देने का भी एक तरीका होता है। यह 15 दिन पहले देना पड़ता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, वह टैनेबल नहीं है। उसकी लीगली एसैप्टेबल नहीं है। मैंने उसके ऊपर एल.आर. और ए.जी. से लीगली ओपीनियन ले ली है और उन्होंने कहा कि यह रिजौल्यूशन सदन में लीगली नहीं लाया जा सकता है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप इसके बारे में बता दें।

श्री अध्यक्षः किरण जी, अगर आपको लीगली ओपीनियन की आवश्यकता है तो मैं उसके बारे में बता दूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हम रिजौल्यूशन को कन्डम करें या उस पर क्रीटिसाईज करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने जो ये तीन कानून बनाएं हैं, इस संबंध में हम यह रिजौल्यूशन पास कर दें कि भारत सरकार एक चौथा कानून भी बना दे कि यदि कोई भी एम.एस.पी. से नीचे किसानों की फसल खरीदेगा तो उसको सजा दी जाएगी। इस प्रकार से ये तीनों कानून भी रह जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि चौथा कानून एम.एस.पी. पर फसल खरीदने का भी आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है ? इससे कोई क्रीटिसिज्म नहीं होगा। यह हमारी मांग है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर सन् 1967 में पहली बार फसलों का एम.एस.पी. डिक्लेयर हुआ था और उसी हिसाब से फसलों की प्रिक्योरमैंट हुई थी। सन् 1967 से लेकर वर्ष 2014 तक 48 सालों में इनको इस बात का ध्यान क्यों नहीं आया कि एम.एस.पी. के ऊपर यह कानून बना दें। आज इनको 54 सालों के बाद याद आ रहा है कि एम.एस.पी. पर कानून बना दें। (शोर एवं व्यवधान) दूसरा जो ये जगह–जगह प्रचार कर रहे हैं कि एम.एस.पी. खत्म हो जायेगी, मंडियां खत्म हो जायेंगी। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मंडियों में पिछले एक महीने से लगतार एम.एस.पी. के ऊपर प्रिक्योरमैंट हो रही है और मंडियों के अलावा सैंकड़ों परचेज सैंटर अलग से बनाये गये हैं। पूरे देश भर में एम.एस.पी. के ऊपर प्रिक्योरमैंट हो रही है। माननीय सदस्य पंजाब प्रांत की सरकार का अनुकरण कर रहे हैं। पंजाब की मंडियों में तो केवल धान और गेंहू की खरीद के अलावा अन्य किसी भी फसल को खरीदने की बात नहीं हो रही है लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश की मंडियों में बाजरा, सरसों, मूंग, मूंगफली, मक्की और सूरजमुखी आदि फसलें एम. एस.पी. पर खरीदी जा रही हैं परन्तु इस बात की कहीं पर भी चर्चा नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य पिछले एक महीने से लगातार केवल एक ही काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों को बहकाया जाये, उनका शोषण किस प्रकार से किया जाये और लगातार एक महीने बोलने के बाद ऐसे–ऐसे लोगों को श्रेय दे रहे हैं, जो प्रदेश में अशांति फैला रहे हैं। यदि माननीय सदस्यों को इस विषय पर चर्चा करनी है तो बी.ए.सी. की मीटिंग में एक सुझाव आया था कि हुड्डा साहब हम अभी भी इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस दे दीजिए क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस 24 घंटे पहले दिया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरी बात सुनी जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस दे दीजिए ताकि हम इस पर कल सदन में चर्चा कर सके। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह कहना चाहूंगा कि मेरे पास अखबार की कटिंग है, चाहे तो आप देख सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप पता नहीं कहां से अखबारों की रद्दी इक्टठी करके ले आये हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कल शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर हमारी पार्टी के जो–जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, क्या उनको बोलने का पूरा समय दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर केवल मात्र आधे घंटे तक ही चर्चा की जा सकती है। आप आधे घंटे तक जितनी मर्जी चर्चा सदन में कर लेना, आपको कोई नहीं रोकेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के जो–जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, क्या उनको बोलने का पूरा समय दिया जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप एक बात को कितनी बार बोलेंगे। आप बार–बार वही बात रिपीट कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने के लिए अधिक समय चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप मुझे बतायें कि शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर कितने घंटे की चर्चा करना चाहते हो? (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, चाहें तो आप अकेले ही इस शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर डेढ़ घंटे तक बोल लेना, मैं आपको बोलने के लिए पूरा समय दूंगा। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हमें अपने हल्के से संबंधित बातें भी करनी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, यह सवाल हल्के से संबंधित नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के नाम आपको कल सदन में लिखकर दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप अपनी पार्टी के सदस्यों के नाम के साथ–साथ टाइम भी लिखकर दे देना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि इस शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर डेढ़ घंटे तक बोल लेना। अगर मैं यह कहूं कि सुबह से लेकर शाम तक इस शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर चर्चा होनी चाहिए तो क्या आप इसकी अनुमति देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप इस शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर जितना टाइम कहोगे मैं आपको बोलने के लिए उतना टाइम दूंगा परन्तु केवल विषय के ऊपर ही सदन में चर्चा की जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) अगर कोई माननीय सदस्य संबंधित विषय पर बोलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या हमें भी शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर बोलने का समय मिलेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, इस शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर दोनों पार्टियों के सदस्य चर्चा कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष के सदस्य इस शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर चर्चा करके चले जायें और सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने का ही समय न मिले। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, ऐसा नहीं है। इस शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर दोनों पार्टियों के सदस्यों को बोलने का बराबर समय दिया जायेगा।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है कि हाउस को रैजोल्यूशन पढ़ने के विषय पर कि इसे कौन पढ़ सकता है और कौन नहीं पढ़ सकता है, पर मिसलीड किया जा रहा है। अपनी बात की ताईद के लिए मैं हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 171 को यहा पर प्रस्तुत करता हूँ। इसमें लिखा गया है कि :–

> 171. ''मंत्री से भिन्न कोई सदस्य, जो संकल्प का प्रस्ताव रखना चाहता हो, अपने आशय का कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का नोटिस देगा और नोटिस के साथ उस संकल्प का मूल पाठ भी देगा जिसका वह प्रस्ताव रखना चाहता होः
>
> परन्तु अध्यक्ष उस मंत्री की सम्मति से जिसके विभाग से संकल्प संबंधित हो, पन्द्रह दिन से कम नोटिस पर भी उसे कार्यसूची में दर्ज किए जाने की अनुमति दे सकता है''।

अब आपके सामने सब कुछ क्लीयर हो गया है। अब तो आपको बात मान लेनी चाहिए। जहां तक आपने इस विषय पर एल.आर. से एडवाइज लेने की बात कही है तो it is not relevant here. (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डिस्कशन गलत की जा रही है। इस विधान पालिका के अंदर सब कुछ विधान के मुताबिक ही होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप मुझे मेरे प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने दे it is my right according to the

Constitution. Speaker Sir, Rule 171 says that- "A member other than a Minister..." पहला प्वायंट तो यहां पर क्लीयर हो गया कि रिजौल्यूशन देने के लिए मंत्री होना जरूरी नहीं है कोई भी मैंबर रिजौल्यूशन दे सकता है। आगे लिखा है– "who wishes to move the resolution shall give not less than fifteen clear days' notice…" लेकिन नोटिस की इस रिस्ट्रिक्शन को स्पीकर कंडोन कर सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, जो नोटिस आपकी तरफ से आये हैं उनमें से 15 दिन से पहले का कोई भी नोटिस नहीं है।

श्री भारत भूषण बत्तरा : स्पीकर सर, आप यह देखें कि आपने हाउस को कब बुलाया है? आज के दिन में और जब आपने हाउस बुलाने की नोटिफिकेशन जारी की उसमें कितने दिन का टाईम है? इसीलिए स्पीकर के पास टाईम लिमिट की रिस्ट्रिक्शन को कंडोन करने की पॉवर होती है।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, यह कोई जरूरी नहीं है कि जब हाउस बुलायेंगे तभी रिजौल्यूशन आयेगा। रिजौल्यूशन पहले भी दिया जा सकता है।

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, resolution is a public importance and it can be given day before yesterday also and tomorrow also. इसका क्या मतलब है कि 15 दिन पहले इमरजैंसी होगी और वही इमरजैंसी पब्लिक इम्पोर्टैंस रह जायेगी और कल जो बात होगी पब्लिक इम्पोर्टैंस नहीं रह जायेगी।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, सैशन तो किसी टाईम भी और किसी इमरजैंसी के अंदर भी बुलाया जा सकता है।

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, you cannot be so hyper-technical. मैं रूल 171 आगे पढ़ता हूं उसके बाद इसमें लिखा है कि– "together with the notice, the text of the resolution which he wishes to move." इस रूल के अगले पैरा में लिखा है कि– "Provided that the Speaker, with the consent of the Minister." that's all. It means with the consent of the Minister but not with the consent of the L.R. There is nothing in the Rule to go to the L.R.'s consent.

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, पहले रूल 171 आपने पढ़ा क्या आप उस पर क्लीयर हो गये हैं?

श्री भारत भूषण बत्तरा : स्पीकर सर, आप आज बिल भी पेश करेंगे। पांच दिन का नोटिस है। हम बिल पेश नहीं होने देंगे। आप रूल्ज की बात करते हैं। Speaker Sir, you should not be so hyper-technical so far as the House is concerned. स्पीकर सर, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हाउस की कार्यवाही चल रही हो तो हरेक मामले में टैक्निक्लिटी नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, यह स्पीकर की कंसैंट है अगर मैं देना चाहूंगा तो दूंगा और अगर नहीं देना चाहूंगा तो नहीं दूंगा।

Shri Bharat Bhushan Batra : Speaker Sir, consent and order should be in the speaking order according to the principle of natural justice. उसकी जस्टीफिकेशन होनी चाहिए। आपने ये कैसे कह दिया कि मेरी कंसैंट होगी तो मैं बात मानूंगा और अगर मेरी कंसैंट नहीं होगी तो मैं बात नहीं मानूंगा। ये कभी नहीं होता। This is democracy. इसमें हरेक चीज की इंटरप्रिटेशन होती है।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, मैं यह कह रहा हूं कि इसी में लिखा है कि 15 दिन का नोटिस जरूरी है। अब 15 दिन का नोटिस आपने दिया नहीं। उसके अंदर हाउस को बुलाना जरूरी नहीं है। वह तो कभी भी दिया जा सकता है।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष जी, यह कहां पर लिखा हुआ है कि हाउस को बुलाना जरूरी नहीं है। आप दो दिन के बाद हाउस को बुलाने की अनाउंसमैंट करते हैं। क्या कोई मुद्दा आयेगा नहीं?

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, यह कहां पर लिखा है कि यह जरूरी है? बत्तरा जी, मैं यह समझता हूं कि अब इस बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) बत्तरा जी, अब आप कृपया करके बैठ जाइये।

श्री भारत भूषण बत्तरा : स्पीकर सर, आपने यह कहा था कि जब कोई बिल हाउस के अंदर आयेगा तो उसके लिए पांच दिन का क्लीयर नोटिस होगा। ये बिल आये पड़े हैं। आज आ गये हैं। आज इस पर बोलो। आप ही बिल पास करो। आज ही डिस्कशन करो। आज ही बिल पास हो जायेंगे। अध्यक्ष जी, यहां पर इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अध्यक्ष जी, हम विधायक हैं। हम कानून बनाते हैं। आप कानून बनाने की बात ही नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया है। यह विधान सभा है और यह निर्धारित रूल्ज के मुताबिक ही चलती है और आप रूल्ज को फोलो नहीं कर रहे हैं।

श्री भारत भूषण बत्तरा : स्पीकर सर, रूल्ज तो यही कहते हैं कि पांच दिन पहले नोटिस आना चाहिए था। आज हाउस के अंदर एक घंटे का नोटिस आता है। इतने कम समय में बिल के ऊपर क्या तैयारी होगी?

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, जो आप मुझे अभी पढ़कर सुना रहे हैं यह सारा कुछ मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए आपको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) आप अपने लीडर की नहीं मानते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप किसी और की भी नहीं सुनते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपके लीडर ने यह कहा है कि इस बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) बत्तरा जी, अब आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तरा : स्पीकर सर, ***

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, अब जो भी बोल रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपका कहना यह है कि डिस्कशन के लिए 15 दिन का नोटिस चाहिए। आज सुबह बी.ए.सी. में भी यह बात हुई थी। हमने पिछले सत्र में एडजर्नमैंट नोटिस दिया था और चूंकि यह सत्र उसकी कंटीन्यूएशन में है तो उस एडजर्नमैंट नोटिस को ही हमारा नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन का नोटिस मान लिया जाये और इस पर डिस्कशन करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपने वह नोटिस ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिया था अब वे ऑर्डिनेंस बिल बन चुके हैं, एक्ट बन चुके हैं इसलिए अब वह नोटिस मान्य नहीं हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अब वे ऑर्डिनेंस बिल नहीं एक्ट बन चुके हैं। पिछले सत्र में कोविड–19 की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिज थे और उसी वजह से सत्र की अवधि शॉर्ट कर दी गई थी। इस कोविड–19 महामारी में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई हैं। उस एडजर्नमैंट नोटिस को हमारा नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन मान लिया जाये। हम आपको यह आश्वासन भी देते हैं कि हम इसका कंडमनेशन नहीं करेंगे। हम जायज बातें रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उसको कंडम न करें तो हम यह कहना चाहते हैं कि हम इसको कंडम नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, कल जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का नोटिस दिया है उस पर डिस्कशन करवा लेंगे। आप उस समय अपनी बात कह लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमने तो अपना निवेदन कर दिया है अब आपकी इच्छा है आप मानो या न मानो ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपने जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का नोटिस दिया है वह मैंने मान लिया है, आप उस पर अपनी बात रख लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन मानी है और उस पर वोटिंग नहीं होती है। नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन पर वोटिंग होती है।

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, हमने आपका शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का नोटिस मान लिया है। रेजोल्यूशन नहीं आ सकता है। Legally it is not feasible. मेरे पास इस बारे में एल.आर. की राय आई हुई है और उसमें यही लिखा है कि लीग्गली यह फिजिबल नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं कि अगर इनकी पार्टी इस मामले में गम्भीर थी तो जब वे ऑर्डिनेंस बिल बन गये थे तो इनको उन बिलों के विरोध में दोबारा नोटिस देना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान) They are not serious about it. They only want to spoil the time of the House. They are not serious about anything.

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, I am not yielding. Is this the way to run the House? I am not yielding to him. आप कह रहे हैं कि आपने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए नोटिस मान लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होती है उसमें तो हाउस को रिजैक्ट या सिलैक्ट करने का अधिकार नहीं होता है। उसमें तो डिस्कशन हो जाती है और अगर रेजोल्यूशन होगा तो उस पर हाउस को वोटिंग का अधिकार होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पर दो घंटे या तीन घंटे बोलिए मैं आपको उस पर बोलने के लिए पूरा समय दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में हमने आपकी बात मान ली थी और सत्र की अवधि सीमित रखने के लिए सहमति प्रदान कर दी थी। अब आपको भी हमारी बात माननी चाहिए लेकिन आप हमारी बात मानने को तैयार नहीं हैं। आप कोविड–19 की वजह से हमारे पिछले एडजर्नमैंट नोटिस को ही हमारा रेजोल्यूशन मान लीजिए। आपको भी ऐडजस्ट करना चाहिए या हमने जो रेजोल्यूशन दिया है उस पर डिस्कशन करवा लीजिए। Let the House reject it, I do not mind. सदन में आपकी मैजोरिटी है, आप मैजोरिटी के दम पर उसको हाउस में रिजैक्ट भी करवा सकते हैं। हम विपक्ष में हैं और हम तो यही चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, एक बात तय हो गई है कि कल शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करवा लेंगे। हुड्डा साहब अगर प्रस्ताव ही प्रस्तुत करना है तो मैं भी यह प्रस्ताव रखता हूं कि केन्द्र सरकार ने कृषि से संबंधित जो तीन बिल पारित किये हैं उसके लिए केन्द्र सरकार को एक धन्यवाद प्रस्ताव विधान सभा में पास करके भेजा जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए हम उसका विरोध करेंगे। मैं भी यह प्रस्ताव रखता हूं कि केन्द्र सरकार ने कृषि से संबंधित जो कानून पारित किये हैं उसके साथ ही साथ एक चौथा कानून और लाया जाये कि किसान की फसल एम.एस.पी. पर खरीदी जायेगी और अगर कोई एम.एस.पी. पर नहीं खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आप उस प्रस्ताव को ओपोज कर लेना।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, कल डिस्कशन करते हैं बाद में देखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह बात एग्रीड हो गई है कि मुख्यमंत्री जी भी अपना प्रस्ताव रख लेंगे और हम भी अपना प्रस्ताव रख लेंगे और हाउस उस पर अपना निर्णय ले लेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप लीगली इस प्रस्ताव को नहीं रख सकते हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब, प्रस्ताव का एक मजमून बनाकर हमें लिखकर दे दें क्योंकि इन्होंने जो पिछला प्रस्ताव दिया है वह कंडोनेशन का है और कंडोनेशन का प्रस्ताव हम नहीं रखेंगे क्योंकि इन्होंने अपने पिछले प्रस्ताव में केन्द्र सरकार को कंडोन किया हुआ है इसलिए वह प्रस्ताव हम नहीं रखेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्यमंत्री जी उस प्रस्ताव को नहीं रखना चाहते हैं तो उस प्रस्ताव को रिजैक्ट कर दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, किसी प्रस्ताव की कोई भाषा तो होनी चाहिए। प्रस्ताव वह होता है जो सर्व सम्मति से पास किया जाए। प्रस्ताव कोई बिल नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव हम लेकर आएंगे और एक प्रस्ताव सरकार लेकर आए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रस्ताव ही प्रस्तुत करना है तो मैं भी यह प्रस्ताव रखता हूं कि केन्द्र सरकार ने कृषि से संबंधित जो तीन बिल पारित किये हैं उसके लिए केन्द्र सरकार को एक धन्यवाद प्रस्ताव विधान सभा में पास करके भेजा जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, कोई भी प्रस्ताव डिवाईडिड नहीं होता है बल्कि प्रस्ताव वह होता है जिसको सारा हाऊस स्वीकार करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव लाने में क्या दिक्कत है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव वह होता है जिसको सारा हाऊस स्वीकार करे।(शोर एवं व्यवधान) ऐसा नहीं होता है कि ये कल कोई कंडोनेशन का प्रस्ताव लेकर आएं और उसको कहें कि पास कीजिए। (शोर एवं व्यवधान) ये धन्यवाद का प्रस्ताव लेकर आएं, या हम धन्यवाद का प्रस्ताव लेकर आएं और उसको सर्वसम्मति से पास किया जाए।(शोर एवं व्यवधान) यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रस्ताव वह होता है जो सर्व सम्मति से पास करना हो। जब हमें पता है कि डिवाईडिड हाऊस है तो यह नहीं हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम तो कह रहे हैं कि एक प्रस्ताव हम लेकर आएंगे और एक प्रस्ताव सरकार लेकर आए। उसमें दिक्कत क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर सर्व सम्मति से कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकते हैं तो वह प्रस्ताव नहीं है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम तो कह रहे हैं कि आप धन्यवाद का प्रस्ताव लेकर आएं और हम भी प्रस्ताव लेकर आएंगे। आप हमें प्रस्ताव लाने दें आप चाहे उसका अपोज कर लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, जब पूरा सदन किसी चीज पर एक मत होने के लिए तैयार न हो तो फिर वह प्रस्ताव नहीं होता है अर्थात जब डिवीजन ऑफ वोट है तो प्रस्ताव नहीं हो सकता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, रेजोल्यूशन वह होता है it can be accepted by the House and it can be rejected by the House. यह रूल 172 या 173 में लिखा हुआ है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, यह धारणा बिल्कुल गलत है। जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से धन्यवाद या पास होने के लिए आएगा अर्थात रैजोल्यूशन जब आता है it can be divided also, it can be condemned also, it can be passed also. उस पर किसी बात पर वोटिंग भी हो सकती है। जो सरकार का रैजोल्यूशन होता है उस पर विपक्ष अपोज करेगा। सरकार उसको वोटिंग से पास कर लेगी।(शोर एवं व्यवधान) हम वोटिंग में फेल हो जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने कल शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रखी है। उसमें मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव लेकर आएं उस पर विपक्ष ने जो कहना होगा वह कह लेगा। आप प्रस्ताव लेकर आइए लेकिन उस पर हमें बोलने की इजाजत होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है जी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो अगर बोलने में एक मिनट भी ज्यादा ले लूं तो आप मुझे कई बार टोक लेते हैं और अब ये कांग्रेस के सदस्य सारा समय खराब कर रहे थे इनको आपने नहीं टोका। अभी एक बात पर और चर्चा हुई थी। पहले मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, प्लीज आप अपने कॉलिंग अटैंशन मोशन के ऊपर बोलिये। इसके अलावा नहीं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं उसके ऊपर भी बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप केवल कॉलिंग अटैंशन मोशन के ऊपर बोलिये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो मेरे से पहले बोल रहे थे वे किस चीज पर बोल रहे थे। क्या इन्होंने कॉलिंग अटैंशन मोशन दे रखा था। आप मेरे को पाबंद करते हो कि मैं केवल कॉलिंग अटैंशन मोशन पर बोलूं। जो बाकी लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्या वे कॉलिंग अटैंशन मोशन पर बोल रहे थे। ये कौन सा तरीका है?

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप केवल कॉलिंग अटैंशन मोशन के ऊपर ही बोलिये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे तो पाबंद कर रहे हैं और दूसरे जो मर्जी बोलते रहें।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप केवल कॉलिंग अटैंशन मोशन के ऊपर ही चर्चा कर सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी ही एक चिट्ठी है जोकि आपने मुख्य सचिव के नाम लिख कर भेजी है कि हर मैंबर के पास कम से कम 5 दिन पहले बिल आने चाहिएं और मैं उसी बात पर चर्चा करना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस चिट्ठी की बात कर रहा हूँ, यह चिट्ठी आपके आफिस के द्वारा मुख्य मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को लिखी गई है। जब इस तरह का प्रावधान किया गया है तो मुझे पांच दिन पहले बिल क्यों नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा हाउस को चलाने का यह तरीका ठीक नहीं है। यह कोई तरीका थोड़े हुआ कि सरकार जब मर्जी चाहे हमें बिल दे दे और कह दे कि बिल पढो और चर्चा करो। हम जिस दिन बिल को पढ़ेगे उसी दिन उस बिल पर चर्चा किस प्रकार कर लेंगे? अध्यक्ष महोदय, आपके आफिस की लिखी चिट्ठी पर भी अगर अमल

नहीं होगा तो फिर और क्या बाकी रह जायेगा? उधर सामने शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं यह जिस समय स्पीकर हुआ करते थे, इन्होंने भी ऐसी चिट्ठी लिखी थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, आप जो इतनी बातें कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ है? चिट्ठी में यह लिखा गया है कि सरकार की तरफ से जो बिल आने होते हैं, वह सत्र की शुरूआत से पांच दिन पहले विधान सभा सचिवालय के पास आ जाने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अगर विधान सभा सचिवालय के पास पांच दिन पहले बिल आते हैं तो फिर हमें आज बिल किस लिए दिए जा रहे हैं? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, जब विधान सभा का सत्र शुरू होगा तभी तो विधान सभा के सदस्यों को बिल दिए जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह बिल पांच दिन पहले सदन के सदस्यों को दिए जाने चाहिए थे? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, जब सत्र की शुरूआत से पांच दिन पहले विधान सभा सचिवालय के पास बिल आते है तो उसके बाद ही सदन के सदस्यों को बिल दिए जायेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप लोग चिट्ठियां तो बड़ी–बड़ी लिखते हैं लेकिन अपनी ही बात पर अमल तक नहीं करते हो? आप लोग अपनी ही बात पर मुकरने का काम करते हो? अध्यक्ष महोदय, आप जब विधायक हुआ करते थे तब भी आप अपनी सीट से उठकर खड़े हो जाते थे और यहां स्पीकर बनने के बाद भी सारा समय अपनी सीट से उठकर खड़े हो जाते हो। स्पीकर का काम सारा दिन खड़ा रहना नहीं है। स्पीकर का काम विधायकों की बात को सुनने का होता है । स्पीकर का काम हर बात पर अड़ंगा अड़ाना नहीं होता है? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, आप साफ–साफ बताओ कि आप ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–6 पर बोलना चाहते हैं या नहीं?

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण सूचना पर बोलना चाहता हूँ।

————————

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(i) राज्य के 32 शहरों में तीस हजार से अधिक गलत रजिस्ट्रियों से संबंधित

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा राज्य के 32 शहरों में 30 हजार से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियों के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–6 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक सप्लीमैंट्री पूछ सकती हैं। स्थगन प्रस्ताव संख्या–2 जोकि श्री वरूण चौधरी, विधायक तथा नौ अन्य विधायकों श्री बिशन लाल, श्री भारत भूषण बत्तरा, श्री आफताब अहमद, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री कुलदीप वत्स, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्री मेवा सिंह तथा श्री अमित सिहाग द्वारा दिया गया है मैंने उसको ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34 में परिवर्तित कर दिया है, तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 के साथ जोड़ दिया है। श्री वरूण चौधरी, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी तथा अन्य दो हस्ताक्षरी भी इस पर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की और दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश के 32 शहरों में 30 हजार से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियां होने की खबर आ रही है। अकेले गुरूग्राम जिले में 1199 रजिस्ट्रियां हुई हैं जिनमें अवैध कालोनी तथा कृषि भूमि जो कंट्रोल्ड एरिया की धारा 7–ए के तहत आती हैं, बगैर एन.ओ.सी. लिए अवैध रूप से रजिस्ट्रियां 24 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक के समय में हुई हैं। यह एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जिसमें हजारों करोड़ रूपये का अवैध लेन–देन हुआ है और यह भी खुले आरोप लगे हैं कि अवैध लेने–देन में पैसा उपर तक गया है। इस गम्भीर समस्या को लेकर आम जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व आक्रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16 के द्वारा, श्रीमती किरण चौधरी, विधायक राज्य में हुए रजिस्ट्री घोटाले बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहती हैं कि राज्य में हाल ही में रजिस्ट्री घोटाला सामने आया है जिससे राज्य के राजस्व को करोड़ो रूपये का चूना लगा है। राज्य में कोई भी रजिस्ट्रेशन जिला योजनाकार एवं शहरी निकायों की एन.ओ.सी. के बिना अवैध रजिस्ट्रियां भारी मात्रा में हुई है और लगभग राज्य के सभी बड़े शहरों जैसे गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक आदि 32 बड़े शहरों में यह सब हुआ है। ऐसा भी नोटिस में आया है कि खेती की जमीनों को औने–पौने दामों में खरीदकर प्लॉट का साइज बड़ा कर अवैध रूप में रजिस्ट्री कराई गई इसमें दलाल, कर्मचारी, अधिकारियों ने अवैध कालोनियों की धडल्ले से रजिस्ट्रियां करवाई।

वह सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहती हैं कि सरकार यह स्पष्ट करें कि राज्य के कितने शहरों में अवैध रूप से रजिस्ट्री हुई और कितने रूपये की चपत सरकार को लगी और किन कर्मचारियों, अधिकारियों का इस घोटाले में हाथ है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। समाचार पत्रों में तो यह भी खबरें आ रही हैं कि भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारियों ने मिलकर जिनको उपर से संरक्षण प्राप्त है वे अपने रिकॉर्ड को दुरूस्त कर रहे हैं। यह भी समाचार आ रहे हैं कि अगर कोई एजेंसी उनके पास जाती है तो यह कहा जाता है कि वह तो अपने स्तर पर पूछताछ कर रहे हैं सरकार द्वारा कोई भी आदेश नहीं है।

वह सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध भी करती हैं कि वह सरकार पर दबाव डालते हुए इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करें और सदन में बताएं कि किस किस शहर में यह घोटाला हुआ है और कितनी राशि की चपत राज्य के राजस्व को लगी है और इसमें क्या कार्रवाई हुई है। आशा है सरकार जो जीरो टोलरेंस अगेंस्ट करप्शन का स्लोगन देती है वह दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके दिखाएगी क्या यह काम डिजिटल पारदर्शिता के द्वारा नहीं किया जाता? सरकार विस्तृत और उचित तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दे।

ADJOURNMENT MOTION NO.2
CONVERTED INTO ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO.34
CLUBBED WITH ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO.6

S/Shri/Smt. Varun Chaudhry, MLA, Bishan Lal, MLA, Bharat Bhushan Batra, MLA, Aftab Ahmed, MLA, Geeta Bhukkal, MLA, Kuldeep Vats, MLA, Jagbir Singh Malik, MLA, Shakuntla Khatak, MLA, Mewa Singh, MLA and Amit Sihag, MLA want to draw the kind attention of this august House towards a matter of an urgent and great public importance that allegation of registration of properties during lockdown without obtaining the mandatory No-Objection-Certificate (NOCs) points to lapses on the part of the Town and Country Planning Department as well as the Local Bodies Department. It is alleged that over 25,000 sale deeds were registered without taking NOC from these Department's following connivance between the registry staff and local property agents. The majority of the registries were done in violation of the Haryana Development & Regulation of Urban Areas Act, 1975 (amended in 2017), as well as the Local Body Rules. According to Section 7-A of the Haryana Development & Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2017, registration of sale deed of plots measuring less than Two Kanals cannot be done without permission from DTCP. As per norms, an agriculture land falling under the Control Area cannot be bifurcated below the size of 1200 square yards. Some illegal Colonies were allegedly carved out, especially in the NCR areas of Gurugram, Faridabad, Palwal, Sonipat, Rohtak and Bahadurgarh either by forming groups to get plots of 1200 square yards size or above registered, or bifurcating the plots on their own without obtaining the NOCs. Although the Town and Country Planning Department can register an FIR over violation of Haryana Development & Regulation of Urban Areas, Act, 1975 but no action is learnt to have been taken so far.

Around 1200 properties have been registered in Gurugram without the mandatory "No-Objection-Certificate" from the Department of Town and Country Planning (DTP) and MCG during the lockdown period. This was revealed after a complaint filed by RTI activist. The unauthorized registries were done in several illegal colonies in the city including Chauma Village. Chauma Village falls within the radius of 900 meter, where the registry is closed due to Supreme Court order. These all were carved out on agricultural land and violation of Section 7-A of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 by exploiting the loopholes in the system. Property dealers carve out illegal colonies on agriculture land and then sell the same. They also get these properties registered through the nexus in the tehsil Offices. These officials hatched a conspiracy for their own benefit and caused loss to the State exchequer. They took Rs. 1.00 lakh to 1.5 lakh for each registry. Similar complaints have also been received from the other Districts of the State during the lockdown.

It is also alleged that many sale deeds were also registered without taking NOC in the Rai tehsil of Sonepat District and many illegal colonies were allegedly carved out at a very low rates during lockdown. In Rohtak, more than 60 illegal colonies were carved out without taking NOC.

The State Government halted the registration process in a hurry after various complaints of malpractices were made. A high level probe will bring home the truth as there seems to be more than 1000 crore in this process.

In view of a huge loss to the State exchequer, they demand a probe by a sitting High Court Judge into alleged irregularities in the registration of land transfer deeds in the State during the lockdown.

वक्तव्य–

उप–मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–6 का जवाब सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अचल सम्पतियों का कोई अवैध पंजीकरण नहीं किया गया है। लेकिन कुछ सब–रजिस्ट्रार एवं संयुक्त सब–रजिस्ट्रार ने हरियाणा विकास और विनियमन क्षेत्र संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 7ए के प्रावधान की अनुपालना नहीं की गई। पंजीकरण के समय दिनांक 24.4.2020 से 30.6.2020 की अवधि के दौरान अचल सम्पति हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा विकास एवं विनियमन क्षेत्र संशोधन 2017 की धारा 7ए के प्रावधान का पालन नहीं करने वाले सब–रजिस्ट्रार/संयुक्त सब–रजिस्ट्रार के खिलाफ सरकार ने इस मामले में सख्त कार्यवाही की है। सब–रजिस्ट्रार सोहना तथा संयुक्त सब–रजिस्ट्रार, वजीराबाद, बादशाहपुर, मानेसर, सोहना और गुरूग्राम तहसील में तैनात एक सब–रजिस्ट्रार तथा पांच संयुक्त सब–रजिस्ट्रारों को निलंबित कर दिया है तथा उन्हें हरियाणा सिविल सेवाएं सजा एवं अपील नियम 2016 के नियम 7 के तहत चार्जशीट किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन मानेसर में एफ.आई.आर. नम्बर 157 में दिनांक 2.8.2020, पुलिस स्टेशन बादशाहपुर में एफ.आई.आर. नम्बर 242 दिनांक 2.8.2020, पुलिस स्टेशन सैक्टर–10 गुरूग्राम में एफ.आई.आर. संख्या 326 दिनांक 8.8.2020, पुलिस स्टेशन सैक्टर–93 गुरूग्राम में एफ.आई.आर. नम्बर 327 दिनांक 8.8.2020, पुलिस स्टेशन सैक्टर–10 में एफ.आई.आर. नम्बर 1414 दिनांक 2.8.2020 और एफ.आई.आर. नम्बर 272 दिनांक 2.8.2020 पुलिस स्टेशन सोहना जिला गुरूग्राम में धारा 420 आई.पी.सी. के तहत तथा हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र अधिनियम का विनियम 1975 की धारा 10 के तहत जिला टाउन कंट्री प्लानर, गुरूग्राम द्वारा गुरूग्राम जिले के उपरोक्त एक सब–रजिस्ट्रार तथा पांच संयुक्त सब–रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकद्मा पंजीकृत करवाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त दिनांक 4.6.2020 की रिपोर्ट पर नारनौल, करनाल, सोनीपत, रेवाड़ी, पंचकूला, भिवानी, फरीदाबाद तथा कैथल जिले के सब–रजिस्ट्रार/संयुक्त सब–रजिस्ट्रार जिन्होंने 14.6.2013 से 31.5.2020 की अवधि के दौरान 1555 पंजीकृत बिक्री पत्रों तथा पट्टेनामा के दस्तावेजों के पंजीकरण के समय हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र अधिनियम का विनियम 1975 की धारा 7ए के तहत डी.टी.

पी. से एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं की, के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं कि 32 शहरों में 30 हजार रजिस्ट्रियां लॉक डाउन के दौरान हुई, के संदर्भ में मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि लॉक डाउन के दौरान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद था लेकिन जब अप्रैल माह में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को खोला गया तो इस माह के दौरान कुल 1260 डीड रजिस्टर्ड हुई। इसी प्रकार मई महीने में 27813 डीड रजिस्टर्ड हुई। अध्यक्ष महोदय, संविधान का 44वां अमेंडमेंट जोकि राइट टू प्रोपर्टी से संबंधित है, प्रत्येक व्यक्ति को यह फंडामैंटल राइट प्रदान करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाना चाहता है और उस जमीन पर अर्बन टाउन प्लानिंग डिपार्टमैंट/एच.एस.वी.पी. या अर्बन लोकल बाडीज को कोई आब्जैक्शन नही है, तो उस व्यक्ति को अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहंगा कि जो डीड्ज/रजिस्ट्रियां होती हैं, उनमें केवल मात्र immovable assets अर्थात जमीन की रजिस्ट्री ही शामिल नहीं होती है बल्कि डीड्ज/रजिस्ट्री के तहत agreements, agreements to transfer, assignments of rights, financial assets not liable to SDUF, registry of apartments, registry of awards, cancellation of instruments, cancellation of mortgage, cancellation of will, certificate of sale, conveyance deed, declaration, degree, exchange of property, gift, lease, mortgage, partition, partnership, power of attorney, re-conveyance, release of land, re-mortgage, sale, settlement, surrender of lease, tartima, transfer of immovable property आदि कुल मिलाकर 26 प्रकार की रजिस्ट्रियां शामिल होती हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि एक माह की अवधि के दौरान अलग अलग प्रकार की डीड्ज प्रदेश में रजिस्टर्ड हुई। अतः जिस तरह की बात माननीय सदस्य ने कही थी कि बहुत बड़े लैवल पर रजिस्ट्रियां हुई, के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि यह अलग–अलग प्रकार की रजिस्ट्रियां थी और इनसे सरकार को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक–एक रजिस्ट्रेशन डीड को वेरिफाई करने का काम किया गया है। रजिस्ट्री के दौरान पूरी स्टॉम्प ड्यूटी चार्ज की गई और यह सारा पैसा सरकार के खजाने में आया है और अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता हमारे सामने आई

तो हमने कार्रवाई करने का काम किया है। मैंने पिछले सदन की बैठक के दौरान भी यह बात कही थी और कार्रवाई का उदाहरण देते हुए बताया था कि सोहना के एक सब–रजिस्ट्रार तथा गुरूग्राम जिले के पांच ज्वॉयंट सब–रजिस्ट्रार को हमने सस्पेंड करने का काम किया और उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई। अध्यक्ष महोदय, हमने उन लोगों के खिलाफ एक महीने की समयावधि में चार्ज फ्रेम करने का काम किया था।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने उसके बाद इस प्रोसैस को और आगे भी ले जाने का काम किया है और दो सब–रजिस्ट्रार को सस्पैंड भी किये हैं और उनके खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गये हैं। यह लॉकडाउन के पीरियड की बात नहीं है। हरियाणा विकास एवं विनियमन क्षेत्र संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 7ए के अनुसार हमने तमाम कमिश्नर्ज को एक पत्र के माध्यम से लिखकर भेज दिया है कि वर्ष 2017 से लेकर अब तक कितनी ऐसी रजिस्ट्रियां हुई हैं जो 7ए कंट्रोल्ड एरिया में हैं। ये रजिस्ट्रियां 32 अर्बन लोकल बॉडीज तक सीमित नहीं है बल्कि बहुत से ऐसे गांव हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज के एरिया से बाहर हैं, जिनके अन्दर धारा 7ए लागू होती है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड की 1200 वर्ग गज से कम बिना एन.ओ.सी. के रजिस्ट्री हुई है अर्थात् रूल के मुताबिक टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग के अन्तर्गत जो एरिया प्रतिबंधित था और उसकी रजिस्ट्री हो गई, उन सबकी रिपोर्ट भी मंगवाकर जांच करवाई जायेगी। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से सप्लीमैंट्री पूछना चाहती हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः बहन किरण चौधरी जी, पांच माननीय सदस्य ही सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने वक्तव्य में लिखा हुआ है कि–

> 'श्रीमान् जी, अचल सम्पतियों का कोई अवैध पंजीकरण नहीं किया गया है। लेकिन कुछ सब–रस्ट्रिार एवं संयुक्त सब–रजिस्ट्रार द्वारा हरियाणा विकास और विनियमन क्षेत्र संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 7 ए के प्रावधान की अनुपालना नहीं की गई।'

पहले तो सरकार कहती है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और बाद में कहती है कि अनुपालना नहीं की गई और आगे लिखा है कि–

> 'पंजीकरण के समय दिनांक 24.4.2020 से 30.06.2020 की अवधि के दौरान अचल सम्पति हस्तांतरण से सम्बन्धित दस्तावेजों के पंजीकरण से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ।'

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ स्वयं सरकार स्वीकार कर रही है कि यह गलत हुआ है। इस संबंध में इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं हैं यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन में उपस्थित होते तो मैं इस बारे में जरूर उनसे पूछता। लॉकडाउन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं यह बात मीडिया के सामने कही थी कि रजिस्ट्रियों को लेकर प्रदेश में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, इसलिए प्रदेश में एक सप्ताह के लिए रजिस्ट्रियों पर रोक लगाकर आने वाले समय में कोई ऐसा सिस्टम बनायेंगे ताकि रजिस्ट्रियों में कोई लेने–देने का काम न हो। इस प्रकार से स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रदेश में रजिस्ट्रियों के नाम पर गड़बड हुई है तो संबंधित मंत्री कैसे इस बात को कह सकता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यदि कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में ऐसी बातें क्यों लिखते हैं।

इस लॉकडाउन के दौरान केवल 2 महीनों में अकेले गुरूग्राम में 1199 रजिस्ट्रीज हुई हैं । गुरूग्राम में जो भी रजिस्ट्रीज हुई हैं उनके बारे में मेरा कहना है कि धारा–7'ए' के तहत बगैर एन.ओ.सी. के कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती जबकि ये सभी रजिस्ट्रीज बगैर एन.ओ.सी. के हुई हैं । बगैर एन.ओ.सी. के रजिस्ट्री होने का मतलब है कि इसमें कोई बड़ा लेन–देन शामिल है । सोनीपत और अन्य शहरों के अनेक तहसीलदारों ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि रजिस्ट्री करना हमारी मजबूरी है और हमारे ऊपर इसका दबाव है । इन रजिस्ट्रीज को करने के लिए अगर हम ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचायेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी या फिर हमारा तबादला कर दिया जाएगा । इस तरह के अनेक बयान आपकी पार्टी के लोगों और अनेक अधिकारियों के आये हुए हैं । आपकी पार्टी के सोनीपत, गुरूग्राम, अम्बाला के नेताओं के बयान आये हैं कि इन रजिस्ट्रीज में बहुत बड़ा लेन–देन हुआ है । वह लेन–देन केवल उस वक्त ही नहीं हुआ था बल्कि नया सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद आज भी हो रहा है । अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री के लिए तहसीलदार को कोई डॉक्युमैंट देता है तो तहसीलदार उस पर पैंसिल से एक निशान लगा देता है । जब तक उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए तहसीलदार को

पैसे नहीं दिए जाते तब तक उस निशान को हटाया नहीं जाता और जब तक उस निशान को रबर से हटाया नहीं जाता तब तक कोई भी तहसीलदार उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करता । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछिये ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मैं सप्लीमैंट्री ही पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप सदन में स्पीच मत दीजिए । आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछिये ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन भी अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाता है तो उसको उसके एवज में पैसे देने पड़ते हैं । आज भी बहुत–से लोगों की रजिस्ट्रीज केवल इसलिए रोकी जाती हैं क्योंकि उन्होंने उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया हुआ होता है । आज के दिन भी पैसे लिये बगैर रजिस्ट्री नहीं की जाती है । प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को राकने के लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला है । सरकार के माननीय मंत्री महोदय द्वारा तहसीलदार को हिदायत दी गई है कि जब तक मैं आदेश न दूं तब तक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मत करना । मैं आपको पंचकुला शहर की बात बताना चाहता हूं । वहां पर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए टोकन ले लिए । उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रार को कहा कि हमने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए टोकन लिया हुआ है । इस प्रोपर्टी की रजिस्ट्री के लिए जो रजिस्ट्री फी लगनी है वह फी आप लीजिए और रजिस्ट्री कीजिए लेकिन वह तहसीलदार अपने ऑफिस पर ताला लगाकर चला गया । मैंने इस संबंध में डी.सी., पंचकुला से फोन पर बात की । इसके बाद डी.सी. ने तहसीलदार को ऑफिस में आने के लिए कहा लेकिन वह तहसीलदार उनके फोन करने के बाद भी कार्यालय में नहीं आया । इसके बाद एफ.सी.आर. ने डी.सी. से इसकी रिपोर्ट मंगवाई कि क्या कारण है कि उस एरिया में प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रीज नहीं की जा रही हैं । फिर डी.सी. ने एफ.सी.आर. के पास उसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजी । एफ.सी.आर. इस समय ऑफिसर्ज गैलरी में बैठे नहीं हैं । आप बाद में उनसे इस बारे में पूछ लेना । अध्यक्ष महोदय, प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रीज को रोकने का मतलब है कि रजिस्ट्री के काम में सरकार बेवजह दखलअंदाजी कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आज सुबह की एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जिसने जमीन ली है, उसने तहसीलदार के पास जाकर कहा कि

आपके पास डिप्टी कमिशनर का भी आदेश आ गया है। अब आपको मेरी रजिस्ट्री करने में क्या दिक्कत है ? इसके बावजूद तहसीलदार अपने ऑफिस से खड़ा होकर बाहर चला गया, परन्तु उसने उसकी रजिस्ट्री नहीं की। इससे बड़ा और क्या घपला/घोटाला होगा ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत से ऐसे लोगों के ऐफीडेविट दिला सकता हूं जो यह कहते हैं कि उनसे रजिस्ट्री करने के नाम पर 20,000, 50,000 या 1,00,000 रुपये तक मांगे जाते हैं और सरकार के अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। फिर भी सरकार सदन में बैठकर सफाई देती है कि कोई घपला/घोटाला नहीं हुआ है। अधिकारी सारे हरियाणा प्रदेश को लूटकर खा गये हैं और अभी भी सरकार की आंखें बन्द हैं। सरकार इन मामलों में संज्ञान ले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस मामले की जांच सी.बी.आई. से करवाएं ताकि इस बात का पता चल सके कि कैसे अवैध रजिस्ट्रीज की जा रही हैं और जायज रजिस्ट्रीज को रोका जा रहा है। मैं जिस रजिस्ट्री के करवाने की बात कर रहा हूं, उसका कल हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद सरकार को वह रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। उस समय देखेंगे कि अधिकारी कैसे रोकेगें ? जमीनों के ऊपर खुद अवैध कॉलोनीज काट रहे हैं और लोगों से कहते हैं कि अवैध कॉलोनीज काटकर ये लोग अपनी प्रोपर्टी खड़ा करना चाहते हैं। अगर कोई किसी की जमीन खरीदता है और वह अवैध कॉलोनीज काटेगा या मकान बनाएगा तो यह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का काम है कि उसको रोक दे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी उस जमीन पर पहले ही चक्कर काटते फिरते हैं। यह तो हद हो चुकी है क्योंकि उस जमीन पर अब से पहले एक ईंट नहीं लगी है और न ही सड़क बनी है, परन्तु वहां पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुंच जाते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि आप यहां पर क्या करने आये हैं तो वे कहते हैं कि उन पर ऊपर से बहुत प्रैशर है। यह ऊपर से किसका प्रैशर है, इस बात का पता चलना चाहिए। मैं कल उस जमीन पर रजिस्ट्री करवाऊंगा और देखूंगा कि कौन रोकता ? यह तरीका ठीक नहीं है। इस प्रकार बहुत बड़ी लूट प्रदेश में हो रही है और आप कह रहे हैं कि आप केवल सप्लीमैंट्री पूछें। इससे बड़ा सप्लीमैंट्री क्या हो सकता है ? अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन से बाहर चले गये हैं क्योंकि उनको पता था कि मैं इस बारे में प्रश्न पूछूंगा और उनको जबाव देना पड़ेगा, इसलिए वे पहले ही सदन से उठकर चले गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री

जी और माननीय गृह मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इस मामले की जांच सी.बी. आई. से करवाएं। अन्यथा इस तरह से लुटेरे सारे प्रदेश को लूटकर खा जाएंगे।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी विषय पर ध्यानकर्षण प्रस्ताव लगाया था।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, आप शॉर्ट में ही टू दा प्वायंट अपनी बात रखें।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई पढ़ा है। उन्होंने रिप्लाई में लिखा है कि :– There is no truth in the fact that the deeds registered in the 32 cities of the State are illegal. एक तरफ मान रहे हैं कि रजिस्ट्रीज में इतना बड़ा घपला हुआ है, एन.ओ.सी. के बिना रजिस्ट्री की गयी हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि:– it is not illegal. खाली provision of Section 7(A) has been overlooked. सैक्शन 7(ए) का मतलब यह है कि that is a part of law. यह इल्लीगल है या नहीं, पहली बात तो यह है। जो सरकार का जबाव आया है, मैं उसी के बारे में कह रही हूं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि ये सारी की सारी बातें अभी माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने कही हैं, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी कि विभाग द्वारा एक एकड़ के प्लॉट को सिस्टम में अपलोड करना था, वह अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। यह बात बहुत फनफेयर के साथ कही गयी थी कि इस पर तुरंत कार्यवाही होगी। मुझे यह बात इसलिए मालूम है क्योंकि कल ही मेरे पास इस संबंध में एक फोन आया था कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस मामले में बात करें। टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग विभाग को आपने इस काम को करने के लिए कह रखा है। रेवाड़ी में जो लोग ये सभी मापदण्ड पूरे करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी रजिस्ट्री नहीं की जा रही हैं। इसके लिए कोई न कोई ईशारा किया जाता है, तब जाकर रजिस्ट्री की जाती है। यह नयी दुकान खुल गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो बात कह रही हूं, वह सच्चाई है, इसलिए आप इसके ऊपर ध्यानपूर्वक संज्ञान लें। दूसरी बात बतायी गयी है कि टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग विभाग के पास एन.ओ.सी. लेने के लिए जाते हैं तो वे उस पर पैंसिल का मार्क लगा देते हैं। यह रजिस्ट्री करने का काम टाईम बाउंड मैनर में क्यों नहीं करवाया जाता है ? अगर इसमें सरकार की मंशा साफ है तो इस काम को पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं किया जाता है ? पूरे हरियाणा के यही हालात हो गये हैं और यह कॉमन आदमी के लिए परेशानी का कारण बन गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप– मुख्यमंत्री जी ने

बताया कि उन्होंने इस संबंध में 6 तहसीलदारों को सस्पैंड कर दिया है। इस मामले में सिर्फ तहसीलदारों को ही सस्पैंड करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये खाली तहसीलदार या सब–रजिस्ट्रार तक ही सीमित नहीं है। मैं समझती हूं कि सरकार को इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, तब सरकार को पता चलेगा कि किंगपिन कौन हैं? मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा है सरकार कैसे कह सकती है कि रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है। मैं इस बारे में भी बताना चाहूंगी कि रेवेन्यू लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कोविड–19 महामारी के कारण सरकार के खर्चे बढ़ गये हैं। जबकि सरकार के अनेक तरह के खर्चे और भी होते हैं और उल्टा विभागीय अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्री करने में देरी की जा रही है। मेरे कहने का मतलब यही है कि सरकार इस मामले में stagger out हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहती हूं कि सरकार को रेवेन्यू का लॉस हर महीने हो रहा है और यह लॉस निचले स्तर पर हो रहा है। जबकि सरकार कहती है कि हमें कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है। यह मामला बहुत ही गंभीर है। हरियाणा प्रदेश की आम जनता सबकुछ देख रही है और इससे वह काफी परेशान भी है। सरकार एक तरफ तो प्रदेश में पारदर्शिता लाने की बात करती है और दूसरी तरफ निचले स्तर पर भ्रष्टाचार को पनपने का अवसर दे रही है। हमें लोग आकर खुलेआम यह कहते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, तब भी हमारा काम नहीं हो रहा है। आप फोन कर दीजिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश में कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है और बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि इसका संज्ञान लें और इस पर तुरन्त कार्रवाई करने का काम करें। इसके अलावा सरकार यह भी बताये कि इसमें कितना समय और लगेगा? मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम जमीन है, उनकी जमीनों को अभी तक सिस्टम में अपलोड क्यों नहीं किया गया है? अगर किसानों की एक एकड़ की जमीन को सिस्टम में अपलोड नहीं किया जायेगा तो फिर आगे की कार्यवाही किस प्रकार से आगे बढ़ पायेगी? सरकार को इस बात का भलीभांति ज्ञान है कि आज रेवाड़ी में किस प्रकार के हालात पैदा हो गये हैं। मैंने कल ही इस बारे में वहां के स्थानीय लोगों से बात की है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने टाइमबाउंड करने की बात कही है। जो हमारा ''वैब हैलरिस'' का नया सॉफ्टवेयर आ गया है, अब प्रदेश के

किसी भी व्यक्ति को किसी बाबू के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सारा सिस्टम डिजिटलीकरण कर दिया गया है। अगर मैं एफिशियंसी की बात करूं तो जो एन.ओ.सी. 7-A of the Haryana Development and Regulation Areas (Amdendment) Act, 2017 की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से आती थी, जिसकी बात माननीय सदस्या ने की है। मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास 2000 से ज्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशंज एन.ओ. सी. लेने के लिए आई हुई हैं और इनमें से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास आज लगभग 250 के करीब पैंडेंसी है। हमारी सरकार ने प्रोसैस को सिम्प्लीफाई किया है। माननीय सदस्या ने इस बात का जिक्र किया कि 7-A of the Haryana Development and Regulation Areas (Amdendment) Act, 2017 इसीलिए बनाया गया था कि unplanned development न हो। अगर माननीय सदस्या कहती हैं कि इन तीन महीनों के unplanned development की रजिस्ट्री की इन्क्वायरी की जाये। मैंने अभी सदन में इस बात का जिक्र किया था कि हमारी सरकार ने वर्ष 2017 में हुई रजिस्ट्रियों की इन्क्वायरी करवाई है। अगर माननीय सदस्या सहमत हैं तो हमारी सरकार 10 साल में हुई रजिस्ट्रियों की इन्क्वायरी करवाने को भी तैयार है। जिला गुरुग्राम में सबसे ज्यादा unplanned development हुआ तो उसकी शुरूआत कहीं न कहीं पिछले एक दशक पहले की गई थी। जिसके कारण unplanned development हुई है। आज वहां केवल मात्र गुरुग्राम नहीं बल्कि 32 अर्बन लोकल बॉडीज ऐसी हैं जो 7-A of the Haryana Development and Regulation Area (Amdendment) Act 2017 के अंदर आती हैं और हजारों गांव ऐसे हैं जो 7-A of the Haryana Development and Regulation Areas (Amdendment) Act, 2017 के अंदर आते हैं । माननीय सदस्या खुद इस सदन में मंत्री भी रही हैं, इसलिए इनको इस बात का पता होना चाहिए कि सरकार किसी व्यक्ति को उसकी प्रोपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। मगर उस पर फ्लैग लगा सकती है। हमारी सरकार ने अर्बन लोकल बॉडीज पर दो प्रकार के फ्लैग लगाये हैं कि आप प्रोपर्टी टैक्स पूरा दीजिए। अगर आप डिवैल्पमैंट एरिया में रहते हैं तो डिवैल्पमैंट चार्ज पूरा दीजिए। इसका नतीजा यह है कि हमारी सरकार को करोड़ों रुपये राजस्व के पिछले 1 महीने में अतिरिक्त इक्ट्ठे हुए हैं। जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा कि सरकार को रजिस्ट्रियों को डिले करने में राजस्व का नुकसान हुआ है। इस सदन में एक

माननीय सदस्य ने कहा था कि पैंसिल का मार्क लगा दिया जाता है। मैं इनको सिर्फ factual figures के बारे में बताता हूं कि अक्टूबर, 2019 में चुनाव चल रहे थे, तब भी प्रदेश में रजिस्ट्रियों पर कोई रोक नहीं थी। सरकार को उस समय भी राजस्व में 495.63 करोड़ रुपये आया था और अब ''वैब हैलरिस'' का नया सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकार को अक्टूबर, 2020 में 547.56 करोड़ रुपये का राजस्व आया है। जिसमें सरकार ने एक रुपये की भी स्टैम्प ड्यूटी या टैक्स इंक्रीज नहीं किया और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अक्टूबर महीने में 51.93 करोड़ रुपये की रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। यह सिर्फ सिस्टम सुधारने का नतीजा है और हमारी सरकार इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि रजिस्ट्रियां रोक दी गई हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर उन्होनें स्वयं की रजिस्ट्री करवानी है तो यह उनका लीगल राइट बनता है। वे सरकार को बतायें कि कौन प्रतिबंधित कर रहा है। मगर दूसरे व्यक्ति की रजिस्ट्री कराने का या गलत रजिस्ट्रियां कराने का ठेका लेने का काम अगर कोई व्यक्ति करता है, यदि वह डराता और धमकाता है तो इस सदन को उसकी भी निंदा करनी चाहिए। हमारा यह प्रयास है कि अगर कोई व्यक्ति पारदर्शी तरीके से गर्वनमैंट के ड्यूज पे करता है। गवर्नमैंट के जितने फ्लैग हैं और वह एन.ओ.सी. लेता है तो हमारी सरकार उसके रजिस्ट्रेशन डीड को आने वाले समय में human error जीरो करके रजिस्ट्रर करने का काम करेगी। आप स्वयं रिकार्ड उठाकर देखिए कि जब हमने अपने यहां वैब हैलरिस सिस्टम को डिवैल्प किया तो तेलंगाना सरकार ने हमारे मॉडल को रैपलीकेट करने के लिए अपने यहां भी रजिस्ट्रेशन प्रोसैस को बंद करने का काम किया। आज आप सभी माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि हरियाणा में किसी भी क्षेत्र में जब हमने बदलाव किये देश के दूसरे प्रदेशों ने भी उनको अपने यहां लागू करने का काम किया है। जब हरियाणा में लाल डोरा मुक्त गांव की नोटिफिकेशन जारी की गई थी तो मुझे याद है कि उस समय बहुत से लोग यह कहते थे कि इससे गांवों में वाद–विवाद बढ़ जायेगा। केन्द्र सरकार ने एक नहीं बल्कि 8 प्रदेशों के अंदर इस योजना को लागू किया। ये सकारात्मक बदलाव हैं। जब सकारात्मक बदलाव होते हैं तो मुझे लगता है कि कईयों को बड़े दुख होते हैं। आज की तारीख में उस दुख में सदन के कई सदस्य हिस्सेदार हैं। धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी की सारी की सारी बात सुनी है। जिस सॉफ्टवेयर की ये बात कर रहे हैं मैं भी वही कह रही हूं जिस सॉफ्टवेयर पर उप मुख्यमंत्री जी इतना गर्व कर रहे हैं ये हमें मालूम है क्योंकि यह सॉफ्टवेयर सारे का सारा हमारे समय में ही शुरू हुआ था। चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब वे ही सबसे पहले यह बात लेकर आये थे कि सारी की सारी रजिस्ट्रीज की कम्प्युटराईजेशन होनी चाहिए। इस प्रकार से उस समय यह बात चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने ही रखी थी। यह कोई नई बात नहीं है लेकिन मेरे कहने का यह मतलब है कि यह जो सॉफ्टवेयर है यह अभी भी पूरा काम नहीं कर रहा है। जो रेवेन्यू लॉस की बात मैं कह रही हूं वह इस तरह से है कि जो लोग आपके पास रजिस्ट्री करवाने के लिए कतार लगाये खड़े हैं अगर सरकार द्वारा फटाफट उनकी रजिस्ट्री करवा दी जायेगी तो उसका पैसा तो सरकार के खजाने में ही आयेगा। जो आने वाले 6 महीने में पैसा आने वाला होगा वह 1 महीने में ही आ जायेगा और आगे रेवेन्यू और भी बढ़ेगा। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा सरकार के कामकाज के ऊपर उंगली उठाने का कोई मकसद नहीं है। मैं सरकार को उसकी कमियां बताना चाहती हूं। मैं सरकार को उसकी कमियां बताकर यही कहना चाहती हूं कि आप इन कमियों को दूर कीजिए। जो नीचे वाले सरकारी अधिकारी हैं उनको हिदायत दी जाये कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार उसका कड़े से कड़ा संज्ञान लेगी। सिर्फ 4–5 रजिस्ट्रारों और 2–3 तहसीलदारों को सस्पैंड करने से बात बनने वाली नहीं है। मैं रेवाड़ी के बारे में यह बताना चाहती हूं कि वहां पर रजिस्ट्रीज हो ही नहीं रही हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या जी को यह बताना चाहता हूं कि हमने केवल मात्र गुरूग्राम और 8 सब–रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार तक इंक्वॉयरी को सीमित नहीं रखा है। हमने पूरे प्रदेश के तमाम कमिश्नर्ज को ये आदेश दिये हैं और जैसे ही पूरे प्रदेश की रिपोर्ट आयेगी कोई भी सब–रजिस्ट्रार या ज्वायंट रजिस्ट्रार जिसने गलत रजिस्ट्रेशन प्रोसैस को प्रदेश में इम्पलीमैंट किया है उसको हम under the Act चार्ज शीट भी करेंगे, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. भी करायेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का काम करेंगे मगर माननीय सदस्या को यह एप्रीशिएट करना चाहिए कि उनकी पार्टी की 10 साल की सरकार के कार्यकाल के दौरान गुरूग्राम के अंदर जो काम हुआ जिसको

उनकी सरकार नहीं रोक पाई हमारी सरकार ने 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी कार्यवाही उसके ऊपर करने का काम किया है।

श्री वरूण चौधरी : आदरणीय स्पीकर सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी का चित्र इस हॉल में लगाया है। मैं आपका आभारी हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी उनकी दिखाये हुए रास्ते पर चलेंगे। अभी जैसे चर्चा हो रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में अवैध कालोनियों की बाढ़ आई हुई है। भू–माफिया के अच्छे दिन आये हुए हैं। अभी माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे कि सरकार को कोई रेवेन्यू का नुक्सान नहीं हुआ। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी का ही नुक्सान होता है? जब एक अवैध कालोनी में सरकार द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया जाता है, वहां पर बिजली और पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से सरकार के स्तर पर बहुत सी मदों में बहुत खर्च होता है। मेरे विचार में यह भी एक प्रकार से राजस्व का नुक्सान ही है। आज सवाल यह है कि Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act का जो सैक्शन 7–ए है इसके अंदर संशोधन हुआ ही क्यों? ऐसा करके भू–माफिया के लिए एक रास्ता बनाया गया कि जहां पहले एक हैक्टेयर भूमि के लिए एन.ओ.सी. लेनी पड़ती थी उसे घटाकर दो कनाल किया गया है। यह हम सभी के सामने है कि अब उसकी भी एन.ओ.सी. नहीं मिली। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जवाब में यह बताया गया है कि उन्होंने

17:00 बजे

इंक्वॉयरी रिपोर्ट की भी इंक्वॉयरी मांग ली है। उसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया था लेकिन आज 7 सप्ताह का समय हो गया है और उसकी इन्कवायरी रिपोर्ट कहीं पर भी नहीं है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बारे में मेरा यही प्रश्न है कि भविष्य के लिए क्या प्लानिंग की गई है ताकि हरियाणा में अवैध कालोनियों की जो यह मशरूमिंग हो रही है यह बंद हो सके?

डॉ. बिशन लाल सैनीः अध्यक्ष महोदय, यह जो रजिस्ट्री घोटाला है यह कोई दो–चार शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे हरियाणा प्रदेश की, हर तहसील और हर सब–तहसील में हुआ है। अभी उप–मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सरकार ने जो अच्छे कदम उठाये हैं उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं उसको एप्रिशिएट करता हूं कि पहले जो काम 8–10 हजार में हो जाता था अब उस काम के लिए पेटी मांगी जाती है। अब तहसीलदार सीधे कहते हैं कि आधी पेटी या एक पेटी में काम चल जायेगा। हमें तो यह अभी पता चला है कि रुपयों की पेटी भी होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ठीक है आप कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार यह बात मान भी रही है कि गलत काम हुआ है, घोटाला हुआ है। जैसे धान घोटाले में भी मान लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बयान देकर गये थे कि यह तो छोटा सा घोटाला है उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर घोटाला हुआ है तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो कार्रवाई होनी चाहिए। अब खनन घोटाले में एस.डी.एम. का नाम आ रहा है लेकिन कोई नहीं मान रहा कि वह भी यह काम करवा सकता है जबकि वही करवा रहा है। छोटा अधिकारी, उसका ड्राईवर और गनमैन वगैरह तभी घोटाला करते हैं जब ऊपर से उसको इशारा होगा। रजिस्ट्रियों में तो यहां तक बात आ रही है कि अगर किसी मां को अपने बेटे के नाम या बाप को बेटे के नाम ट्रांसफर डीड करवानी है तब भी पैसे मांगे जाते हैं। जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक काम नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसको लार्ज स्केल पर समझ कर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर आप 5–7 अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे तो माहौल अपने आप ही ठीक हो जायेगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है। जितना पैसा रजिस्ट्री करवाने में लगता है उससे ज्यादा पैसा कहीं पर नहीं लगता। आप देखेंगे कि पहले लॉकडाउन के दौरान की रजिस्ट्रियों की इन्कवायरी की बात हुई थी लेकिन उप–मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं हम तीन साल की रजिस्ट्रियों की जांच करवायेंगे। लॉकडाउन में सरकार किस पर दोष डालना चाहते थे और उसके बाद उप–मुख्यमंत्री जी ने क्या पाशा पल्टा, इसमें कुछ तो बात है। कुछ तो पर्दादारी है, पहले खट्टर साहब और अब उप–मुख्यमंत्री की होशियारी है। इसमें कुछ न कुछ घपला तो हुआ है। अब इसमें बाकायदा यह आया हुआ है कि इस खेल में विधायकों के भी सांसदों के बारे में भी प्रिंट मीडिया में बाकायदा लिखा आया है कि इनका भी हाथ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आप हाउस में चर्चा अपने तौर पर कीजिए। अखबारों की खबरों को आधार बना कर चर्चा मत कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इस रजिस्ट्री घोटाले में तहसीलदार से लेकर कानूनगो, नायब तहसीलदार, एस.डी.एम., डी.टी.पी. और डी.सी. तक के नाम शामिल है। इन सभी की मिलीभगत के बगैर यह काम नहीं हो सकता है। उस समय तत्कालीन ए.सी. एस. रेवेन्यू ने उस समय डी.सी. साहब को ही इस घोटाले की इन्कवायरी दे दी। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या जितने भी जिलों के डी.सीज. हैं क्या वे ईमानदारी से इसकी इन्कवायरी कर सकेंगे? जब इस घोटाले में ही उनके नीचे के कर्मचारियों और डी.सी. तक के अधिकारियों का नाम है तो यह इन्कवायरी केवल लोगों को बहकाने के लिए है। इसमें एक बात यह भी सामने आई है और इस संबंध में खुद सी.एम. साहब ने भी करनाल में छापा मारा है जिसमें वहां एक तहसीलदार को सस्पैंड किया है। मैं बताना चाहता हूं कि सोनीपत के अन्दर इतनी अवैध कालोनियां हैं जिनका सोफ्टवेयर में बदलाव करके रेजीडैंशियल और नॉन रेजीडैंशियल की बहुत ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई हैं जिनमें कई हजार करोड़ रुपये का घपला हुआ है जोकि एक बहुत बड़ा घपला है। इसी तरह से गोहाना में भी अवैध कालोनियों में रजिस्ट्रियां हुई हैं। क्या सरकार सी.बी.आई. से या हाऊस की कोई कमेटी बनाकर इसकी इंकवायरी करवाएगी? यदि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो इसकी सी.बी.आई. से इंकवायरी करवानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, तीन सदस्यों ने अलग–अलग बात रखी है और तीनों ने ही एक अर्बनाईज्ड एरिया जो डिवैल्प हो रहा है उसको रोकने की बात की है। टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग इसकी निरंतर मॉनेटिरिंग भी कर रहा है और अब हरसेक की सैटेलाईट के माध्यम से एक–एक कालोनी को डे–टू–डे मॉनेटिरिंग किया जा रहा है इसके ऊपर कई सदस्यों के अलग–अलग विचार थे। जहां तक पंचकूला क्षेत्र की बात है आज हमारी सरकार ने उसको जीरकपुर के बराबर रजिस्ट्रेशन रेट पर लाने का काम किया है। जिस जगह की मलिक साहब ने बात की है उसके ऊपर हमने सख्ती से कार्यवाही करने का काम किया है और एक मात्र गुड़गांव के 8–9 सब रजिस्ट्रार, ज्वायंट रजिस्ट्रार तक को हमने सीमित कर दिया है। हमने पिछले तीन वर्षों का रिकॉर्ड मांगा है कि हरियाणा प्रदेश में इस तरह के कितने केस हैं जिनमें 1200 गज से कम जमीन के ऊपर 7–ए के बिना रजिस्ट्रेशन प्रोसैस को अपनाने का काम किया गया है। उसको भी हम मॉनीटर करने का काम कर रहे हैं और इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्यवाही

भी करेगी। जहां तक हमारे ज्वायंट रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऊपर एक्शन लेने की बात है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बंसीलाल तहसीलदार के ऊपर एफ.आई.आर. नं. 272, सोहना सिटी में हुई है, हरिकिशन के ऊपर एफ.आई.आर. नं. 242, बादशाहपुर में, दलबीर के ऊपर एफ.आई.आर. नं. 272, सोहना सिटी में, जय प्रकाश के ऊपर 224, गुड़गांव सैक्टर–56 में, देशराज के ऊपर 31.07.2020 को एफ.आई.आर. नं. 1154, शिवाजी नगर के अन्दर और ओमप्रकाश जो रिटायर हो चुका है, उसके ऊपर एफ.आई.आर. नं. 314, सैक्टर–10 में हमने रजिस्टर्ड करवा दी हैं। इन सभी के ऊपर जो रिपोर्ट्स आएंगी उस पर डिपार्टमैंटली और पुलिस के माध्यम से भी जिस एक्ट में जो मैक्सीमम कार्यवाही बनती होगी हम वह कार्यवाही करने का काम करेंगे। जो माननीय सदस्य का सवाल है उसके बारे में मैं इतना बता सकता हूं कि 7–ए का प्रयोग बहुत छोटे एरिया के लिए यूटिलाईज हो रहा था। पहले यह एरिया दो हैक्टेयर तक था लेकिन उसको कम करके दो कनाल एरिया कर दिया गया था। अब उसको हम एक एकड़ एरिया पर लेकर गये हैं। अब हमारी सरकार ने छोटे फार्म हाऊस प्रमिट कर दिये हैं। आज भी अगर कहीं अर्बनाईज्ड एरिया में एक एकड़ एरिया से ऊपर एरिया है तो वह टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधीन आता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, ———— (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, प्लीज आप बैठ जाईये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन आनी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : बत्तरा जी, जब नोटिफिकेशन आएगी उसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, प्लीज आप बैठ जाईये। ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी बीच में खड़े होकर बोलने लग जाएं। ये नहीं होता है। आप बहुत सीनियर मैंबर हैं। आपको तो सदन की मर्यादा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप कभी भी बीच में खड़े हो जाते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने पुलिस के माध्यम से एफ.आई. आर. भी रजिस्टर्ड कर दी हैं और हम उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त

कार्यवाही भी करेंगे। अध्यक्ष जी, पंचकूला की रजिस्ट्रियों के ऊपर एक फैक्च्युवल फिगर इस हाऊस में रखी गई थी। उस संबंध में हमारे एक तहसीलदार को डी.टी.पी. का एक पत्र 22.10.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा है। माननीय सदस्य ने वह पंचकूला की प्रोपर्टी बताई है। उसके ऊपर टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट एक गांव हरीपुर छोप्पर, तहसील कालका का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा है। विभाग द्वारा रेवेन्यू रिकॉर्ड दे भी दिया है। टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट ने उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसमें जो और एक बात सामने आई है और इसमें खुद सी.एम. साहब ने भी करनाल में छापा मारा है उन्होंने तहसीलदार को सस्पैंड किया है और यह सारा अवैध कालोनियां सोनीपत के अन्दर इतनी अवैध कालोनियां हैं सारी, और इनमें सोफ्टवेयर में भी बदलाव करके रेजीडैंशियल और नॉन रेजीडैंशियल ये करके इतनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। यह बहुत बड़ा घपला है। कई हजार करोड़ रुपये का मामला है और गोहाना में नाजायज कालोनियों में रजिस्ट्रियां हुई हैं। सोनीपत में नाजायज कालोनियों में रजिस्ट्रियां हुई । क्या सरकार इसकी इंकवायरी सी.बी.आई. से करवाएगी या हाऊस की कोई कमेटी बनाकर क्या उससे इंकवायरी करवाएगी। मेरा यह सवाल है। यह बता दें सी.बी.आई. से इंकवायरी करवाएगी या नहीं करवाएगी। या हाऊस की कोई कमेटी बनाकर उससे इंकवायरी करवाएगी। यदि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो सी.बी.आई. से इंकवायरी करवानी चाहिए। धन्यवाद।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): माननीय अध्यक्ष जी, तीन सदस्यों ने अलग–अलग बात रखी है और तीनों ने एक अर्बनाईज्ड एरिया जो डिवैल्प हो रहा है उसको रोकने की बात की है। टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट निरंतर मॉनीटर भी कर रहा है और अब हरसेक की सैटेलाईट्स के माध्यम से एक–एक कालोनी को डे–टू–डे मॉनीटर किया जा रहा है। कई सदस्यों के इसके ऊपर अलग–अलग विचार थे। जहां तक पंचकूला क्षेत्र की बात है हमने उसको जीरकपुर के बराबर आज रजिस्ट्रेशन रेट पर लाने का काम किया है। जहां मलिक साहब ने बात की है हमने सख्ती से उसके ऊपर कार्यवाही की है और केवल मात्र गुड़गांव के 8–9 सब रजिस्ट्रार, ज्वायंट रजिस्ट्रार तक को सीमित हमने किया है। हम पिछले तीन वर्षों में कितने हरियाणा प्रदेश में इस तरह के 7–ए के बिना रजिस्ट्रेशन प्रोसैस को अपनाने का काम किया गया है। 1200 गज से लेकर ऊपर की जमीन के ऊपर नहीं उससे कम जमीन में उसको हम मॉनीटर करने का काम कर रहे हैं

और उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही हमारी सरकार करेगी। जहां तक हमारे ज्वायंट रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऊपर एक्शन की बात है तो मलिक साहब, जो बंसीलाल तहसीलदार था उसके ऊपर एफ.आई.आर. नं. 272, सोहना सिटी में हुई है, हरिकिशन के ऊपर एफ.आई.आर. नं. 242, बादशाहपुर में, दलबीर के ऊपर एफ. आई.आर. नं. 272, सोहना सिटी में, जय प्रकाश के ऊपर 224, गुड़गांव सैक्टर–56 में, देशराज के ऊपर 31.07.2020 को एफ.आई.आर. नं. 1154, शिवाजी नगर के अन्दर और ओमप्रकाश जो रिटायर हो चुका है, उसके ऊपर एफ.आई.आर. नं. 314 पर सैक्टर–10 में हमने रजिस्टर्ड करवा दी हैं और इस सब के ऊपर हम आगे जैसे–जैसे इनकी रिपोर्ट्स आएगी डिपार्टमैंटली भी और पुलिस के माध्यम से भी जिस एक्ट में जो मैक्सीमम कार्यवाही बनती है वह कार्यवाही करने का काम करेंगे। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि 7–ए बहुत छोटे एरिया के लिए यूटिलाईज हो रहा था। जो आपका सवाल है। पहले यह दो हैक्टेयर था उसको कम करके दो कनाल कर दिया गया था। अब उसको एक एकड़ पर हम लेकर गये हैं क्योंकि छोटे फार्म हाऊस हमारी सरकार ने परमिट कर दिये हैं। आप भी अगर अर्बनाईज्ड एरिया के बीच में आधा एकड़ या एक एकड़ से ऊपर क्योंकि यह टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट का विषय है।(विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, ———— (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, प्लीज आप बैठ जाईये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन आनी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : बतरा जी, जब नोटिफिकेशन आएगी उसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, प्लीज आप बैठ जाईये। ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी बीच में खड़े होकर बोलने लग जाएं। ये नहीं होता है। आपको तो पता है आप तो इतने सीनियर मैंबर हैं। सदन की क्या मर्यादा है आपको तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप कभी भी बीच में खड़े हो जाते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने पुलिस के माध्यम से केस भी रजिस्टर्ड कर दिये हैं और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही उन अधिकारियों

के विरुद्ध हम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक फैक्चुअल फिगर इस हाऊस में रखी गई थी। स्पेसिफिकली पंचकूला की रजिस्ट्रियों के बारे में रखी गई थी। एक पत्र हमारे तहसीलदार को प्राप्त हुआ है 22.10.2020 का डी.टी.पी. का जिसमें रेवैन्यू रिकॉर्ड मांगा है। माननीय सदस्य ने पंचकूला की प्रौपर्टी बताई है। उसके ऊपर टाऊन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट ने गांव हरीपुर छौपर, तहसील कालका का पूरा रेवैन्यू रिकॉर्ड मांगा है। विभाग द्वारा रेवैन्यू रिकॉर्ड दे भी दिया गया है। टाऊन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट ने उसके ऊपर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा है।

(ii) राज्य में 2020 (अप्रैल से जून तक) में 46 प्रतिशत हुई बाल मृत्यु दर से संबंधित

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा राज्य में (अप्रैल से जून तक) 46 प्रतिशत बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–12 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। लॉकडाउन के समय में पिछले वर्ष की तुलना में (अप्रैल से जून) शिशु मृत्यु दर में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जोकि गम्भीर मामला है। इसका एक कारण यह भी बताया गया है कि मिस–कम्युनिकेशन की वजह से मार्च के अंत में सभी सरकारी अस्पतालों की ओ.पी.डी. बंद कर दी गई थी। क्या सरकार का इस बारे में कोई ध्यान नहीं गया कि शिशु एवं माता को प्रजनन के समय स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई है या इसके कोई और कारण हैं। सरकार द्वारा इस बारे में कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए जिससे शिशु मृत्यु दर को रोका जा सकता। यह एक बहुत चिंता का विषय है। जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व आक्रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

वक्तव्य–

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–12 का जवाब सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ''द ट्रिब्यून'' एवं ''द हिन्दु'' समाचार पत्रों ने दिनांक 4 अगस्त, 2020 को ''Health services restricted, Haryana infant death rise 46 % in lockdown.'' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। यह समाचार गलत सूचना पर आधारित था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपत्ति उठाए जाने एवं सही आंकड़े उपलब्ध कराने पर इन दोनों समाचार पत्रों ने दिनांक 18 अगस्त, 2020 को इस पर खेद प्रकट करते हुए संशोधित सूचना प्रकाशित कर दी है।

हरियाणा राज्य में वर्ष 2019 एवं 2020 (माह अप्रैल से जून (सी.आर.एस. (सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली) में दर्ज हुई शिशु मृत्यु

क्र. सं.	अवधि	शिशु मृत्यु		
		कुल	लड़का	लड़की
1.	वर्ष 2019 (अप्रैल से जून)	1264	660	604
2.	वर्ष 2020 (अप्रैल से जून)	1208	649	559

1. "द ट्रिब्यून "एवं" द हिन्दू "द्वारा प्रकाशित किया गया खंडन निम्न प्रकार है:

"द ट्रिब्यून" द्वारा दिनांक 2020/8/18को दिया गया स्पष्टीकरण |

"आर टी आई एक्ट के अंतर्गत प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 5अगस्त को" Health services restricted, Haryana infant deaths rise 46%", प्रकाशित रिपोर्ट में अनजाने में उल्लेखित किया गया था कि राज्य में अप्रैल से जून 2019की अवधि में 828शिशुओं की मृत्यु दर्ज हुई थी .जबकि निदेशक ,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ,हरियाणा के अनुसार सही आंकड़ा 1264 है |त्रुटि के लिए खेद है "|

2. द हिन्दू 2020/8/18 -

"Infant deaths decline 4.6% in Haryana

Total drops from 1,264 in April-June 2019 to 1,208 over same period this year

हरियाणा ,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वर्ष 2019में अप्रैल से जून माह के बीच दर्ज 1264मृत्युओं के विपरीत ,इस वर्ष इसी अवधि में 1208शिशुओं की मृत्यु सूचित की गई |

डॉ .पी .के .सिंह ,अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार ,जन्म एवं मृत्यु ,हरियाणा ने एक वक्तव्य में बताया कि 2019तक जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के संकलन के लिए एक ऑफ लाइन मैन्युअल रिपोर्टिंग प्रणाली प्रयोग की जा रही थी |इस प्रणाली में कुछ सीमित सूचनाएँ ही एकत्रित की जाती थी ,इस कारण वर्ष 2019तक आयु अनुसार मृत्यु के आंकड़े प्राप्त नहीं किए जाते थे |

"द हिन्दू "ने दिनांक 7अगस्त को सूचना दी थी कि हरियाणा में अप्रैल से जून 2020की अवधि में 1208शिशु मृत्युओं हुई ,जो वर्ष 2019में इसी अवधि में हुई ऐसी 828मृत्युओं से अधिक थी | सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली)सी आर एस (के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 2019 के अप्रैल से जून माह के बीच 660) 1264लडके और 604लडकियाँ (और 2020के अप्रैल से जून माह के बीच 649) 1208लडके और 559लडकियाँ (शिशु मृत्यु हैं ,जो %4ण्6की गिरावट दर्शाता है |हरियाणा में ऑनलाइन जन्म और मृत्यु दर्ज करने की प्रणाली वर्ष 2016में प्रारंभ की गई थी ,लेकिन वर्ष 2019तक इसे सभी रजिस्ट्रेशन केन्द्रों में प्रयोग नहीं किया जा रहा था | रजिस्ट्रार ,जन्म और मृत्यु कार्यालय वर्ष 2019तक रिपोर्टिंग के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग नहीं कर रहे थे |उन्होंने बताया कि 1जनवरी 2020से राज्य के सभी रजिस्ट्रेशन केन्द्रों द्वारा in.gov.crsorgiपोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है |

3. ओ पी डी सेवाओं के सम्बन्ध में महानिदेशक ,स्वास्थ्य कार्यालय से स्वास्थ्य संस्थानों में ओ पी डी सेवाओं को रोकने/बंद करने के कोई आदेश कभी जारी नहीं किए गए |जबकि ,कोविड महामारी की शुरुआत से ही सभी चिकित्सा संस्थाओं द्वारा मेडिको लीगल सेवाओं के साथ-साथ , आपातकालीन सेवाएँ और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाऐ लगातार दी जाती रहीं हैं |इसे राज्य में शिशु मृत्यु दर बढने का कारण बताना पूर्णत :गलत है |

इसके अतिरिक्त लॉक डाउन के दौरान ,जब रोगी इलाज के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं तक पहुँचने में असमर्थ थे ,स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में रोगियों ,विशेषकर बूढों एवं बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुँचने के लिए मोबाइल हेल्थ टीम तैनात की थीं और आवश्यक दवाईयों की आपूर्ति भी की गई |

वर्तमान में सभी सेवाएँ ,ओ.पी.डी ,.आई.पी.डी ,.सर्जरी आदि सभी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रहीं हैं |

18-8-20

The Tribune

Clarification

The report "Health services restricted, Haryana infant deaths rise 46% in lockdown", published in these columns on August 5 on the basis of information under the RTI Act, inadvertently mentioned that 828 infant deaths were registered in the state for the period from April to June 2019. The correct figure is 1,264, according to the Director, MCH, National Health Mission, Haryana. The error is regretted. TT

The Hindu – 18.08.2020

Infant deaths decline 4.6% in Haryana

[redacted] SPECIAL CORRESPONDENT

CHANDIGARH, AUGUST 17, 2020 23:44 IST

SHARE ARTICLE

[redacted]

Representative image.

Total drops from 1,264 in April-June 2019 to 1,208 over same period this year

The Haryana National Health Mission clarified on Monday that 1,208 infants deaths were reported in the State between April and June this year as against 1,264 such deaths during the corresponding period in 2019.

Until 2019, an offline, manual reporting system was in use for compilation of births and deaths. Only limited information was collected in this system and hence age-wise deaths were not captured till 2019, said Dr. P. K. Singh, Additional Chief Registrar, Births and Deaths (Haryana), in a statement.

The Hindu had on August 7 reported about Haryana registering a rise in deaths of infants between April and June 2020 with 1,208 infants deaths reported in these three months as against 828 such deaths during the corresponding period in 2019.

"After analysing the Civil Registration System (CRS) data, total infant deaths between April to June 2019 were 1,264 (660 male and 604 female) and in April to June 2020 are 1,208 (649 male and 559 female), which has shown a decline of 4.6%. An online system of registration of births and deaths was introduced in Haryana in year 2016, but was not used in all the registration centres till year 2019. The office of Registrar, Births and Deaths did not use the online portal for reporting till 2019. From January 2020 onwards, online registration in CRSORGI (Civil Registration System, Office of the Registrar General, India) was made mandatory for all the registration centres in the State (sic)," he said.

From

Director General Health Services, Haryana

To

MD, NHM, Haryana

Memo No. 3PM/2020/192 11

Dated: 18.08.2020

Subject: Regarding reply to concerns over reported increase in infant mortality cases during COVID-19 pandemic in Haryana.

Reference to the subject cited above,

It is submitted that no such directions to hold back/ discontinue OPD services in Public health facilities have ever been issued from this office. Moreover, the Emergency Services and Maternity & Child Health Services, along with other medico-legal services are being provided continuously, since the beginning of COVID pandemic, at all the public health facilities. Hence, it would be wrong to suggest this as a reason for increased IMR in the State.

Additionally, when during the period of lockdown, the patients were unable to reach the health facilities for treatment, Health Department had deployed Mobile Health Teams across the State to outreach the patients, especially elderly & children and pregnant women and accordingly required medicines were supplied.

It is also submitted that presently all the services including OPD, Specialty OPD, IPD, Surgeries, etc. are being provided at all the Public Health facilities.

18.8.2020

Director General Health Services, Haryana

अध्यक्ष महोदय, 'द ट्रिब्यून' तथा 'द हिंदू' समाचार पत्र में 4 अगस्त, 2020 को Health services restricted, Haryana infant deaths rise 46% in lockdown शीर्षक के तहत खबर छपी थी जोकि सरासर गलत थी। जब हमने इन अखबारों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह सारा मामला उठाया तो 'द ट्रिब्यून' समाचार पत्र ने दिनांक 18.8.2020 को क्लेरिफिकेशन के माध्यम रिग्रैट छापा वहीं 'द हिंदू' समाचार पत्र ने Infant deaths decline 4.6% in Haryana शीर्षाक न्यूज प्रकाशित करके रिग्रैट प्रकट किया। मेरे पास यह दोनों रिग्रैट संबंधी क्लेरिफिकेशन मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि वर्ष 2013–14 में जो neonatal mortality rate 26 हुआ करता था, वह घटकर 22 तक पहुंच चुका है अर्थात 15. 38 परसेंट की कमी आई है। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी उस समय infant mortality rate 41 हुआ करता था जोकि घटकर 30 हो चुका है अर्थात इसमें 26.8 परसेंट की कमी आई है। अध्यक्ष महोदय, जिस गलत खबर को आधार बनाकर श्री अभय सिंह चौटाला जी इस ध्यानाकर्षण सूचना को लेकर आये है और अगर सही मायने में देखा जाये तो उनका कंसर्न सही है क्योंकि अगर प्रदेश में infant mortality rate 46 परसेंटेज के हिसाब से बढ गया मान लिया जाये तो वास्तव में यह विपक्ष के लिए भी तथा सरकार के लिए भी बड़ी चिंता की बात थी। अध्यक्ष महोदय, जब स्वास्थ्य विभाग ने अखबार में छपी खबरों की एवज में अपने आंकड़े दिखाये तो संबंधित समाचार पत्रों द्वारा रिग्रैट छापा गया। यह इस सारे मामले की वास्तविकता है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण सूचना के संदर्भ में जवाब दिया है कि समाचार पत्रों की गलती की वजह से गलत खबरें समाचार पत्रों में छपी, के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए कहना चाहूंगा कि जो बच्चा इस संसार में आ रहा है और संसार में आने से पहले ही यदि वह परमात्मा को प्यारा हो जाये तो इसके लिए जिस प्रदेश में वह बच्चा पैदा हो रहा है, उस प्रदेश की सरकार की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अनुसार गर्भवति महिलाओं की मृत्यु के मामले में हरियाणा प्रदेश 5वें स्थान पर है। आर0टी0आई एक्ट के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विंग से ली गई सूचना के अनुसार वर्ष 2019 की अवधि में रोहतक में 377 शिशुओं की मृत्यु

हुई, जहां पर सरकार का बहुत बड़ा मैडिकल पी.जी.आई.एम.एस. बना हुआ है। नूंह में 97 शिशुओं की मृत्यु हुई। फरीदाबाद में बड़े–बड़े सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी 79 शिशुओं की मृत्यु हुई। हिसार में अग्रोहा मैडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी 76 शिशुओं की मृत्यु हुई। करनाल में बहुत बड़ा कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी 64 शिशुओं की मृत्यु हुई। अन्य जिलों के आंकड़ें इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसी रेशों के हिसाब से शिशुओं की मृत्यु हुई होंगी। कोविड–19 वैश्विक महामारी के चलते हरियाणा प्रदेश के सभी अस्पतालों में ओ.पी.डी. बंद थी। अध्यक्ष महोदय, पहले लॉकडाउन में तो प्राईवेट अस्पतालों में भी ओ.पी.डी. नहीं खुली थी। लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी जानकारी के लिए किसी डॉक्टर को फोन किया तो उसने मुझे बताया कि केवल कोविड के अस्पताल ही खुले हो सकते हैं बाकी कोई भी अस्पताल आज की डेट में नहीं खुला हुआ है। सरकार की तरफ से जो 2–3 घंटे का समय दिया गया है उसी दौरान हम अपने अस्पतालों में काम करते हैं। यह जानकारी मुझे अपने दांत दिखाने वाले दंत चिकित्सक ने दी थी। लॉकडाउन के दौरान ओ.पी.डी. बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हमारे डबवाली में 100 बैड्स का अस्पताल बना हुआ है, इसके बारे में भी सदन में पहले कई दफा चर्चा हो चुकी है। 100 बैड्स के अस्पताल में कोई भी लेडी गायनी डॉक्टर नहीं है और न ही कोई बच्चों का डॉक्टर है। यदि कोई बच्चा पैदा हो जाता है और अगर उसको हैपेटाइटिस जैसे अन्य कोई दिक्कत हो जाये तो उसको संभालने वाला कोई भी डॉक्टर उस अस्पताल में मौजूद नहीं है। उस अस्पताल के लिए तीन डॉक्टर्ज का एक प्राईवेट पैनल बना रखा है, लेकिन वे डॉक्टर्ज अपनी मर्जी से अस्पताल में आते हैं। डिलीवरी के समय यदि कोई भी उन डॉक्टर्ज को फोन वगैरह करते हैं तो कोई भी डॉक्टर समय पर अस्पताल में नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस किस्म के अस्पतालों में जहां पर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको सभी मैडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 100 बैड्स के अस्पतालों में सबसे पहले डॉक्टर्ज की नियुक्ति जरूर करें ताकि पूरे प्रदेश में हमारी माताओं और बहनों को डिलीवरी के समय परेशानियों का सामना न करना पड़े।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह कॉलिंग अटैंशन मोशन अखबार में छपी हुई एक खबर के बारे में है और मैंने उसका जवाब भी दे दिया है लेकिन माननीय सदस्य की कॉलिंग अटैंशन मोशन में लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों की ओ.पी.डी.

का भी जिक्र था इसलिए मैं इसका दोबारा जवाब दे रहा हूं । स्पीकर सर, पहले कोविड–19 के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी और लोगों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि यह किस प्रकार की बीमारी है । हमने कोशिश की कि कोविड–19 के दौरान हमारा नुकसान कम से कम हो और हमको इस कार्य में सफलता भी मिली है क्योंकि आज के दिन हमारे प्रदेश में रिकवरी रेट 90.84 परसैंट है और हमारा डब्लिंग रेट 54 दिन का है तथा मृत्यु दर 1.05 परसैंट है । अतः हमें इसमें सफलता मिली है । कोरोना के कारण हमें बहुत–सी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ी हैं । हमें बहुत–से अस्पतालों को कोविड–19 अस्पतालों में कंवर्ट करना पड़ा और जो अस्पताल कोविड–19 अस्पताल बनाए गए वहां पर अन्य बीमारियों के मरीजों को नहीं भेजा गया । हम नहीं चाहते थे कि अन्य बीमारियों के मरीज वहां पर इलाज करवाने के लिए जाएं क्योंकि वहां पर उनके कोरोना संक्रमित होने का डर था । इसके बावजूद हमारे अस्पतालों में ओ.पी.डी., सर्जरी आदि की व्यवस्थाएं लगातार चलती रही । इसके अलावा हमने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में 532 मोबाइल हैल्थ टीम्स का गठन किया था। इन टीम्स ने लोगों को घरों में जाकर ट्रीटमैंट दिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम कोरोना से तो जंग जीत जाएं लेकिन अन्य बीमारियों से लोगों को नुकसान हो जाए । अध्यक्ष महोदय, हमने 24 लाख 62 हजार 96 मरीजों को मोबाइल हैल्थ टीम्स के माध्यम से ओ.पी.डी. की सुविधा दी । इसके अलावा हमारा इम्यूनाइजेशन का कार्य भी समानान्तर रूप से चलता रहा और उसमें भी हमने काफी अचीवमैंट हासिल की है । इसके अलावा इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के मामले में भी हमने 95 परसैंट का आंकड़ा हासिल किया है । इसके साथ–साथ हमने किसी भी महिला को प्रसव के दौरान कोई दिक्कत नहीं आने दी जबकि हम उस समय कोरोना से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे । अध्यक्ष महोदय, हम उस समय कोरोना को हरियाणा प्रदेश से भगाना भी चाहते थे और लोगों को अन्य बीमारियों से भी बचाना चाहते थे । इसके लिए हमने हर तरह के प्रयत्न किये थे । मृत्यु दर के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि We should be proud on it. वर्ष 2013–14 में जो एम.एम.आर. 127 था वह वर्ष 2020–21 में 91 रह गया । हम इसमें 28.34 परसैंट डिक्रीज लाने में सफल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, एम.एम.आर./आई.एम.आर. के आंकड़ें ऐसे ही नहीं सुधरते बल्कि इसके लिए हमें बहुत–सी व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ता है । उसके बाद ये आंकड़ें सुधरते हैं । हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत–सा

काम किया है और मैं मानता हूं कि हमें इस क्षेत्र में अभी और बहुत–सा काम करना है । बहुत–से माननीय सदस्य मुझे फोन पर और मेरे दफ्तर में आकर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याओं के बारे में बताते हैं तथा मैं उनको ठीक भी करवाता हूं । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से कहना है कि अगर किसी माननीय सदस्य को स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कहीं पर कोई समस्या नजर आये तो वे मुझे अवश्य बताएं कि इसको ठीक करना आवश्यक है ।

मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अभी आदेश दिये हैं कि हर जिले में कैथ लैब खुलनी चाहिए, हर जिले में सीटी स्कैन का प्रबन्ध होना चाहिए और हर जिले में डिजिटल एक्स–रे मशीन होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम इन चीजों से पूरी तरह से इक्विप होना चाहते हैं। इस कोविड–19 की बीमारी के दौरान हमने हर जिले के सिविल हॉस्पिटल में वैंटीलेटर लगाये हैं और उनको फंक्शनल किया है क्योंकि यह प्रश्न उठाया जाता था कि सिविल हॉस्पिटल्ज में वैंटीलेटर नहीं हैं। हमने सिविल हॉस्पिटल्ज में वैंटीलेटर लगाने का काम किया है। जिले में कम से कम एक हॉस्पिटल में एक वैंटीलेटर हो जाए तो मरीज वहां पर पहुंच सकता है और उसकी जान बचायी जा सकती है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हर जिले के सिविल हॉस्पिटल में वैंटीलेटर लगाने की बात कह रहे हैं और कोविड–19 की बीमारी के दौरान उनके एफर्टस के ऊपर भी पूरी जानकारी दी है। इस समय बात तो शिशु मृत्यु दर की थी, परन्तु माननीय मंत्री जी ने उससे आगे जाकर हैल्थ डिपार्टमैंट में क्या–क्या किया है, उसके ऊपर चर्चा की है। माननीय मंत्री जी हाउस को एक बात और बता दें कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान 355 करोड़ रुपये का जो सामान खरीदा है, उसमें कौन–कौन सी चीज किस कोस्ट पर खरीदी हैं ?

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, यह बात इस विषय से संबंधित नहीं है। आपका कालिंग अटैंशन मोशन तो शिशु मृत्यु दर पर है और आप चीजों पर एक्सपैंडीचर की बात पूछ रहे हैं।

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, मैं हर जिले से संबंधित बात का जबाव दे दूंगा, लेकिन अभी विषय शिशु मृत्यु दर का है और उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वे हर जिले के सिविल हॉस्पिटल में वैंटीलेटर लगवा रहे हैं। पहले सरकार यह भी कहती थी कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, परन्तु हैल्थ विभाग में डॉक्टर्ज की संख्या ही पूरी नहीं है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात बताकर माननीय सदस्यों का ज्ञान ही बढ़ाया है। इसमें दिक्कत क्या है ? मैंने शिशु मृत्यु दर के बारे में भी बता दिया है, लेकिन माननीय सदस्य फिर भी पता नहीं क्यों खड़े हो गये हैं ?

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 100 बैड के डबवाली के हॉस्पिटल में बच्चों को बीमारी से कैसे बचाया जाएगा क्योंकि उसमें डॉक्टर्ज ही नहीं हैं। 100 बैड वाले हॉस्पिटल में ही डॉक्टर्ज नहीं हैं तो आप दूसरे हॉस्पिटल्ज में डॉक्टर्ज का इन्तजाम कैसे करेंगे, मंत्री जी यह जानकारी भी अवश्य दें ?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह अलग क्वैश्चन पूछा है, इसलिए मेरे पास इस समय सभी हॉस्पिटल की स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं है ? मैं विभाग से इस क्वैश्चन के बारे में बाद में जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताएं कि कौन–कौन से हॉस्पिटल के अन्दर इनके पास ऐसे डॉक्टर्ज हैं, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर जब तक उनके माता–पिता उनको घर न ले जाएं तब तक उनकी देखभाल कर सकें ? ऐसे बच्चों के कितने डॉक्टर्ज हैं, इसके बारे में बता दें ? 100 बैड वाले हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर्ज नहीं हैं तो फिर माननीय मंत्री जी किस बात पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने हैल्थ डिपार्टमैंट में बहुत बड़ा काम किया है ?

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री अमित सिहाग जी प्रश्न पूछेंगे।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक बात कही है कि अगर कोई माननीय सदस्य सुझाव देना चाहता है तो वह सुझाव दे सकता है। इसलिए मैं एक सुझाव भी दूंगा। इसी संबंधित मुद्दे पर माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने भी डबवाली सिविल हॉस्पिटल की बात मैंशन की है। हमारे एरिया का एक गर्भवती महिलाओं से संबंधित मुद्दा है। उसमें खासकर जो जरूरत की चीज है, वह अल्ट्रासाउंड की मशीन है। हमारे वहां पर वह मशीन कई महीनों पहले मुहैया करवायी गयी थी, परन्तु वह बन्द पैंकिंग में पड़ी रही। सिस्टम के हिसाब से

पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ती है। जिसके लिए एक रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए या फिर ट्रेंड कर्मचारी लगाया जाता है। उस समय जब मशीन आयी तो एक रेडियोलॉजिस्ट था, लेकिन वह डैप्यूटेशन पर सिरसा में भेज दिया गया था या उसने रिजाइन कर दिया था। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि हमारा डबवाली का एरिया इकोनॉमिकली और हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की फील्ड में बैकवर्ड है। अभी रिसैंटली माननीय मंत्री महोदय ने कोविड–19 के दौरान उस मशीन को वहां से उठवाकर अंबाला सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है। मैं इसमें पक्षपात करने का आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं मानता हूं कि अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में पहले से ही डबवाली के सिविल हॉस्पिटल की तुलना में ज्यादा सुविधाएं हैं। हमारी सिविल सोसायटीज और पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्ज ने भी उस मशीन को चालू करवाने के लिए गुहार लगायी थी और बाकायदा सरकार को मैमोरेंडम भी भेजे थे, मगर उस मशीन को वहां से उठवाकर अंबाला शिफ्ट करवा दिया है। अगर सही मायने में जो नवजात शिशु, खास करके गर्भवती महिलाएं हैं और जो गर्भवती महिलाएं जरूरतमंद है, अगर वास्तव में ही सरकार उनको सुविधा देना चाहती है तो हमारे क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड मशीन देने से पहले वहां पर एक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करने का काम करें। यही मेरा सुझाव है और यही मेरी मांग भी है। धन्यवाद।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह बात अभी तक मेरी जानकारी में नहीं थी। अब यह बात मेरी जानकारी में आ गई है इसलिए हम वहां पर जल्दी ही रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कर देंगे।

———————————

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूं :–

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना

संख्या 70/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अगस्त, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अगस्त, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 अगस्त, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2020।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 सितम्बर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 79/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना

संख्या 85/जी.एस.टी–2 दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/जी.एस.टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/जी.एस.टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/जी.एस.टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/जी.एस.टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 90/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020।

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–2018 के लिए आवासन बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला के लेखों का वार्षिक विवरण ।

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लेखों का वार्षिक विवरण।

भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा राज्य भाण्डागारण निगम, पंचकूला की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट।

सरकारी संकल्प–

(i) ''हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2019'' को वापिस लेने संबंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

''कि हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग द्वारा अपराधिक गतिविधियों को रोकने तथा नियन्त्रण करने और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। इसलिए "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था और हरियाणा विधानसभा द्वारा 04 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था।

और चूंकि, उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

और चूंकि, राज्यपाल ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन, उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया था।

और चूंकि, "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए भारत सरकार, गृह मन्त्रालय को भेजा गया था। गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की टिप्पणी के लिए भेजा गया था तथा यह पाया गया था कि "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" की धारा 14 में यथा प्रस्तावित अवरोधन के लिए उपबन्ध पहले ही भारतीय तार अधिनियम, 1885(1885 का केन्द्रीय

अधिनियम 13) और सूचना एंव प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) क्रमशः इनके अधीन बनाए गए नियमों में पहले ही किए गए हैं। अतः "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" में इस प्रावधान का होना भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है इसलिए इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार उक्त प्रावधान का समर्थन नहीं करता है।

तद्नुसार, राज्य सरकार ने गृह मन्त्रालय, भारत सरकार को "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" पर उठाई गई आपत्ति के निवारण हेतु वापिस लौटाने के लिए अनुरोध किया था चूंकि इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई टिप्पणी के दृष्टिगत नया हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020 प्रस्तुत किया जाए।

और चूंकि, दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 को मन्त्री परिषद् की बैठक में "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" को वापिस लेने और नया "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020" प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा राज्य की विधानसभा, "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" को वापिस लेने का प्रस्ताव करती है।''

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

''कि हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग द्वारा अपराधिक गतिविधियों को रोकने तथा नियन्त्रण करने और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। इसलिए "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था और हरियाणा विधानसभा द्वारा 04 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था।

और चूंकि, उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

और चूंकि, राज्यपाल ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन, उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया था।

और चूंकि, "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए भारत सरकार, गृह मन्त्रालय को भेजा गया था। गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की टिप्पणी के लिए भेजा गया था तथा यह पाया गया था कि "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" की धारा 14 में यथा प्रस्तावित अवरोधन के लिए उपबन्ध पहले ही भारतीय तार अधिनियम, 1885(1885 का केन्द्रीय अधिनियम 13) और सूचना एंव प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) क्रमशः इनके अधीन बनाए गए नियमों में पहले ही किए गए हैं। अतः "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" में इस प्रावधान का होना भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है इसलिए इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार उक्त प्रावधान का समर्थन नहीं करता है।

तद्नुसार, राज्य सरकार ने गृह मन्त्रालय, भारत सरकार को "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" पर उठाई गई आपत्ति के निवारण हेतु वापिस लौटाने के लिए अनुरोध किया था चूंकि इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई टिप्पणी के दृष्टिगत नया हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020 प्रस्तुत किया जाए।

और चूंकि, दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 को मन्त्री परिषद् की बैठक में "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" को वापिस लेने और नया "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020" प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा राज्य की विधानसभा, "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" को वापिस लेने का प्रस्ताव करती है।''

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

''कि हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग द्वारा अपराधिक गतिविधियों को रोकने तथा नियन्त्रण करने और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। इसलिए "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था और हरियाणा विधानसभा द्वारा 04 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था।

और चूंकि, उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

और चूंकि, राज्यपाल ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन, उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया था।

और चूंकि, "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए भारत सरकार, गृह मन्त्रालय को भेजा गया था। गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की टिप्पणी के लिए भेजा गया था तथा यह पाया गया था कि "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" की धारा 14 में यथा प्रस्तावित अवरोधन के लिए उपबन्ध पहले ही भारतीय तार अधिनियम, 1885(1885 का केन्द्रीय अधिनियम 13) और सूचना एंव प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) क्रमशः इनके अधीन बनाए गए नियमों में पहले ही किए गए हैं। अतः "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" में इस प्रावधान का होना भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है

इसलिए इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार उक्त प्रावधान का समर्थन नहीं करता है।

तद्नुसार, राज्य सरकार ने गृह मन्त्रालय, भारत सरकार को "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" पर उठाई गई आपत्ति के निवारण हेतु वापिस लौटाने के लिए अनुरोध किया था चूंकि इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई टिप्पणी के दृष्टिगत नया हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020 प्रस्तुत किया जाए।

और चूंकि, दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 को मन्त्री परिषद् की बैठक में "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" को वापिस लेने और नया "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020" प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा राज्य की विधानसभा, "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" को वापिस लेने का प्रस्ताव करती है।''

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(ii) हरियाणा तथा पंजाब विधान सभा सचिवालय भवन में आबंटित कमरों में से हरियाणा को शेष कमरे उपलब्ध करवाने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

''कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम 1931) की धारा–3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के रूप में सम्मिलित होकर 01 नवम्बर, 1966 से अस्तित्व में आया।

उस समय पंजाब तथा हरियाणा की सीमाओं का बंटवारा हुआ वहीं पर अन्य संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। आज हमारे प्रदेश को बने हुए लगभग 54

वर्ष हो गए हैं परन्तु हमें अभी तक अपना पूरा हक नहीं मिला है। अतीत में जो भी सरकारें रही सभी ने अपने–अपने प्रयास किए कि हमें अपना पूरा हक मिले। हम सभी इस बात के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि जब तक हमें अपना पूरा हक नहीं मिलता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा दिनांक 17.10.1966 को तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय, पंजाब के कार्यालय में तत्कालीन चीफ इंजीनियर, कैपिटल प्रोजैक्ट, चण्डीगढ़ द्वारा बैठक बुलाकर निर्धारित अनुपात के अनुसार आबंटित किया। विधान भवन इमारत का कुल क्षेत्रफल 66430 Sq. Feet निर्धारित किया गया। जिसमें से 30890 Sq. Feet पंजाब विधान सभा सचिवालय को दिया गया तथा 10910 Sq. Feet पंजाब विधान परिषद् सचिवालय को दिया गया और 24630 Sq. Feet हरियाणा विधान सभा सचिवालय को दिया गया। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

1. परिषद् सदन लॉबी सहित जो हमें बंटवारे में आया जो आज हमारा सदन है, पूर्ण रूप से हमारे पास है।
2. बैसमैन्ट (उत्तर पूर्व) कक्ष संख्या 23,24,25,26 ये चार कमरे हमारे बंटवारे में आए जिसमें से कमरा न. 23 तथा 26 आज भी पंजाब विधान सभा के कब्जे में है।
3. ग्राउंड फ्लोर (दक्षिण–पश्चिम) कक्ष संख्या 27,28,29 तथा 30 ये चार कमरे जो बंटवारे के समय हमारे हिस्से में आए थे आज ये चारो कमरे पंजाब विधान सभा के कब्जे में हैं।
4. पहली मंजिल (दक्षिण–पश्चिम) कक्ष सख्या 66,67,68,69,70 तथा 71 कुल छः कमरे जो हमारे हिस्से में आए थे वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं।
5. पहली मंजिल (उत्तर पश्चिम) कक्ष संख्या 99,100,101,102,103,104, 106,107,108,109, 110,111,112 तथा 113 कुल 14 कमरे जो बंटवारे में हमारे हिस्से में आए जो आज पंजाब के कब्जे में हैं।
6. दूसरी मंजिल (उत्तर पश्चिम) कक्ष संख्या 123,124,125,126,127 तथा 128 कुल छः कमरे जो बंटवारे में आए वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं।
7. दूसरी मंजिल (उत्तर पूर्व) कक्ष संख्या 154,155,156,158,159 तथा 160 कुल छः कमरे जो हमारे बंटवारे में आए ये सभी कक्ष पंजाब विधान सभा के पास

हैं परन्तु पूर्व में आपसी सहमति से पंजाब के बंटवारे में आए सात कमरे संख्या नं. 129 से लेकर 135 दूसरी मंजिल हरियाणा विधान सभा के पास हैं।

इस तरह कुल 20 कमरे जो हमारा हिस्सा हैं उन पर आज भी पंजाब ने अवैध तौर से कब्जा किया हुआ है। आज हमारे कर्मचारियों के लिए, विभिन्न दल के नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए तथा समितियों की बैठक के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमारे 20 कमरों पर पंजाब विधान सभा ने अवैध रूप से अपना कब्जा किया हुआ है।

यह महान सदन विधान सभा भवन की इमारत का अपना हिस्सा लेने के लिए किसी भी फोरम पर अपनी बात पुरजोर से एकजुटता के साथ उठाएगा तथा यह सदन पंजाब सरकार तथा पंजाब विधान सभा अध्यक्ष से भी अनुरोध करता है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत जो हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा 17.10.1966 को हुआ उसका सम्मान करते हुए हरियाणा और पंजाब भवन की ईमारत में जो 24630 Sq. Feet स्थान जो हरियाणा विधान सभा सचिवालय को आंवटित हुआ उसमें से जो 20 कमरों पर पंजाब विधान सभा का अवैध कब्जा है उनको खाली करके हरियाणा विधान सभा को सौंपा जाए।''

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

''कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम 1931) की धारा–3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के रूप में सम्मिलित होकर 01 नवम्बर, 1966 से अस्तित्व में आया।

उस समय पंजाब तथा हरियाणा की सीमाओं का बंटवारा हुआ वही पर अन्य संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। आज हमारे प्रदेश को बने हुए लगभग 54 वर्ष हो गए हैं परन्तु हमें अभी तक अपना पूरा हक नहीं मिला है। अतीत में जो भी सरकारें रही सभी ने अपने–अपने प्रयास किए कि हमें अपना पूरा हक मिले। हम सभी इस बात के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि जब तक हमें अपना पूरा हक नहीं मिलता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा दिनांक 17.10.1966 को तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय, पंजाब के कार्यालय में तत्कालीन चीफ इंजीनियर, कैपिटल प्रोजेक्ट, चण्डीगढ़ द्वारा बैठक बुलाकर निर्धारित अनुपात के अनुसार आबंटित

किया। विधान भवन इमारत का कुल क्षेत्रफल 66430 Sq. Feet निर्धारित किया गया। जिसमें से 30890 Sq. Feet पंजाब विधान सभा सचिवालय को दिया गया तथा 10910 Sq. Feet पंजाब विधान परिषद् सचिवालय को दिया गया और 24630 Sq. Feet हरियाणा विधान सभा सचिवालय को दिया गया। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

1. परिषद् सदन लॉबी सहित जो हमें बंटवारे में आया जो आज हमारा सदन है, पूर्ण रूप से हमारे पास है।
2. बैसमैन्ट (उत्तर पूर्व) कक्ष संख्या 23,24,25,26 ये चार कमरे हमारे बंटवारे में आए जिसमें से कमरा न. 23 तथा 26 आज भी पंजाब विधान सभा के कब्जे में है।
3. ग्राउंड फ्लोर (दक्षिण–पश्चिम) कक्ष संख्या 27,28,29 तथा 30 ये चार कमरे जो बंटवारे के समय हमारे हिस्से में आए थे आज ये चारो कमरे पंजाब विधान सभा के कब्जे में हैं।
4. पहली मंजिल (दक्षिण–पश्चिम) कक्ष सख्या 66,67,68,69,70 तथा 71 कुल छः कमरे जो हमारे हिस्से में आए थे वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं।
5. पहली मंजिल (उत्तर पश्चिम) कक्ष संख्या 99,100,101,102,103,104, 106,107,108,109, 110,111,112 तथा 113 कुल 14 कमरे जो बंटवारे में हमारे हिस्से में आए जो आज पंजाब के कब्जे में हैं।
6. दूसरी मंजिल (उत्तर पश्चिम) कक्ष संख्या 123,124,125,126,127 तथा 128 कुल छः कमरे जो बंटवारे में आए वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं।
7. दूसरी मंजिल (उत्तर पूर्व) कक्ष संख्या 154,155,156,158,159 तथा 160 कुल छः कमरे जो हमारे बंटवारे में आए ये सभी कक्ष पंजाब विधान सभा के पास हैं परन्तु पूर्व में आपसी सहमति से पंजाब के बंटवारे में आए सात कमरे संख्या नं. 129 से लेकर 135 दूसरी मंजिल हरियाणा विधान सभा के पास हैं।

इस तरह कुल 20 कमरे जो हमारा हिस्सा हैं उन पर आज भी पंजाब ने अवैध तौर से कब्जा किया हुआ है। आज हमारे कर्मचारियों के लिए, विभिन्न दलों के नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए तथा समितियों की बैठक के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमारे 20 कमरों पर पंजाब विधान सभा ने अवैध रूप से अपना कब्जा किया हुआ है।

यह महान सदन विधान सभा भवन की इमारत का अपना हिस्सा लेने के लिए किसी भी फोरम पर अपनी बात पुरजोर से एकजुटता के साथ उठाएगा तथा यह सदन पंजाब सरकार तथा पंजाब विधान सभा अध्यक्ष से भी अनुरोध करता है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत जो हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा 17.10.1966 को हुआ उसका सम्मान करते हुए हरियाणा और पंजाब भवन की ईमारत में जो 24630 Sq. Feet स्थान जो हरियाणा विधान सभा सचिवालय को आंवटित हुआ उसमें से जो 20 कमरों पर पंजाब विधान सभा का अवैध कब्जा है उनको खाली करके हरियाणा विधान सभा को सौंपा जाए।''

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

''कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम 1931) की धारा–3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के रूप में सम्मिलित होकर 01 नवम्बर, 1966 से अस्तित्व में आया।

उस समय पंजाब तथा हरियाणा की सीमाओं का बंटवारा हुआ वही पर अन्य संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। आज हमारे प्रदेश को बने हुए लगभग 54 वर्ष हो गए हैं परन्तु हमें अभी तक अपना पूरा हक नहीं मिला है। अतीत में जो भी सरकारें रही सभी ने अपने–अपने प्रयास किए कि हमें अपना पूरा हक मिले। हम सभी इस बात के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि जब तक हमें अपना पूरा हक नहीं मिलता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा दिनांक 17.10.1966 को तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय, पंजाब के कार्यालय में तत्कालीन चीफ इंजीनियर, कैपिटल प्रोजेक्ट, चण्डीगढ़ द्वारा बैठक बुलाकर निर्धारित अनुपात के अनुसार आबंटित किया। विधान भवन इमारत का कुल क्षेत्रफल 66430 Sq. Feet निर्धारित किया गया। जिसमें से 30890 Sq. Feet पंजाब विधान सभा सचिवालय को दिया गया तथा 10910 Sq. Feet पंजाब विधान परिषद् सचिवालय को दिया गया और 24630 Sq. Feet हरियाणा विधान सभा सचिवालय को दिया गया। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

1. परिषद् सदन लॉबी सहित जो हमें बंटवारे में आया जो आज हमारा सदन है, पूर्ण रूप से हमारे पास है।

2. बैसमैन्ट (उत्तर पूर्व) कक्ष संख्या 23,24,25,26 ये चार कमरे हमारे बंटवारे में आए जिसमें से कमरा न. 23 तथा 26 आज भी पंजाब विधान सभा के कब्जे में हैं।
3. ग्राउंड फ्लोर (दक्षिण–पश्चिम) कक्ष संख्या 27,28,29 तथा 30 ये चार कमरे जो बंटवारे के समय हमारे हिस्से में आए थे आज ये चारो कमरे पंजाब विधान सभा के कब्जे में हैं।
4. पहली मंजिल (दक्षिण–पश्चिम) कक्ष सख्या 66,67,68,69,70 तथा 71 कुल छः कमरे जो हमारे हिस्से में आए थे वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं।
5. पहली मंजिल (उत्तर पश्चिम) कक्ष संख्या 99,100,101,102,103,104, 106,107,108,109, 110,111,112 तथा 113 कुल 14 कमरे जो बंटवारे में हमारे हिस्से में आए जो आज पंजाब के कब्जे में हैं।
6. दूसरी मंजिल (उत्तर पश्चिम) कक्ष संख्या 123,124,125,126,127 तथा 128 कुल छः कमरे जो बंटवारे में आए वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं।
7. दूसरी मंजिल (उत्तर पूर्व) कक्ष संख्या 154,155,156,158,159 तथा 160 कुल छः कमरे जो हमारे बंटवारे में आए ये सभी कक्ष पंजाब विधान सभा के पास हैं परन्तु पूर्व में आपसी सहमति से पंजाब के बंटवारे में आए सात कमरे संख्या नं. 129 से लेकर 135 दूसरी मंजिल हरियाणा विधान सभा के पास हैं।

इस तरह कुल 20 कमरे जो हमारा हिस्सा है उन पर आज भी पंजाब ने अवैध तौर से कब्जा किया हुआ है। आज हमारे कर्मचारियों के लिए, विभिन्न दलों के नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए तथा समितियों की बैठक के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमारे 20 कमरों पर पंजाब विधान सभा ने अवैध रूप से अपना कब्जा किया हुआ है।

यह महान सदन विधान सभा भवन की इमारत का अपना हिस्सा लेने के लिए किसी भी फोरम पर अपनी बात पुरजोर से एकजुटता के साथ उठाएगा तथा यह सदन पंजाब सरकार तथा पंजाब विधान सभा अध्यक्ष से भी अनुरोध करता है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत जो हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा 17.10.1966 को हुआ उसका सम्मान करते हुए हरियाणा और पंजाब भवन की ईमारत में जो 24630 Sq. Feet स्थान जो हरियाणा विधान सभा सचिवालय को आंवटित हुआ उसमें से

जो 20 कमरों पर पंजाब विधान सभा का अवैध कब्जा है उनको खाली करके हरियाणा विधान सभा को सौंपा जाए।''

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

विधान कार्य–

(i) दि पंजाब विलेज कॉमन लैंडस(रैगुलेशन) हरियाणा अमेंडमैंट बिल, 2020

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 26.08.2020 को पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2020 विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, परंतु सदन की सहमति से इस विधेयक को सदन की अगली बैठक तक विचार के लिए स्थगित किया गया था। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

> कि पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में पैनल्टी का जो प्रोविजन किया है वह बहुत ज्यादा है। जो गांव शहर के नजदीक लगते हैं उन गांवों में कलैक्टर रेट एक–एक करोड़ रुपये के करीब है और मेरे हल्के गोहाना में शहर के नजदीक गांवों में कलैक्टर रेट 90 लाख रुपये भी है। 90 लाख रुपये के हिसाब से एक हैक्टेयर पर 90 हजार रुपये पैनल्टी बनती है। अब जिसको 90 हजार रुपये

हर साल देना पड़ेगा तो उसका तो सब कुछ बिक जाएगा। उसके पास क्या रहेगा। आजकल जो सामान्य रेट है वह 20–22 लाख रुपये है। उसके हिसाब से भी एक हैक्टेयर पर 22 हजार रुपये पैनल्टी हर साल बनेगी। जो बहुत ज्यादा है। पहले इसमें पैनल्टी का 5–7 प्रतिशत अर्थात 10 हजार रुपये का प्रावधान था, अगर सरकार बढोतरी करना ही चाहती है तो थोड़ा बहुत पिछली पैनल्टी को बढ़ा ले। यह कलैक्टर रेट की पैनल्टी तो एक ग्रामीण के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या सरकार सिर्फ ग्रामीणों के लिए ही पैनल्टी करेगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह पैनल्टी का प्रौविजन कॉरपोरेशन व नगर परिषद वालों पर भी लगाएंगे क्योंकि यह एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी सजा होगी।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमैंट बिल के अन्दर चार बदलाव हैं। इसमें पहला बदलाव है वह मनीमाजरा ब्लॉक जो यू.टी. चण्डीगढ़ का पार्ट है उसको एक्ट से बाहर करना है। दूसरा बदलाव यह है जिसको हम रिवर एक्शन क्लॉज कहेंगे जो कि ''पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट'' 1952, की धारा 3 का खंड (ड) है उसके स्थान पर हम ''हरियाणा पंचायती राज अधिनियम'' 1994 की धारा 2 के खंड(liv) में प्रतिस्थापित किया जाएगा। माननीय विधायक ने अपनी बात रखी है कि अगर किसी ने कोई इंक्रोचमैंट की हुई है अर्थात कब्जा किया हुआ है तो उस पर पहले एक हैक्टेयर जमीन पर 5–10 हजार रुपये पैनल्टी लगती थी और अगर कोई ग्राम पंचायत की जमीन है और उसको कोई ओपन ऑक्शन के तहत लेता है तो वह ग्राम पंचायत का फैसला है कि वह उसे 5 हजार में दे, 10 हजार में दे या 15 हजार में दे। जैसे पेहवा जैसे विधान सभा क्षेत्र में प्रति एकड़ 78 हजार रुपये तक ऑक्शन रेट गया है। अगर मैं उसको अढ़ाई एकड़ में मल्टीप्लाई करूं तो वह 1.80 के आस–पास पहुंच जाता है। आज जो हम अमेंडमैंट लेकर आ रहे हैं वह इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हरियाणा के अन्दर बहुत से ऐसे क्षेत्रफल हैं जहां पंचायत की कंसोलिडेशन के बाद जो जमीनें हैं उन पर लोग कब्जा करके बैठे हैं और उसके अन्दर रिवीजन नहीं हुई है लेकिन लोगों ने इंक्रोचमैंट की हुई है। इसका पैनल्टी क्लॉज इतना छोटा है कि अढ़ाई एकड़ का 5 हजार रुपये हर कोई दे सकता है। अर्थात आज के दिन पंचायत की जमीन पर कब्जा करने का 2 हजार रुपये प्रति एकड़ कौन नहीं देगा। हम तो इस पैनल्टी क्लॉज को इसलिए लेकर आ रहे हैं जैसे आप खुद बता रहे हैं कि गोहाना में पंचायत की जमीन एक करोड़ रुपये की है। अब एक करोड़ रुपये की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ आदमी 2

हजार रुपये देगा तो फिर बताओ नुक्सान किसको है। वह नुकसान हमारी ग्राम पंचायतों को है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, लीज पर ली गई एक एकड़ एग्रीकल्चर लैंड से एक किसान कितनी आमदनी प्राप्त कर सकता है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी यह बता सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, अगर पैनल्टी का प्रावधान ज्यादा होगा तो मेरे क्षेत्र में जहां प्रति एकड़ एग्रीकल्चर लैंड का कलेक्टर रेट 90 लाख रूपये है, अगर ऐसा किसान जिसने जमीन लीज पर ली है और अगर उस पर पैनल्टी लगती है तो उस किसान को प्रति एकड़ 90 हजार रूपये प्रति वर्ष पैनल्टी के रूप में देने पड़ेगे। यह ठीक बात नहीं होगी?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पेहवा का उदाहरण देकर बताया है कि वहां पर प्रति एक एकड़ 78 हजार रूपये सालाना ग्राम पंचायत को ठेका दिया जाता है। माननीय सदस्य को याद रखना चाहिए कि बेहतरीन व्यवस्थायें ग्रांम पंचायतों का ज्यादा सफल बनाने का काम करती हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, पता नहीं माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय कहां से आंकड़े लेकर आये हैं। अगर यह कहते हैं कि पेहवा में प्रति एकड़ 78 हजार रूपये सालाना ठेके के रूप में दिए जाते हैं तो मेरे पास ऐसे भी उदाहरण है जहां प्रति एकड़ 15–20 हजार रूपये ग्राम पंचायत को ठेका दिया जा रहा है। अतः मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है इस जुर्माने की राशि को कम करने का काम किया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सरकार पैनल्टी को रिकवर करने के लिए सख्ती नहीं बरतेगी बल्कि पैनल्टी का प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि लोग गांव की शामलात भूमि पर कब्जे न करें। अतः मैं सदन के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2020 को सर्वसम्मित से पास कर देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वरूण चौधरी (मुलाना, एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, संबंधित विषय पर मैं भी एक बात पूछना चाहूंगा कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक लाल डोरे का एरिया नहीं बढ़ाया गया है तो ऐसी अवस्था में जिन गरीब आदमियों को लाल डोरा में रहने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने लाल डोरा के बाहर के एरिया में 100 गज या 200 गज का अपना मकान बनाया और आज उनको वहां पर बैठे हुए 20

साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, तो मैं इस संबंध में सरकार से क्लेरिफिकेशन चाहूंगा कि क्या ऐसे लोगों पर भी पैनल्टी लगाने का काम किया जायेगा? अध्यक्ष महोदय, अगर इन लोगों पर पैनल्टी लगाने का प्रावधान किया जायेगा तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पैनल्टी को लगाने का काम न किया जाये ताकि किसी गरीब आदमी पर इसकी मार न पड़े। (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि लाल डोरे के बाहर जितनी भी जमीन है वह सब जमीन रजिस्टर्ड है। इस रजिस्टर्ड जमीन की डिमारकेशन अलग–अलग हैड्ज के तहत होती है। अगर किसी व्यक्ति ने खुद की एग्रीकल्चर लैंड पर, पंचायत की जमीन पर या फिर किसी अन्य जमीन पर मकान बनाया है तो सरकार द्वारा ऐसी अवस्था में व्यवस्था की गई है कि ऐसे व्यक्ति उस जमीन को खरीदकर अपने नाम भी करा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य ऐसी जमीनें जिनको लोगों ने बहुत ही कम रेट्स पर लीज पर लिया हुआ था और लीज की राशि देना तो दूर की बात रही ऐसी जमीनों पर कब्जे तक कर रखे थे, और अगर उन व्यक्तियों पर पैनल्टी लगाई जाती थी तो चूंकि मात्र 2000 रूपये प्रति एकड़ पैनल्टी का प्रावधान था और जैसाकि आजकल सबका 2000 रूपये पैनल्टी देने का ब्यौत है तो इस प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को यह इस प्रकार की सख्ती करनी पड़ रही है। आने वाले समय में इस तरह के प्रावधान, ग्राम पंचायत के लिए आय के साधन के रूप में काम करेंगे। जैसाकि कहा जाता है कि ग्राम पंचायतों को ताकत देनी चाहिए, को दृष्टि में रखते हुए हमने ग्राम पंचायतों के लिए इंडीपेंडेंटली एस.ई, एक्सियन तथा सी.ओ. तक देने का काम किया है और सरकार का बराबर इस दिशा में ध्यान है कि कैसे ग्राम पंचायतों की सोर्स ऑफ इंकम को बढ़ाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अगर ग्राम पंचायत अपनी उन जमीनों का जिन पर अब तक कब्जे हुआ करते थे, एग्रीकल्चर जमीनों के रेट के आधार पर ऑक्शन करेगी तो जैसाकि अभी ग्राम पंचायत पेहवा में प्रति एकड़ 78 हजार रूपये सालाना ठेके के रूप में मिल रहे हैं जहां अब तक 2000 रूपये भी नहीं मिलते थे, तो इससे ग्राम पंचायतों की आय बढ़ेगी और वें और ज्यादा मजबूत होती चली जायेंगी।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न यह किया था कि जिन गरीब लोगों ने लाल डोरा के बाहर के एरिया में 100/200 गज के मकान बना रखे हैं, क्या उन पर भी पैनल्टी लगाने का काम किया जायेगा? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः वरूण जी, इसमें पूछने की क्या बात है। यह तो बिल्कुल साफ है एंक्रोचमैंट होगी तो पैनल्टी तो लगेगी ही? आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है परन्तु बावजूद इसके मैं अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(विधेयक पारित हुआ)

.....

(ii) दि हरियाणा स्टेट इम्पलॉयमैंट ऑफ लोकल कैंडीडेट्स बिल, 2020

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब उप–मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

> कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री भारत भूषण बत्तरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर बोलना चाहता हूँ लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। (विघ्न) मैं माननीय मंत्री जी के मोशन मूव के ऊपर ही कहना चाहता हूँ कि यह बिल मूव नहीं हो सकता। हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम–129 में लिखा है कि–

> ‘‘When a Bill is introduced or on some subsequent occasion the member-in-charge may make one of the following motions in regard to his Bill namely*****”.

अध्यक्ष महोदय, इसी नियम के प्रोविजो में आगे लिखा है कि–

> ‘‘Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for five clear days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made.”

Speaker Sir, first of all, Minister concerned will move the motion and that should be accepted by you and by the House उसके बाद ही बिल आयेगा। (विघ्न)

Mr. Speaker: It is clearly mentioned in the Rule-129 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly that such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made.(Interruption).

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बार–बार कह रहा हूँ कि unless the Speaker allows the motion to be made. Speaker Sir, who will move the motion? Parliamentary Affairs Minister or concerned Minister will move the motion? स्पीकर सर, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन पांच दिनों को कंडोन किया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः बत्तरा साहब, आप कानून के ज्ञाता हो, इसलिए आपको सब बातों का पता है। संबंधित मंत्री ही रैजोल्यूशन लेकर आता है। (विघ्न) बत्तरा साहब, मैंने मूव करने के लिए अलाउ कर दिया है। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन में कानून की धज्जियां न उड़ायें। (विघ्न)

18:00 बजे

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, मैंने माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को मोशन मूव करने के लिए अलाउ किया है तभी उन्होंने मोशन मूव किया है । (विघ्न)

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मुझे आपने (स्पीकर ने) मोशन मूव करने के लिए अलाउ किया है तभी तो मैंने मोशन मूव किया है । (विघ्न)

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, उसमें 5 दिन की कंडोनेशन है ।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, आप स्वयं पढ़ रहे हो कि इसमें यह प्रोविजन है । (विघ्न)

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, अगर विधान सभा में कानून की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो फिर इसको पास करने की कोई जरूरत नहीं है । आपको 5 दिन की कंडोनेशन अवेल करनी पड़ेगी । अध्यक्ष महोदय, आपको बोलना पड़ेगा । आप सब कुछ अपने आप ही अलाउ कर रहे हो । It's unconstitutional. Speaker Sir, you are custodian of this august House.

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, मेरे द्वारा अलाउ करने के बाद ही माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने मोशन मूव किया है । आप रूल को केवल उतना ही पढ़ते हो जितना आपको सूट करता है । (विघ्न)

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक्ट को पूरा पढ़ता हूं । आप पूरा पढ़ लीजिए । What do You mean by motion ? Motion is to be moved by whom ? (Interruption) अब मैं आपको इस बारे में क्या बताऊँ ? आपको मोशन पढ़ने में भी एतराज है । यह बात नोट की जाए । आप कमाल कर रहे हो । Unless the motion is to be moved. (Interruption). मैं बार–बार कह रहा हूं ।

Unless the motion is to be moved. मोशन कौन मूव करेगा ? (विघ्न) आपको 5 दिन की कंडोनेशन करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, मैंने माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को मोशन मूव करने की इजाजत दी है । उसमें अनलैस लिखा हुआ है । Unless the Speaker allows the motion to be made.

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बत्तरा काफी पढ़े–लिखे हैं और वकील भी रहे हैं । मैं सदन में कहना चाहूंगा कि उनको डिक्शनरी खोलकर 'अनलैस' शब्द का अर्थ खोज लेना चाहिए । Batra Ji, If, the Chair is permitting me to move the motion then why are you wasting the time of the House just pointing out the word unless. (Interruptions).

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, मैंने माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को मोशन मूव करने के लिए अलाउ किया था तभी इन्होंने मोशन मूव किया है और मैंने यह डिसिजन फाइल पर लिया है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को इस प्रकार से हाउस में पेश करने की आपकी अथॉरिटी नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे कहना है कि आप इस बिल को कल के लिए डैफर कर दो । आज रात को सभी माननीय सदस्य इस बिल को पढ़ लेंगे और कल सुबह आप इस बिल को विधान सभा में पेश कर देना । (शोर एवं व्यवधोन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर बोलना है ।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, आप इस बिल पर पहले ही बोल चुके हो । (विघ्न)

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, हम विधायक चुनकर आये हैं । हम विधान सभा के सत्र में बोलने के लिए ही आते हैं ।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, जब बिल पर बोलने की स्टेज आये तब आप बोल लेना ।

श्री भारत भूषण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर बोलना है । इस बिल पर पहले जो बातें कही जा चुकी हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपने बिल की क्लॉजिज को टेक अप कर लिया । मैं बिल के बेसिक प्रिंसिपल्स पर बोलना चाहता हूं । मैं रूल–131 पर बोलना चाहता था लेकिन आप आगे पहुंच गए । क्या आप सदस्यों को सदन में बिल पर बोलने का मौका ही नहीं देना चाहते ।

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, बिल पास होने की स्टेज पर आप बोल लेना । अभी बिल प्रस्तुत हो रहा है । जब बिल पास किया जाए तब आप बोल लेना ।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, there are three stages of any Bill when a member can speak. One is when a Minister moves the motion. On second stage, we can discuss on the principle of the Bill. Third stage is when we can discuss the Bill Clause by Clause. अब मैं यहां बिल के प्रिंसिपल पर बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, बिल पास होने से पहले आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बेसिक प्रिंसिपल पर बोलना चाहता हूं और आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, बिल पास होने से पहले आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। तब आप अपनी बात रख लेना।

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बेसिक प्रिंसिपल पर बोलना चाहता हूं। This Bill is unconstitutional इसलिए मैं इस पर बोलना चाहता हूं, परन्तु आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, क्या आप सब क्लॉज– 3 ऑफ क्लॉज– 1 पर बोलना चाहते हैं?

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, जब आपको ठीक लगे, आप मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दे देना।

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, ठीक है। आपको इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया जाएगा।

सब क्लॉज–3 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज–3 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज–4 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज–4 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद) (एन.आई.टी.): स्पीकर सर, मैं इस बिल के सब क्लॉज– 4 ऑफ क्लॉज– 1 पर बोलना चाहता हूं। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। पहली बात तो यह है कि सब क्लॉज– 4 ऑफ क्लॉज– 1 पर जिन माननीय सदस्यों ने एक बार 'हां' कहा है। मैं उनसे खासतौर से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, फिर वे चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्यों हों। इसको गुरूग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, हिसार, अंबाला और करनाल के लोग जरूर पढ़ लें। हालांकि इसमें सब क्लॉज भी है, माननीय मंत्री जी इस पर जबाव दे देंगे। फैक्ट्रीज गिने–चुने शहरों में लगायी जाती हैं, जिनमे हमारा फरीदाबाद शहर भी शामिल है। आज भी वहां पर इतना ज्यादा पॉल्यूशन है जिसके कारण हमारे शहर का नाम पूरे देश में बदनाम है। हमारे शहर में फैक्ट्रीज से होने वाले पॉल्यूशन के कारण वहां पर रहने वाले बच्चों को कैंसर हो रहा है और आप नौकरी के लिए बंदिश लगा रहे हैं कि एक जिले के 10 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे नहीं लिए जाएंगे। यह बिल हमें पढ़ने के लिए आज ही दिया गया है। स्पीकर सर, मैं आपकी पर्सनली बहुत इज्जत करता हूं। मुझे आपके वो वचन याद हैं जिसमें आपने कहा था कि जब तक हम किसी मैम्बर को 5 दिन पहले पढ़ने के लिए बिल नहीं देंगे तब तक हाउस में उस बिल को नहीं लाया जाएगा। एक तो पहले ही मजदूरों को लेकर 3 कानून आ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि मजदूर वह चीज है, जिनके पास अपना पेचकस भी

नहीं है। वह दूसरे के पेचकस से अपना काम करता है, इसलिए मजदूरों पर इतना कुठाराघात मत करें। यह 10 प्रतिशत का क्लॉज गलत है, इसको हटा दें। अगर हमारे फरीदाबाद में फैक्ट्री लगायी जाएगी तो उससे वहां पर रहने वाले परिवारों को पॉल्यूशन की समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसलिए नौकरी लगने का पहला हक भी फरीदाबाद के बच्चों का होना चाहिए। इसमें यह क्लॉज मत डालें कि 10 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे फरीदाबाद के नहीं लगेंगे। जमीन हमारी ली जा रही है, खेत हमारे जमींदारों के खराब हो रहे हैं तो हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिलेगी ?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपके माध्यम से एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि यह 10 प्रतिशत का जो क्लॉज है, वह स्पेसिफिकली इम्पलॉयर के पक्ष में रखा गया है न की डिस्ट्रिक्ट और गवर्नमैंट के पक्ष में है। जब हमारी इन्डस्ट्रीज से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि खासतौर से इतिहास में हीरो कम्पनी में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद इम्पलॉयर की तरफ से एक सीलिंग की क्लॉज लगा दी गयी थी कि एक क्षेत्र के सभी लोगों को जॉब में नहीं लिया जा सकता। यह क्लॉज इसीलिए डाला गया है, पर यह एक एरिया के 10 प्रतिशत इम्पलॉईज ही लेने की बाउंडेशन नहीं है। इसमें इम्पलॉयर पर एक जिले से 10 प्रतिशत तक इम्पलॉईज लेने की तो बाउंडेशन है, परन्तु वह एक जिले से 10 प्रतिशत से ज्यादा इम्पलॉईज लेना चाहे तो अपनी रिस्ट्रिक्शन अपने लेवल पर ला सकता है।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि if and but कानून में बहुत होते हैं। हम उस शहर में रह रहे हैं और एक–एक चीज को जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस कानून की आड़ में हमारे बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो यह विधेयक पेश कर रहे हैं, वह एज ए श्रम मंत्री पेश कर रहे हैं या ऐज ए उद्योग मंत्री पेश कर रहे हैं। ये श्रम मंत्री हैं, इनको पहले श्रमिकों का ख्याल रखना चाहिए। लेबर के बारे में सोचना चाहिए। आप सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का कोटा कर दें, कौन मना कर रहा है ? आप विधान सभा में बिल लेकर आएं, सभी माननीय सदस्य 'हां' कर देंगे। सरकारी नौकरियों में तो यह कोटा नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी–सांपला–किलोई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इस बात को इम्पलॉयर की

डिस्क्रिशन पर नहीं छोड़ना चाहिए। फिर यह कानून किस चीज के लिए है? वर्ष 2011 में ई.एम.पी. से संबंधित हमने कानून बना दिया था। एच.एस.आई.आई.डी.सी. से जिसको भी प्लॉट अलॉट होंगे, उसमें 75 प्रतिशत हरियाणा प्रदेश के बच्चे नौकरी लगेंगे। That is sufficient. Why should employer be given that discretion. I fail to understand it.

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने डिस्क्रिशन की बात रखी है। इसमें यह 10 प्रतिशत की रिस्ट्रिक्शन है कि एक डिस्ट्रिक्ट से 10 प्रतिशत से ज्यादा इम्पलॉयर नहीं होंगे और पूरे प्रदेश के 75 प्रतिशत होंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष को याद होगा कि मारूति कम्पनी में एक वारदात हुई थी जिसमें एक जनरल मैनेजर की मौत हुई थी। उस मामले में एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई थी। सैंकड़ों इम्पलॉईज मात्र रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिलों से संबंध रखने वालों को नौकरी से निकाला गया था। उसके बाद मारूति कम्पनी ने इन तीनों जिलों के लड़कों को भर्ती में दिन–प्रतिदिन प्रतिबंधित करके कम लेना शुरू कर दिया। हम तो अवसर दे रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के बच्चों को जो 50,000 रुपये की तनख्वाह से नीचे की जॉब हैं, उनमें 75 प्रतिशत नौकरी का अधिकार दें ताकि बच्चे अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सकें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी पूरी बात सुनते नहीं है और बीच में खड़े हो जाते हैं I was on my legs. He should have patience हमारी सरकार के समय में वर्ष 2011 में ई.एम.पी. से संबंधित कानून बनाया गया था और उसमें यह ऑलरेडी कंडीशन भी डाली हुई थी। क्या सरकार उसको forgo कर देगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। Have you written off that? Have you read it or you will write it off या तो उसको खत्म करो तभी इसमें कुछ होगा।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप प्लीज बैठ जायें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात का जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एच.एस.आई.आई.डी.सी. में एक कंडीशन क्लॉज डाली हुई है कि जिस व्यक्ति को इन्डस्ट्री का लाइसैंस दिया जाता है, वह 75 परसैंट स्थानीय युवाओं को रोजगार देगा। इसमें हमारी सरकार के भी पिछले 6 वर्ष शामिल हो गये हैं और जितने वर्ष कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, वे वर्ष भी इसमें शामिल हो गये

हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि किसी सरकार ने उस क्लाज के हिसाब से मॉनिटरिंग नहीं की थी। इसकी मॉनीटरिंग इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि यह लेजिस्लेटिव क्लॉज नहीं था। सरकार ने एक कंडीशन लगा दी और कंडीशन लगाने के बाद कोई लाइसैंस ले गया और लाइसैंस ले जाने के बाद उसने इन्डस्ट्री लगा दी। उसमें कहां–कहां से आकर लोग लग रहे हैं और कहां–कहां से नहीं लग रहे हैं इस बात की कभी किसी सरकार ने मॉनीटरिंग नहीं की थी। अब जब हमारी सरकार के सामने मॉनीटरिंग करने की बात आई तो लेबर से संबंधित बात ध्यान में आई कि हमारे हरियाणा के लोगों को रोजगार देने का जो विषय है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार इस बिल में 75 परसैंट हरियाणा प्रदेश के लोगों को नौकरी देने के लिए लेजिस्लेशन लेकर आ रही है क्योंकि आज तक कोई भी सरकार इस बिल को लेजिस्लेचर में लेकर नहीं आई है। इसके अलावा हमें इन्डस्ट्रीज के लोगों के हितों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। मान लो कल को हमारी सरकार ने इसमें ऐसी चीज डाल दी, जिसके कारण इन्डस्ट्री भागने के लिए तैयार हो जाये। अगर मैं वर्ष 2014–15 की बात करूं तो प्रदेश में उस समय एक माहौल ऐसा बन गया था कि आज ही इन्डस्ट्रीज भाग जायेगी और कुछ इन्डस्ट्रीज जाने भी लग गई थी। मैं यह बताना चाहूंगा कि मारुती सुजुकी इंडिया लिमिटेड का एक प्लांट गुजरात में लग भी गया था और अपने बाकी प्लांट भी यहां से उठाकर ले जाने की तैयारी में थी। उस वक्त हमारी सरकार ने उनसे बातचीत की कि यहां पर आपको किस बात की तकलीफ है तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हरियाणा का व्यक्ति हमें सूट नहीं करता है, उसके बाद हमने उनको कहा कि आप हरियाणा के व्यक्ति को रोजगार दें यदि इसमें आपको कोई कठिनाई आयेगी तो हमारी सरकार इस बात की पूरी जिम्मेवारी लेगी तथा इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होने दी जायेगी। इस बारे में हमारी सरकार ने काफी मीटिंग्ज भी की थी। अभी पिछले दिनों गुरुग्राम में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में स्ट्राइक हुई थी और वहां पर भी तकरीबन उसी प्रकार के विषय थे जिस प्रकार के विषय मारुती सुजुकी इंडिया लिमिटेड में थे। हमारे समझाने के बाद मारुती सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कहा कि अगर सभी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के पश्चात हमारे पास जगह वेकेंट रह जाती है तो हम उन पर हरियाणा के .युवाओं को भी रोजगार देंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उनकी इस बात को इसलिए स्वीकर किया कि यदि मान लो ये

इंडस्ट्रीज 10 परसैंट तक भी हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की लिमिट रखती है तो इसके बावजूद भी इस इंडस्ट्री के साथ लगते लगभग 7 जिलों के युवाओं को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। यह बात विपक्ष के सदस्य भी भलीभांति जानते हैं। अगर हम 6–6 परसैंट के हिसाब से रोजगार देने की बात करेंगे तो उसमें हरियाणा के 9 जिलों के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। अगर वे पूरे हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को रोजगार देते हैं तो हरियाणा के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक जिले में इन्डस्ट्री लग गई तो उसी जिले के लोगों को रोजगार दिया जायेगा। कई बार देखने में यह आता है कि हरियाणा के लोगों को अपने जिले में रोजगार नहीं मिल पाता है। आज फरीदाबाद और गुरुग्राम में जितनी इन्डस्ट्रीज लगी हुई हैं, आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो पता चलेगा कि गुरुग्राम इन्डस्ट्रीज में कितने लोग लगे हैं और फरीदाबाद इन्डस्ट्रीज में कितने लोग लगे हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज इन्डस्ट्रीज में दूसरे प्रांतों से आये हुए मैक्सिमम लेबर क्लास के लोग लगते हैं। हमें इस विषय को कुछ लोगों को समझाने में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था कि बाकी देशों के लोग जब हमारे यहां रोजगार के लिए आयेंगे तो उनको क्या जवाब देंगे? अब चूंकि बहुत से प्रांत अपने क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। जैसा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने अपने यहां के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है और अब हमारी सरकार भी यही काम कर रही है और बाकी प्रांत भी उस हिसाब से अपने प्रांत के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अब हमें अपने प्रांत के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखना है। पहले एक समय ऐसा था, जब हमें इन्डस्ट्री से दो चीजें मिला करती थी। एक रेवेन्यू मिलता था और दूसरा रोजगार होता था। आज पूरे देश और प्रदेश में जी. एस.टी. का सिस्टम आ गया है इसलिए हमें इस सिस्टम से इन्डस्ट्री से कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है, केवल वैल्यू एडीशन का रेवेन्यू मिलता है। जी.एस.टी. वहां मिलता है, जहां किसी चीज की कन्जम्पशन होती है। मान लो अगर यहां कोई चीज बनती है और उसकी केरल में कन्जम्पशन होती है तो उस प्रौडक्शन का जी.एस.टी. केरल को मिलता है हमें नहीं मिलता है। आज इन्डस्ट्री के रेवेन्यू का चार्म है, वह खत्म हो गया है। आज इन्डस्ट्री का चार्म एक ही है कि हमारे प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले इसलिए इसका तालमेल ठीक रखने के लिए यह सब किया गया है, न कि किसी जिले के विरोध में या किसी जिले के फेवर में किया गया है।

हमारे प्रदेश के 22 जिले हैं और 10 परसैंट का मतलब है कि उसके पास 220 परसैंट स्कोप है। हम सिर्फ 75 परसैंट हरियाणा के लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि 75 प्रतिशत नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें इम्पलायर की डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए। एच.एस.आई.आई.डी.सी. जब प्लाट आबंटित करती है तो यह कंडीसन लगाती है कि इतनी इम्पलायमैंट हरियाणा के लोगों को दी जायेगी और अगर कोई इंडस्ट्री वह कंडीसन फुलफिल नहीं करती है तो उसको लागू रखा जायेगा या नहीं यह देखना राज्य सरकार का काम है। यह राज्य के हित में नहीं है। आप इसको सीधा 75 प्रतिशत रखिए और हमारे युवाओं को उद्योगपतियों के रहमोकर्म पर मत छोड़िए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय हुड्डा साहब को बताना चाहता हूं कि यह डिस्क्रिशन हरियाणा के विरोध में नहीं है बल्कि यह हरियाणा के हित में है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस बिल के तहत इम्पलायर की डिस्क्रिशन रहेगी कि वह एक जिले से 10 प्रतिशत से ज्यादा इम्पलाईज नहीं लेगा। मेरा कहना यह है कि किसी भी इम्पलायर की कोई डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से एक ही कानून होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज में 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के युवाओं को ही मिलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, उसमें दिक्कत आती है। कई बार इम्पलायर एक जिले से इम्पलाईज नहीं लेना चाहता है। इस प्रकार की समस्या मारूति के समय में भी आई थी। उस समय भी यह बात आई थी और मारूति वालों ने कह दिया था कि हम इन–इन जिलों से इम्पलाईज नहीं लेना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। 75 प्रतिशत कहीं से भी भर्ती होने चाहिएं लेकिन हरियाणा से ही लगने चाहिएं। इसमें इम्पलायर की डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज के मालिकों के रहमोकर्म पर हमारे युवाओं को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। बनाने को तो आप कोई भी कानून बना सकते हैं। हमारे हरियाणा के लोग जो

खेती से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि आज जीरी लगाने के लिए भी हमारे बिहार के भाई आते हैं। पहले तो कटाई और झड़ाई का काम भी उनके द्वारा ही किया जाता था लेकिन आज कटाई का काम मशीनों के माध्यम से होना शुरू हो गया है। आप कानून बना दीजिए कि कोई भी बिहार का आदमी काम के लिए हरियाणा में प्रवेश नहीं करेगा। यह पूरा देश एक है और सभी का है तो फिर हरियाणा में 75 प्रतिशत नौकरियां केवल हरियाणा के लोगों को ही क्यों दी जानी चाहिएं। हरियाणा के युवा तो किसी भी फैक्ट्री में 6 महीने काम करते हैं उसके बाद वहां पर यूनियनबाजी शुरू कर देते हैं। हिसार में एक एच.टी.एम. फैक्ट्री थी जिसको यूनियन वालों ने तबाह कर दिया था और मालिक को उसको बंद करके जाना पड़ा। अगर हमारे देश के रहने वाले हमारे बच्चे काबिल हैं और वे किसी और लाईन में जाना चाहते हैं तो वे चाहे साउथ में जायें या कोलकाता जायें तो जा सकते हैं। अगर महाराष्ट्र वाले हरियाणा और यू.पी. वालों को काम नहीं करने देंगे तो यह ठीक नहीं होगा। यह बिल पूरी तरह से गलत है। चाहे हुड्डा साहब कहें चाहे खट्टर साहब कहें लेकिन यह 100 प्रतिशत गलत बिल है।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह जो 10 प्रतिशत की डिस्क्रिशन इम्पलायर के लिए रखी गई है यह गलत है।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है ऐसा नहीं है कि कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके विपक्ष में है लेकिन सरकार को ऐसे ऐवेन्यूज पैदा करने चाहिएं जिसमें युवाओं को रोजगार मिले। मैं बहुत संक्षेप में उसका एक उदाहरण दूंगा। अगर कोई मल्टी नैशनल कम्पनी आती है तो यहां पर आई.टी.आई. या अप्रैंटिसशिप स्वयं खोलें और उसमें बच्चे ट्रेंड हों। जहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं वहां पर वे नर्सिंग कॉलेज खोलें जिसमें बच्चे ट्रेंड होकर काम करें। यह आस्पैक्ट होना चाहिए। एच.एस.आई.आई.डी.सी. के एग्रीमैंट में यह बात पहले ही लिखी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने है। मैं विपक्ष का सदस्य होने के नाते ही नहीं बोल रहा हूं। यह मुझे भी पता है कि यह बिल पास होगा क्योंकि सत्ता पक्ष मैजोरिटी में है और बिल पास होने के बाद कहें कि यह बिल हरियाणा के फेवर में नहीं है ऐसी बात नहीं है। असली बात यह है कि क्या आर्टिकल 16 के खिलाफ यह बिल इस हाउस में आ सकता है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आर्टिकल 16 ऑफ दा कांस्टीच्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ कर

सुना देता हूं। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। ये एक्सपैरीमैंट्स हो रहे हैं। आन्ध्रप्रदेश की सरकार ने एक एक्सपैरीमैंट कर दिया और वह वहां के हाई कोर्ट में चैलेंज है और वह बिल वहां पर सैट–असाईड होगा। यह बिल भी सैट–असाईड होगा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे विधेयक को आदरणीय मुख्यमंत्री जी पेश करने के लिए इजाजत देंगे। जो पार्टी वन नेशन और एक संविधान की बात करती है, अखण्ड भारत की बात करती है उस पार्टी के मुख्यमंत्री ऐसे विधेयक के ऊपर पास करने के लिए जोर देंगे। अब मैं हिन्दुस्तान के कांस्टीच्यूशन का आर्टिकल 16 पढ़ कर सुनाता हूं :–

"There shall be ----

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री बतरा जी को कहना चाहूंगा कि वे आर्टिकल 16 की डैफिनेशन पढ़ लें आर्टिकल 16 की पहली लाईन पढ़ लें जिसमें लिखा हुआ है कि :–

"Equality of opportunity in matters of public employment. It is private employment. ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। 9 प्रदेशों में 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक अपने प्रदेश के युवाओं को इंडस्ट्रीज में नौकरी देने के लिए कानून बने हुए हैं। बतरा जी हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। बतरा जी अपने आपको वकील कहते हैं और ये पब्लिक और प्राईवेट इम्पलाइमैंट में फर्क नहीं जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा हुआ कि उप–मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बात कह दी है। अब मैं अपनी बात क्लैरीफाई कर देता हूं। मैं हाउस को मिसलीड नहीं कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूंगा कि वे भी इस पर विशेष ध्यान दें।

"There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to the employment".

उसके बाद और स्टेट है मैं यह पढ़ रहा हूं। किसी के साथ इम्पलाईमैंट के मामले में डोमिसाइल के बाद आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आप कहो तो मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इसको पढ़ कर सुना देता हूं। "There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to the employment or appointment to any office under the State. How is private office is the office of State? बतरा जी अपने आपको वकील कहते हैं और अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह एंड नहीं है बल्कि और (or)है । किसी भी इम्पलाईमैंट या स्टेट इम्पाईमैंट के बारे में बताया गया है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बतरा जी को बताना चाहूंगा कि ये उसके बाद भी पढ़ें जिसमें लिखा हुआ है कि to any office under the State. Private employment is not under the State.

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, I beg appologies that little knowledge is always dangerous. मैं इससे आगे पढ़ता हूं।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, इसमें जो लिखा हुआ है आप वह पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है कि "Equality of opportunity in matters of public employment. ये पब्लिक इम्पलाईमैंट के बारे में कह रहे हैं।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, Heading is not the law. What has been written that is the law?

श्री अध्यक्षः बतरा जी, क्या पब्लिक इम्पलाईमैंट और प्राईवेट इम्पलाईमैंट एक ही चीज है? सरकार तो प्राईवेट नौकरियों में यह प्रावधान कर रही है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पढ़ कर सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। "There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to the employment or appointment". इसमें और शब्द लिखा हुआ है एण्ड नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद बात समाप्त हो जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, इम्पलाईमैंट और एप्वाइंटमैंट में क्या फर्क है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश को एक रखना है तो इस देश को 4 जोन में बांटना पड़ेगा। ये जो छोटी–छोटी स्टेट्स बनाई गई हैं ये इस देश की इंटीग्रेशन का सत्यानाश कर देंगी। अब जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना वाले कहते हैं कि अगर कोई हरियाणा या उत्तरप्रदेश का आदमी महाराष्ट्र में घुस गया तो हम काट डालेंगे। अगर हम हरियाणा वाले भी इस प्रकार से संकीर्ण ख्यालात से नौकरियां देने की बात करेंगे तो यह बहुत बेहूदा और गलत बात होगी। मैं तो कहता हूं कि यह देश असलियत में तो एक देश जब होगा जब हरियाणा वाले महाराष्ट्र में नौकरी करें और महाराष्ट्र वाले हरियाणा में करें। इसी प्रकार से मद्रास वाले हरियाणा में नौकरी करें और हरियाणा वाले मद्रास में नौकरी करें। If we want this country safe and strong, we must abolish these small states. पूरे देश को चार जोन में बांटा जाना चाहिए ताकि यह देश आजाद रह सके। पहले भी इसी प्रकार से छोटी–छोटी स्टेट्स बनी थी जिसके कारण यहां पर अंग्रेज, मुगल और गुलाम भी यहां पर राज कर गये। बाबर जिसने मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई उसी के कारण आज यहां पर कितने बाबर पैदा हो गये हैं जो मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। आज वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा बोलते हैं। उनको किसी को यह बात समझ में नही आती है कि श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे। इस देश का माहौल ठीक रहे इसलिए ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए। यह कानून गलत बनाया जा रहा है। इस प्रकार के कानून की इस प्रदेश में और देश में कोई जरूरत नहीं है। इस देश का कोई भी नागरिक देश में कहीं पर भी नौकरी करे, ऐसा कानून होना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप हरियाणा के बच्चों को लगाईये हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन आपने इम्पलायर के लिए 10 प्रतिशत की डिस्क्रीशन रखी है। That should not be there. I strongly oppose it. ये हित में नहीं है। आप उसको निकाल दीजिए और कानून पास कर लीजिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें डिस्क्रीशन क्या है कि 10 प्रतिशत से ऊपर रखे या न रखे ये डिस्क्रीशन है लेकिन वह 15 प्रतिशत व 20 प्रतिशत भी रख सकता है। हमने इम्पलायर को 10 प्रतिशत की छूट दे दी है कि वह एक जिले से 10 प्रतिशत बच्चे रख सकता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, हमें जरूरत लगती है क्योंकि इसमें हमने इंडस्ट्रीज का पक्ष भी रखना है। अगर इंडस्ट्रीज का पक्ष नहीं रखा तो फिर सारी इंडस्ट्रीज बाहर भागेगी । (शोर एवं व्यवधान) हमारा सारे हरियाणा पर फोक्स है। आने वाले समय में पलवल, सिरसा, हिसार, रोहतक व भिवानी में भी इंडस्ट्रीज लगेंगी। हमने वहां के लोगों के बारे में भी सोचना है।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि किसी भी चीज में लोकल युवाओं को अहमियत देना कोई गलत नहीं है उसमें चाहे कोई मैडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई सरकारी कॉलेज हो चाहे कुछ भी हो उसमें लोकल युवाओं को अहमियत मिलनी चाहिए। जैसे कि माननीय गौतम जी ने कॉलेज या इंडस्ट्रीज में लोकल एरिया के बच्चों को अहमियत देने से देश का बंटवारा हो जाने की बात कही है तो मेरा मानना है कि इस तरह लोकल एरिया के बच्चों को अहमियत देने से कभी देश का बंटवारा नहीं होता है। यह कोई बात नहीं है कि हर चीज में सभी एरियाज के युवाओं को अलाऊ कर दिया जाए। अगर कोई हरियाणा की चीज है तो उसमें हरियाणा के लोगों को फायदा तो मिलना ही चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, आप हरियाणा के बच्चों के लिए प्राईवेट कम्पनियों में नौकरियों में 75 प्रतिशत का रिजर्वेशन का बिल लेकर आईए। हम उसका स्वागत करेंगे। हमारी सरकार ने भी एच.एस.आई.आई.डी.सी. से यह फायदा दिया था लेकिन उस समय कानून नहीं बना था। आप कानून बनाईये अच्छी बात है। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज–5 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–5 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज–2 से 24

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज–2 से 24 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सारा सदन सर्व सम्मति से हरियाणा के युवाओं को एक नई दिशा देने वाले इस कानून को पास करे।

मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये?

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(iii) दि हरियाणा वाटर रिसोर्सिज (कंजर्वेशन, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी) बिल, 2020

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ–

> कि हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> कि हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉजिज 2 से 36

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 2 से 36 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 6 नवम्बर, 2020 प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*18.34बजे

(तत्पश्चात सभा शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर, 2020 प्रातः 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

.....